




सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 3

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष

झारखण्ड सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	1.1	1
2018-19 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	4
बजट अनुमान एवं वास्तविक	1.1.3	9
राज्य के संसाधन	1.2	10
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	11
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	12
भारत सरकार से सहायता-अनुदान	1.3.2	15
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	16
बकाया राजस्व	1.3.4	17
लघु शीर्ष - 913 के अंतर्गत अनियमित जमा	1.3.5	17
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	17
ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ	1.4.1	18
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	19
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	19
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	20
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	1.6.1	20
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	1.6.2	21
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	21
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	23
वित्तीय सहायता	1.6.5	24
व्यय की गुणवत्ता	1.7	27
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	27
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	27
चयनित समाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	28
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	29
सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	29
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	29
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	30
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	1.8.4	31
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	32
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	33

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों की वृद्धि तथा संयोजन	1.9.1	33
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	34
हास निधि	1.9.3	35
राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.)	1.9.4	35
प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	1.9.5	36
ऋण प्रबंधन	1.10	36
ऋण की रूपरेखा	1.10.1	36
ऋण वहनीयता	1.10.2	37
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	1.10.3	40
अध्याय 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	41
विनियोग लेखे के सारांश	2.2	41
वित्तीय दायित्व तथा बजटीय प्रबंधन	2.3	43
आवंटित प्राथमिकताओं के सम्मुख विनियोग	2.3.1	43
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.3.2	45
सतत बचत	2.3.3	46
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.3.4	48
विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.3.5	49
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.3.6	50
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.7	51
निधियों का वृहद अभ्यर्पण	2.3.8	51
व्यय का वेग	2.4	51
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	2.5	52
अनुदान संख्या 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की बजटीय प्रक्रिया	2.6	52
प्रस्तावना	2.6.1	52
सतत बचत	2.6.2	53
बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	2.6.3	54
संवितरण अधिकारियों से अपेक्षित आवश्यकताओं की प्राप्ति के बिना तैयार किया गया बजट प्राक्कलन	2.6.4	54
परिणाम एवं जेंडर बजट को तैयार नहीं करना	2.6.5	55
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.6.6	55
कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता	2.6.7	56
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण	2.6.8	58

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
व्यय का वेग	2.6.9	59
विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन	2.6.10	59
जमा खातों में निधि का रखाव (पार्किंग)	2.6.11	60
झारखण्ड असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना (झा.अ.श्र.सा.सु.यो.) में अपूर्ण बीमा आच्छादन	2.6.12	60
नियोजनालय का राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के साथ इंटर लिंकिंग नहीं होना	2.6.13	61
अज्ञात/अपरिचित लाभार्थियों को कंबल/कपड़ों का वितरण	2.6.14	61
रोकड़ बही एवं विपत्र बही का असंधारण	2.6.15	62
अनुदान संख्या 18 - खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग हेतु बजटीय प्रक्रिया	2.7	63
प्रस्तावना	2.7.1	63
पिछले चार वर्षों के दौरान विभाग की बजटीय स्थिति	2.7.2	64
बजट प्राक्कलन की तैयारी के लिए प्रावधान का अनुपालन नहीं होना	2.7.3	64
परिहार्य अनुपूरक बजट	2.7.4	64
वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पण	2.7.5	65
व्यय का वेग	2.7.6	65
विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन	2.7.7	65
सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण	2.7.8	66
परिणाम एवं जेंडर बजट की गैर-प्रस्तुति	2.7.9	66
उपभोक्ता कल्याण कोष का अनुपयोग	2.7.10	67
बजट में उद्घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन	2.7.11	67
अध्याय 3: वित्तीय प्रतिवेदन		
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	3.1	69
उपयोगिता प्रमाण-पत्र बढ़ाकर सरकार को प्रेषित करना	3.1.1	71
प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा	3.2	71
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	71
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.2.2	73
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किया जाना	3.2.3	73
संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा	3.3	73

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा करने में विलम्ब	3.3.1	75
दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.4	76
निधियों का आहरण और व्यक्तिगत बही खातों में रखा जाना	3.5	77
श्रम सेस	3.6	78
श्रम सेस का लेखांकन एवं उपयोगिता	3.6.1	79
लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्ज किया जाना	3.7	80
लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण अवयव	3.8	80
राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.9	81
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.10	82
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन	3.11	82

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड का परिचय	85
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	86
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	86
परिशिष्ट 1.2	वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	87
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	91
परिशिष्ट 1.4 भाग-क	74 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	95
परिशिष्ट 1.4 भाग-ख	73 ^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यों का विवरण	96
परिशिष्ट 1.5	31 मार्च 2019 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	97
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक रहा	99
परिशिष्ट 2.2	उप-शीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2018-19 के दौरान पर्याप्त बचत (₹ 20 करोड़ व उससे ज्यादा) हुआ	101
परिशिष्ट 2.3	₹ एक करोड़ व अधिक की बचत जो प्रत्यर्पित नहीं किये गये का विवरण	108
परिशिष्ट 2.4	मार्च 2019 में ₹ 20 करोड़ से अधिक की निधियों के प्रत्यर्पण के मामले	110
परिशिष्ट 2.5	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	115
परिशिष्ट 2.6	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	116
परिशिष्ट 2.7	निधियों का अधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	118
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के दौरान किये गये बड़े अभ्यर्पणों की समीक्षा के परिणाम	119
परिशिष्ट 2.9	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	125
परिशिष्ट 2.10	नियंत्रि अधिकारियों की सूची जहाँ 2018-19 के दौरान व्यय असमाशोधित रह गया	127
परिशिष्ट 2.11	परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	128

परिशिष्ट 2.12	कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता	129
परिशिष्ट 2.13	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण	130
परिशिष्ट 2.14	व्यय का वेग	131
परिशिष्ट 2.15	विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन	132
परिशिष्ट 2.16	झारखण्ड गैर-संगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योज	133
परिशिष्ट 2.17	अज्ञात लाभुकों को कम्बलों/कपड़ों का वितरण	134
परिशिष्ट 2.18	वर्ष 2018-19 हेतु परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	135
परिशिष्ट 2.19	अधिकाई राशि का प्रावधान प्रदर्शित करने वाले विवरण	136
परिशिष्ट 2.20	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को इकाई-वार राशि की अभ्यर्पित प्रतिवेदन	138
परिशिष्ट 2.21	मार्च 2019 में उप-शीर्ष वार व्यय	139
परिशिष्ट 2.22	मार्च 2019 में डी.डी.ओ.-वार एवं योजना-वार व्यय का वेग	140
परिशिष्ट 2.23	डी.डी.ओ. के व्यय की असमाशोधित राशि	141
परिशिष्ट 2.24	विभिन्न शीर्षों में सम्पूर्ण बजट का अभ्यर्पण	142
परिशिष्ट 2.25	सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण	143
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2019 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	145
परिशिष्ट 3.2	नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	146
परिशिष्ट 3.3	शीर्ष-वार बकाया डी.सी. विपत्र के ब्यौरे	148
परिशिष्ट 3.4	जिला-वार बकाया डी.सी. विपत्र	149
परिशिष्ट 3.5	डी.डी.ओ. द्वारा डी.सी. विपत्रों के विलम्ब प्रस्तुतीकरण को प्रदर्शित करने वाले विवरण	150
परिशिष्ट 3.6	डी. सी. विपत्रों का विलम्ब प्रस्तुतीकरण (अनुदान 26 के अंतर्गत चयनित जिला)	151
परिशिष्ट 3.7	तीन वर्षों से अधिक समय तक पी. एल. खाते में रखी गयी राशि	152
परिशिष्ट 3.8	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	153
परिशिष्ट 3.9	लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' (30 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	154
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द	155

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त पर प्रस्तुत इस प्रतिवेदन का प्रयोजन 2018-19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने और राज्य विधानसभा को वित्तीय आँकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित जानकारी प्रदान करना है। यह प्रतिवेदन झारखण्ड राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, चौदहवें वित्त आयोग (14^{वें} वि.आ.) प्रतिवेदन तथा वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों के विरुद्ध वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयास है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2019 को झारखण्ड सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ऋणों के पुनर्भुगतान पर व्यय और लिये गये उधार के स्वरूप की प्रवृत्तियों की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों एवं रीति, जिसके अनुसार आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधन किया गया, का अनुदानवार व्याख्या प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमावलियों के झारखण्ड सरकार के अनुपालन की सूची है।

विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेनदेन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निकायों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं राजस्व प्राप्तियों से संबन्धित अवलोकनों पर आधारित प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय, 2016-17 से घटते रुझान को दर्शाते हैं। अग्रतर, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय, 2018-19 के दौरान काफी कम था।

कंडिका 1.1.1

राज्य ने राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे को स.रा.घ.उ. अनुपात में प्राप्त नहीं किया है, जैसा कि एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी. विवरण में लक्षित है। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 हेतु स.रा.घ.उ. अनुपात में बकाया ऋण के संबंध में 14^{वें} वित्त आयोग का मानक प्रक्षेपण भी प्राप्त नहीं किया गया था।

राजकोषीय घाटा (₹ 6,629 करोड़) स.रा.घ.उ. का 2.16 प्रतिशत था जो 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा 3.25 प्रतिशत की अनुशंसित सीमा और एम.टी.एफ.पी. के तहत 2.61 प्रतिशत लक्ष्य के अंदर था।

कंडिका 1.1.2

राज्य का प्राथमिक घाटा 2017-18 में ₹ 7,271 करोड़ से प्रमुखता से सुधर कर 2018-19 के दौरान ₹ 1,777 करोड़ हो गया।

कंडिका 1.1.2.2

संसाधनों का जुटाव एवं अनुप्रयोग

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 56,152 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 52,756 करोड़) से ₹ 3,396 करोड़ (6.44 प्रतिशत) बढ़ी जो बजट अनुमान (₹ 69,578 करोड़) से कम था।

2018-19 के दौरान राजस्व व्यय (₹ 50,631 करोड़) 2017-18 (₹ 50,952 करोड़) से ₹ 321 करोड़ (0.6 प्रतिशत) घटा। 2018-19 के दौरान वर्तमान वर्ष हेतु राजस्व व्यय का प्राक्कलन ₹ 61,523 करोड़ था

पूँजीगत व्यय (₹ 10,712 करोड़) 2017-18 (₹ 11,953 करोड़) से ₹ 1,241 करोड़ (10.38 प्रतिशत) घटा। वर्तमान वर्ष हेतु पूँजीगत व्यय का बजट प्राक्कलन ₹ 13,068 करोड़ था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने के उपक्रम को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान और वास्तविक के बीच की खाई को पाटा जाए।

कंडिका 1.1.3, 1.2 एवं 1.6

लोक व्यय की पर्याप्तता

2018-19 के दौरान कुल व्यय (कु.व्य.) से विकास व्यय, आर्थिक सेवा व्यय एवं पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से काफी अधिक था। तथापि वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्र व्यय, शिक्षा व्यय के साथ सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत व्यय से कम था।

कंडिका 1.7.1

सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोगों ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने हेतु इनपर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, किसी भी सिंचाई योजना को झारखण्ड सरकार द्वारा वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया।

2018-19 के दौरान 11 सिंचाई परियोजनाओं को कुल ₹ 1,759.45 करोड़ का पूँजीगत परिव्यय प्रदान किया गया और 23 परियोजनाओं पर कार्य व्यय और रख-रखाव शुल्क हेतु ₹ 1,480.90 करोड़ खर्च किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 38.04 करोड़ इन परियोजनाओं से विविध राजस्व के रूप में प्राप्त किया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने हेतु उपाय शुरू करनी चाहिये।

कंडिका 1.8.1

निवेश पर प्रतिफल

2014-19 के दौरान राज्य सरकार को लिये गये उधार लागत और कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण ₹109.53 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी.) को ₹ 7,222 करोड़ की राशि का ऋण सरकारी लेखाओं में बोर्ड से प्राप्य के रूप में दर्शाया जाना जारी है, यद्यपि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार, राज्य की संपत्ति ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक बढ़ गई थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेशों और ऋणों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋणों पर प्रतिफल कम से कम सरकार की उधार लागत के बराबर हो।

कंडिका 1.8.3 व 1.8.4

राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)

31 मार्च 2019 तक एस.डी.आर.एफ. में ₹ 1,930.09 करोड़ का अंत शेष था। एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2010 के अनुसार राज्य सरकार ने निधि के तहत शेष से ₹ 400 करोड़ (2012-13) निवेश किया।

2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के बाद 11 दिनों (₹ 210.50 करोड़) और 184 दिनों (₹ 31.58 करोड़) के विलंब के साथ सार्वजनिक खाते में उनके हिस्से के साथ भारत सरकार से योगदान हस्तांतरित किया, जिसके लिए राज्य सरकार ₹ 1.46 करोड़ का ब्याज देने के लिए उत्तरदायी था, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

अग्रतर, दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकार को निवेश नहीं किये गये शेष पर ओवरड्राफ्ट पर भुगतेय ब्याज (8.25 प्रतिशत) की दर से ब्याज का भुगतान करते हुए स्वयं निधि के कोष में डाला जाना था। तथापि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. गठन के बाद से इसपर कोई ब्याज नहीं दिया फलस्वरूप 2010-19 की अवधि के लिए ब्याज की लागू दरों के आधार पर यह राशि ₹ 535.83 करोड़ हो गयी। इसमें से, अकेले 2018-19 हेतु भुगतान न किये गये ब्याज की राशि ₹ 94.96 करोड़ थी। निधि के प्रचालन के बाद से इस तरह ब्याज का भुगतान नहीं करना राज्य की अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

अनुशंसा: राज्य को सार्वजनिक खाते में अपने हिस्से के साथ-साथ भारत सरकार से प्राप्त अंशदान का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए और एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि में निहित शेष राशि का भी निवेश करना चाहिए।

कंडिका 1.9.4

बचत

₹ 20,224 करोड़ के कुल बचत में, 27 अनुदानों से संबंधित 29 मामलों में ₹ 15,941 करोड़ (79 प्रतिशत) का बचत हुआ। इन मामलों में, बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक और अनुदान का 20 प्रतिशत या उससे अधिक था।

विगत पाँच वर्षों के दौरान 11 मामलों में (10 विभागों) कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक सतत बचत हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को क्षेत्रीय इकाइयों से वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बजट तैयार करना चाहिए और आवंटित राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। सभी प्रत्याशित बचतों को समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिये ताकि निधियों को अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जा सके।

कंडिका 2.3.1 व 2.3.3

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

2018-19 के दौरान 40 अवसरों पर आकस्मिकता निधि से ₹ 69.72 करोड़ की अग्रिम राशि आहरित की गयी जिसमें से, 13 अवसरों पर, ₹15.34 करोड़ की राशि ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये उपयोग में लाये गये जो न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिक प्रकृति के थे।

इस प्रकार, राज्य द्वारा आकस्मिक निधि का उपयोग गैर-आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए एक अग्रिम खाते के रूप में किया गया था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से आपातकालीन एवं अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय की पूर्ति के अतिरिक्त कोई अग्रिम आहरित नहीं हो।

कंडिका 2.3.4

प्रावधानों से आधिक्य व्यय के विनियमन की आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक के प्रावधानों से ₹ 3,015.37 करोड़ के आधिक्य व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित करना अब भी लंबित था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को ₹ 3,015.37 करोड़ के आधिक्य व्यय को विनियमित करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए।

कंडिका 2.3.5

व्यय का वेग

21 अनुदानों में ₹10,151.23 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹ 6,342.48 करोड़ (62.48 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसमें से, ₹ 3,691.90 करोड़ (कुल व्यय का 36.37 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2019 में किया गया। अग्रतर, मार्च में आहरित कुल राशि से, ₹ 35.13 करोड़ संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के द्वारा आहरित किया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के वेग को नियंत्रित करने के लिए बजट नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करनी चाहिये।

कंडिका 2.4

अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

विभिन्न विभागों द्वारा 2017-18 तक आहरित सहायता-अनुदान विपत्रों के विरुद्ध ₹ 53,379 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) 31 मार्च 2019 तक बकाया थे जो अभीष्ट उद्देश्य हेतु अनुदानों की समयबद्ध उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु नियमावलियों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता का सूचक था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिये जिसके अंदर अनुदान विमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय तक लंबित उ.प्र.प. प्राप्त करें और ये भी सुनिश्चित करें कि उस समय तक, प्रशासनिक विभाग चूककर्ता अनुदानग्राहियों को कोई अगला अनुदान विमुक्त न करें। सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध जो समय पर उ.प्र.प. प्रस्तुत करने में विफल रहे, उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

कंडिका 3.1

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

24 कार्यशील सा.क्षे.उ. (69 लेखे) और तीन अकार्यशील सा.क्षे.उ./निगमों (तीन लेखे) के लेखे एक से नौ वर्षों तक बकाया हैं। अग्रतर, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान छः सा.क्षे.उ. तीन सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर पूँजी में ₹ 41 करोड़ का निवेश किया था, जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ. के बकाया लेखे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लेखे एक तर्कसंगत अवधि के भीतर अद्यतन किये जाते हैं और उन सभी मामलों में वित्तीय सहायता को रोक देना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं।

कंडिका 3.2.2

बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र

2001-2019 के दौरान आहरित ₹ 20,679 करोड़ के आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध मार्च 2019 के अंत में ₹ 5,479 करोड़ राशि के विस्तृत आकस्मिक विपत्र बकाये थे।

अग्रतर 2018-19 में आहरित ₹ 1,061 करोड़ आकस्मिक विपत्रों पर मार्च 2019 में ₹ 62 करोड़ आहरित किया गया।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग तथा श्रम, रोजगार व प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2001-19 की अवधि के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित की गई निधि के लेखापरीक्षा से उदघटित हुआ कि इस अवधि के दौरान 1,410 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर ₹ 524 करोड़ आहरित किए गए थे, जिसके विरुद्ध जुलाई 2019 तक ₹ 208 करोड़ के 827 विस्तृत आकस्मिक विपत्र बकाये थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि के बाद सभी लंबित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों को समयबद्ध रूप से, समायोजित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि केवल बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित नहीं किए जाते हैं।

कंडिका 3.3

व्यक्तिगत बही खाते (पी.एल.ए.)

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए यदि यह तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो।

2018-19 के दौरान, ₹13,202.66 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹9,875.32 करोड़ जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत बही खातों में ₹23,077.98 करोड़ का संचय हुआ। अग्रतर, वर्ष के दौरान ₹8,730.34 करोड़ व्यय किया गया जिससे 2018-19 के अंत में व्यक्तिगत बही खातों में ₹14,347.24 करोड़ का शेष बचा रहा।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत बही खातों में पड़ी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाती हैं। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय अधिकारियों जो नियमावलियों के अनुसरण में विफल रहते हैं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

कंडिका 3.5

श्रम सेस

वित्त लेखे के अनुसार 2018-19 तक सरकारी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने वाले संवेदकों से श्रम सेस के रूप में ₹ 473.48 करोड़ संग्रहित किया गया। उक्त संग्रहित सेस को श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित नहीं किया गया (मार्च 2019) जिससे संबद्ध वर्षों के दौरान राज्य के राजस्व आधिक्य में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई तथा यह राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को श्रम सेस का श्रमिक कल्याण बोर्ड को यथाशीघ्र अंतरण सुनिश्चित करना चाहिए।

कंडिका 3.6

लघु शीर्ष '800' के अधीन प्रविष्टि

झारखण्ड सरकार के विभागों ने लघु शीर्ष-800 जिसे सिर्फ असाधारण मामलों में परिचालित किया जाना चाहिए, को नियमित रूप से परिचालित किया। 2018-19 के दौरान, प्राप्तियों के अधीन ₹ 832.91 करोड़ और व्यय के अधीन ₹ 1,161.38 करोड़ लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रविष्टि किये गये परिणामस्वरूप लेन-देनों में अस्पष्टता रही।

अनुशंसा: वित्त विभाग को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से वर्तमान में लघु शीर्ष-800 में दर्ज सभी मदों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ व व्यय उचित लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये जाते हैं।

कंडिका 3.7

राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

व्यय और राजस्व के गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹ 953.92 करोड़ के राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। राज्य की बकाया देनदारियों में भी ₹953.92 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

कंडिका 3.9

राज्य के पुनर्गठन पर शेष राशियों का संविभाजन

पूँजीगत खंड के अंतर्गत ₹ 11,935.23 करोड़ तथा ऋण व अग्रिम के अंतर्गत ₹ 6,583.36 करोड़ सहित लोक लेखा शीर्ष के अंतर्गत ₹ 7,443.90 करोड़ की शेष राशि उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच, नवंबर 2000 से तत्कालीन बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशकों के बाद भी संविभाजित किया जाना बाकी है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जमा एवं अग्रिमों के अंतर्गत शेषों के संविभाजन को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता है।

कंडिका 3.11

अध्याय-1
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017-18 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त लेखे में दिये गये विवरणों पर आधारित है। राज्य का परेखा परिशिष्ट 1.1-भाग क में दिया गया है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स.रा.घ.उ.)

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 1.1: भारत का स.घ.उ. तथा राज्य का स.रा.घ.उ.

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.79	10.66	11.55	11.28	11.20
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,18,525	2,06,613	2,36,250	2,76,243	3,07,581
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.89	(-) 5.45	14.34	16.93	11.34
स्थिर मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,86,534	1,74,881	1,93,174	2,17,618	2,32,821
स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.49	(-) 6.25	10.46	12.65	6.99
चालू मूल्य पर भारत का प्रति व्यक्ति स.घ.उ (₹ में)	99,728	1,14,424	1,19,375	1,29,800	1,42,719
चालू मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ (₹ में)	62,496	58,139	65,405	75,246	82,430

स्रोत: भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2019 को जारी स.घ.उ./ स.रा.घ.उ. के आँकड़े।

सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या परिशिष्ट 1.1-भाग 'ख' में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास परिशिष्ट 1.1-भाग 'ग' में है।

1.1.1 2018-19 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 एवं 1.3 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट 1.2 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के सार के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

¹ स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य हैं और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

तालिका 1.2: वर्ष 2014-19 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में प्रतिशत वृद्धि/हास
खण्ड क : राजस्व						
राजस्व प्राप्तियाँ	31,564.56	40,638.35	47,053.93	52,756.03	56,151.70	6.44
स्वयं का कर राजस्व (स्व. क.रा.)	10,349.81	11,478.95	13,299.25	12,353.44	14,752.04	19.42
स्व. क.रा./रा.प्रा. (प्रतिशत)	32.79	28.25	28.26	23.42	26.27	-
कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.)	4,335.06	5,853.01	5,351.42	7,846.67	8,257.98	5.24
क.भि.रा./रा.प्रा. (प्रतिशत)	13.73	14.40	11.37	14.87	14.71	-
संघीय कर एवं शुल्क का अंश	9,487.01	15,968.75	19,141.92	21,143.63	23,906.16	13.07
भारत सरकार से अनुदान	7,392.68	7,337.64	9,261.35	11,412.29	9,235.52	-19.07
खण्ड ख : पूँजीगत एवं अन्य						
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	25.09	0.00	-100.00
ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	33.06	31.06	38.46	42.41	47.57	12.17
लोक ऋण प्राप्तियाँ ²	6,690.12	13,244.65	7,081.42	8,136.85	7,803.43	-4.10
अंतर्राज्यीय परिशोधन (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
आकस्मिकता निधि में अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
लोक लेखा प्राप्तियाँ ³	20,189.17	29,036.72	22,051.8	27,833.30	25,409.79	-8.71
रोकड़ का आरंभिक शेष	1,285.48	444.21	1,904.72	1,947.85	550.44 ⁴	-71.74
कुल	59,762.39	83,394.99	78,130.33	90,741.53	89,962.93	-0.86

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

² अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्रॉफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में प्रतिशत वृद्धि/हास
खण्ड क : राजस्व						
राजस्व व्यय	31,794.90	36,552.83	45,089.04	50,952.07	50,630.73	-0.63
सामान्य सेवायें	10,623.45	12,002.43	13,023.76	16,558.33	17,655.66	6.63
सामाजिक सेवायें	11,915.34	14,843.81	18,557.37	19,574.97	18,786.03	-4.03
आर्थिक सेवायें	9,256.11	9,706.59	13,507.91	14,818.77	14,189.04	-4.25
सहायता-अनुदान अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
खण्ड ख : पूँजीगत एवं अन्य						
पूँजीगत परिव्यय	5,542.94	8,158.51	10,860.68	11,952.71	10,711.71	-10.38
संवितरण ऋण व अग्रिम	823.78	7,480.00	1,335.06	1,851.67	1,485.59	-19.77
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,879.88	2,245.93	2,077.88	2,949.50	3,060.1	3.75
अंतर्राज्यीय परिशोधन (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
लोक लेखा संवितरण ³	19,276.68	27,053.00	16,819.82	22,885.14	23,279.41	1.72
रोकड़ का अंतशेष	444.21	1,904.72	1,947.85	150.44	795.39 ⁴	428.71
कुल	59,762.39	83,394.99	78,130.33	90,741.53	89,962.93	-0.86

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के तुलना में 2018-19 के दौरान राजकोषीय संचालनों में वृद्धि/हास नीचे दर्शाये गए हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,395.67(6.44 प्रतिशत) वृद्धि मुख्यतः एस.जी.एस.टी., राज्य उत्पाद एवं भू-राजस्व और संघीय कर अंतरण से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 2,176.77 (19.01 प्रतिशत) का हास हुआ जिसकी समीक्षा कंडिका 1.3 में की गई है।
- राजस्व व्यय ₹ 321.34 करोड़ (0.63 प्रतिशत) से मामूली ₹ प से घटा जबकि पूँजीगत व्यय ₹ 1,241 करोड़ (10.38 प्रतिशत) से मुख्यतः परिवहन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और कृषि एवं सहयोगी गतिविधियों पर कम खर्च के कारण घटा। आगे इसकी चर्चा कंडिका 1.6.1 में की गई है।
- लोक ऋण प्राप्तियों ₹ 333.42 करोड़ (4.10 प्रतिशत) से घटा जबकि लोक ऋण पुनर्भुगतान ₹ 110.60 करोड़ (3.75 प्रतिशत) से बढ़ा।

³ आँकड़ों में 'अन्य लेखे' यथा विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन सम्मिलित नहीं हैं

⁴ वर्ष 2012-13 के दौरान पत्र संख्या 554, दिनांक 23.07.2019 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिवेदन में राज्य आपदा कोष में ₹ 400 करोड़ के निवेश सहित आरंभिक एवं अंत शेष

- लोक लेखा प्राप्तियों ₹ 2,423.51 करोड़ (8.71 प्रतिशत) मुख्यतः जमा एवं अग्रिम में हास के कारण घटा जबकि संवितरण ₹ 394.27 करोड़ (1.72 प्रतिशत) से बढ़ा।
- रोकड़ शेष ₹ 644.95 करोड़ (428.71 प्रतिशत) से बढ़ा जैसा कि कंडिका 1.8.5 में चर्चा की गई है।

वर्तमान तथा स्थिर मूल्यों पर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.), राजस्व व्यय (रा.व्य.) और पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.4 में नीचे प्रस्तुत किये गए हैं।

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ					
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	31,565	40,638	47,054	52,756	56,152
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.77	28.74	15.79	12.12	6.44
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	26,944	34,397	38,475	41,560	42,504
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.23	27.66	12.61	8.02	2.27
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.44	19.67	19.92	19.10	18.26
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	31,795	36,553	45,089	50,952	50,631
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	35.46	14.96	23.35	13.00	(-) 0.63
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	27,140	30,939	36,868	40,139	38,325
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	31.49	14.00	19.96	8.87	(-) 4.52
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	14.55	17.69	19.09	18.44	16.46
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	5543	8,159	10,861	11,952	10,712
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.39	47.19	33.12	10.05	(-) 10.38
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,732	6,906	8,881	9,416	8,108
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.95	45.96	29.46	6.03	(-) 13.89
पूँ.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.54	3.95	4.60	4.33	3.48

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है जबकि 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में कमी आयी है। वर्तमान वर्ष के दौरान, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के षप में रा.प्रा., रा.व्य. एवं पूँ.व्य. के अनुपात में मुख्य षप से कमी हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 में पूँजी निर्माण की वृद्धि दर में अत्यधिक ंव निरंतर कमी हुई है।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की अनुशंसाओं के आधार पर बजट में उपबंधित और राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) विवरणी में

लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत 2018-19 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: वर्ष 2018-19 में मुख्य राजकोषीय अवयव

(प्रतिशत में)

राजकोषीय अवयव	2018-19			वास्तविक
	राज्य के लिए 14 ^{वें} वि. आ. का लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी. विवरणों में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य (+)	शून्य	(+)2.23	(+) 2.62	(+)1.79
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजकोषीय घाटा	3.25	2.61	2.11	2.16
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	26.31	29.74	-	27.20

वर्ष 2006-07 में राज्य ने राजस्व घाटा को समाप्त कर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर राजस्व घाटा को, वर्ष 2014-15⁵ के अलावा, राजस्व आधिक्य में परिवर्तित कर लिया। 2018-19 में ₹ 5,521 करोड़ का राजस्व आधिक्य पिछले दो राजकोषीय उपलब्धियों से काफी अधिक था। जबकि, स.रा.घ.उ. (1.79 प्रतिशत) के प्रतिशत के रूप में, यह एम.टी.एफ.पी. अनुमान (2.23 प्रतिशत) और बजट अनुमान (2.62 प्रतिशत) की तुलना में कम था।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 6,629 करोड़) वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ का 2.16 प्रतिशत था, जो चौ.वि.आ. द्वारा 3.25 प्रतिशत की अनुशंसित सीमा से बहुत कम था। इसके अलावा, राजस्व घाटा-स.रा.घ.उ. का अनुपात एम.टी.एफ.पी. के अंतर्गत लक्ष्य के अनुमान से कम और वर्ष के बजट अनुमान से थोड़ा अधिक था।

2018-19 के दौरान, राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 27.20 प्रतिशत था जो एम.टी.एफ.पी. अनुमान (29.74 प्रतिशत) से कम और चौ.वि.आ. अनुशंसा (26.31 प्रतिशत) से अधिक था।

वैसे तो राज्य ने ₹ 5,520.97 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया लेकिन वह ₹ 953.92 करोड़ से अत्योक्ति था। इसी प्रकार ₹ 6,628.74 करोड़ का राजकोषीय घाटा ₹ 953.92 करोड़ से न्यूनोक्ति रहा जैसा कि कंडिका 3.9 में दर्शाया गया है।

⁵ ₹ 230 करोड़ का राजस्व घाटा

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजस्व घाटा राज्य के राजस्व एवं अऋण प्राप्तियों के उपर (मुख्यतः रिजर्व बैंक के साथ नकद एवं निवेश शेषों तथा उधार) राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) के अधिकता को पूर्ण करने की वित्तीय आवश्यकता को दर्शाता है।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका .16: राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		
	राजकोषीय घाटे का संयोजन (कोष्ठक में दिये गए आँकड़े स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता दर्शाती है)	6,564 (3.00)	11,523 ⁶ (5.58)	10,192 (4.31)	11,933 (4.32)	6,629 (2.16)		
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	(-)230	4,085	1,965	1,804	5,521		
2	निवल पूँजीगत व्यय ⁷	5,543	8,159	10,861	11,928	10,712		
3	निवल ऋण एवं अग्रिम ⁸	791	7,449	1,296	1,809	1,438		
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप						प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिये गये उधार	4,488	4,755	4,725	4,807	5,509	1,486	4,023
2	भारत सरकार से ऋण	(-)5	(-)2	77	71	273	167	106
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूति	335	573	(-)733	(-)746	0	757	(-)757
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-)8	5,673	934	1,054	2,021	650	1,371
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	(-)202	(-)159	(-)121	66	1,120	1,051	69
6	आरक्षित निधि	275	10	383	292	421	42	379
7	जमा एवं अग्रिम	1,093	2,111	5,031	4,722	12,879	11,383	1,496
8	उचंत एवं विविध	(-)13	17	(-)30	(-)224	39	(-) 88	127
9	प्रेषण	(-)238	1	(-)30	93	10,648	10,588	60
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	841	(-)1,461	(-)43	1,798	550	795 ⁹	(-)245

* ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान, 2018-19 को छोड़कर, निवल संवितरण/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 6,629 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 4,023 करोड़) और जमा एवं अग्रिम (₹ 1,496 करोड़) एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 1,371 करोड़) से किया गया।

⁶ उदय बॉन्ड (₹ 5,553.37 करोड़) पर उधार सम्मिलित है। उदय बॉन्ड पर उधार छोड़कर 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 5,970 करोड़ था।

⁷ अऋण पूँजीगत व्यय घटाव अऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ

⁸ ऋण एवं अग्रिम घटाव वसूली

⁹ वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 23.07.2019 की पत्र सं.- 554 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिवेदन में राज्य आपदा कोष में ₹ 400 करोड़ के निवेश सहित संशोधित

1.1.2.2 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

आदर्श रूप में, राज्य का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान सहित) राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक में जमा से उधार लेकर तथा निकासी से किया जाता है, वहीं राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय हेतु उपयोग में लाया जा सकता है ताकि रिजर्व बैंक जमा (रि.बैं.ज.) से उधार लेने व निकासी की आवश्यकता कम हो। अग्रतर, यदि गैर-ऋण प्राप्तियों से प्राथमिक व्यय¹⁰ पूरा हो सके तो उधार लेकर वित्तपोषित करने हेतु कोई भी प्राथमिक घाटा नहीं होगा। अतः, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि वृद्धिशील प्राथमिक व्यय और वृद्धिशील ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त होनी चाहिए।

तालिका 1.7: राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा ¹¹ (-)/आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2014-15	31,598	28,866	5,543	824	35,233	(+)2,732	(-)3,635
2015-16	40,669	33,233	8,159 ¹²	7,480	48,872	(+)7,436	(-)8,203
2016-17	47,093	40,917	10,861	1,335	53,113	(+)6,176	(-)6,020
2017-18	52,824	46,290	11,953	1,852	60,095	(+)6,534	(-)7,271
2018-19	56,199	45,779	10,712	1,485	57,976	(+)10,420	(-)1,777

स्रोत: संबंधित वर्षों का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.7 से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की गैर-ऋण प्राप्ति में ₹ 3,375 करोड़ (6.4 प्रतिशत) वृद्धि तथा प्राथमिक राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 511 करोड़ (1.10 प्रतिशत) और ₹ 1,241 करोड़ (10.38 प्रतिशत) कमी के कारण प्रारंभिक घाटा में कमी आयी है। प्रारंभिक राजस्व व्यय में कमी एवं गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण, वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य को ₹ 10,420 करोड़ के प्राथमिक राजस्व आधिक्य हुआ ।



1.1.2.3 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.1 एवं चार्ट 1.2 वर्ष 2014-19 अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

¹⁰ राजस्व, पूँजीगत और ऋण एवं अग्रिम पर व्यय, परंतु ब्याज अदायगी में नहीं।

¹¹ प्राथमिक राजस्व घाटा ब्याज रहित राजस्व व्यय और अऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर है और यह दर्शाता है कि अऋण प्राप्तियाँ राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए किस हद तक उपयुक्त है।

¹² उदय बॉन्ड के ऋण (₹ 5,553.37 करोड़) को सम्मिलित करते हुए।



मुख्यतः मूल बजट अनुमानों (सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 6,066 करोड़ रुपये और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 4,909 करोड़ रुपये) की तुलना में कम राजस्व व्यय के कारण 2018-19 में ₹ 5,521 करोड़ का राजस्व आधिक्य रहा।

2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 12.12 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 6.44 प्रतिशत मुख्यतः भारत सरकार से सहायता अनुदान में कमी के कारण रहा। इसके बावजूद राज्य का राजस्व 2017-18 के दौरान 8.30 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष में 13.90 प्रतिशत रहा।


राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 13 प्रतिशत था जो 2018-19 में 0.6 प्रतिशत ऋणात्मक रहा जिसके परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान राजस्व आधिक्य में वृद्धि हुई। राजस्व व्यय की निम्नतर वृद्धि दर जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप, ऊर्जा इत्यादि जैसी सेवाओं पर कम व्यय के कारण था।

अनुशंसा: सरकार को विकास सेवाओं जैसे शिक्षा, जल आपूर्ति स्वच्छता, सामाजिक कल्याण, कृषि इत्यादि के प्रावधानों की पूर्ण उपयोगिता को सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि बजट दस्तावेजों में अनुमानित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या आकलनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। राजस्व एवं व्यय के आकलन में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन, कई कारणों से जो सरकार के नियंत्रणाधीन व नियंत्रण से बाहर दोनों प्रकार के हैं, अपेक्षित राजकोषीय लक्ष्यों की अप्राप्ति और गैर-अनुकूलन के सूचक हैं।

चार्ट 1.3 2018-19 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड हेतु बजट अनुमान तथा वास्तविक आँकड़ों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरणी और वित्त लेखे 2018-19

टिप्पणी: कर राजस्व में संघीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय दोनों, वर्ष 2018-19 हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों से काफी कम थी। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ अपने बजट अनुमान से ₹ 13,426 करोड़ से कम थी, जो मुख्य रूप से निजी कर राजस्व में ₹ 4,598 करोड़ और भारत सरकार के जी.आई.ए. एवं सी.टी.टी. द्वारा बजट अनुमान के विरुद्ध क्रमशः ₹ 4,614 करोड़ तथा ₹ 3,094 करोड़ कम संग्रहण के कारण था।

बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय में (₹ 10,892 करोड़ तक) की कमी आयी है, जो मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं पर (₹ 6,066 करोड़ तक) और आर्थिक सेवाओं पर (₹ 4,909 करोड़ तक) कम खर्च के कारण था।


वर्ष के दौरान, राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमानों से ₹ 2,356 करोड़ कम था, जो मुख्य रूप से प्रावधान के विद्व आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं पर कम खर्च के कारण था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने के उपक्रम को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविक के बीच की खाई को पाटा जाए।


1.2 राज्य के संसाधन


उपर पृष्ठ 2 में तालिका 1.2 और चार्ट 1.4 से चार्ट 1.6 राज्य के आर्थिक संसाधनों के विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वित्तीय लेखाओं में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19






स्रोत : झारखण्ड सरकार के वर्ष 2017-18 व 2018-19 के वित्त लेखे

कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा (रा.प्रा./कु.प्रा.) पाँच प्रतिशत बढ़ा, जबकि कुल प्राप्तियों में लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में पाँच प्रतिशत कम रहा। कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 2017-19 के दौरान समान रहा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-19 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और संयोजन परिशिष्ट 1.3 एवं चार्ट 1.7 में प्रस्तुत किए गए हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

यद्यपि पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष, राज्य के अपने राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो भारत सरकार (सी.टी.टी. एवं जी.आई.ए.) द्वारा प्राप्त राजस्व से कम था। इसके अलावा, जी.आई.ए. में जो सारभूत (₹ 2,176 करोड़) कमी थी। वह सी.टी.टी. (₹ 2,762 करोड़) में मुख्य वृद्धि के कारण पूरी हुई।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.8 में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.8: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	31,565	40,638	47,054	52,756	56,152
रा.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	20.77	28.74	15.79	12.12	6.44
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.44	19.67	19.92	19.10	18.26
राज्य का स्वयं का कर/स.रा.घ.उ.	4.74	5.56	5.65	4.84	4.80
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर	15.89	(-)5.45	14.34	16.93	11.34
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर	12.49	(-)6.25	14.46	12.65	6.99

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है वर्ष 2015-16 से आगे राजस्व प्राप्ति के वृद्धि दर में निरंतर कमी आयी है। हालांकि, स.रा.घ.उ. की तुलना में इसके अनुपात में वर्ष 2015-19 के दौरान स.रा.घ.उ. की वृद्धि में उतार-चढ़ाव के कारण कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखा।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14^{वें} वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में 2018-19 हेतु राज्य के वास्तविक स्वयं का कर और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

	(₹ करोड़ में)		
	14 ^{वें} वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	22,187	19,350	14,752
कर-भिन्न राजस्व	5,717	9,213	8,258
स्व कर राजस्व से स.रा.घ.उ.	7.37	6.29	4.80

स्रोत: 14^{वें} वि. आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज तथा 2018-19 का वित्त लेखे

14^{वें} वित्त आयोग आकलन और बजट अनुमानों के विरुद्ध स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्यतः जी.एस.टी (₹ 2,535 करोड़) और मूल्य वर्धित कर (₹ 1,475 करोड़) के संग्रह में कमी की कारण थी। कर-भिन्न राजस्व में कमी, बजट अनुमानों की तुलना में गैर-खनन एवं धातु कर्म उद्योगों (₹ 1,227 करोड़) से राजस्व के संग्रह में कमी के कारण थी। हालांकि, जी.एस.टी के संग्रह में कमी की भरपाई भारत सरकार द्वारा विस्तृत अनुदान के रूप में आंशिक रूप से मुआवजा के रूप में दी गई राशि से हुई जैसा कि कंडिका 1.3.3 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

1.3.1.1 कर-राजस्व

प्रमुख करों और शुल्कों के सकल संग्रहण तालिका 1.10 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सी.ए.जी. आर.*	2018-19 में संग्रहण पर व्यय (प्रतिशत)	संग्रहण पर व्यय (2017-18) (प्रतिशत)	2017-18 में संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत
बिक्री, व्यापार पर कर, एस.जी.एस.टी.** इत्यादि	8,070	8,999	10,549	9,839	11,676	9.67	0.71	0.64	0.69
राज्य उत्पाद	740	912	962	841	1,083	9.99	2.03	2.35	1.83
वाहनों पर कर	660	633	682	778	864	6.97	0.78	0.82	2.61
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	531	532	607	469	451	(-) 4.00	3.54	3.63	2.96
भू-राजस्व	84	164	240	156	389	46.70	5.56	-	-
विद्युत कर तथा शुल्क	175	126	152	184	209	4.49	-	-	-
आय पर अन्य कर तथा व्यय	57	83	68	74	79	8.32	-	-	-
सामग्रियों एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	33	30	40	13	1	(-)54.63	-	-	-
सामग्रियों एवं यात्री पर कर	1	0	0	0	0	-	-	-	-
कुल कर राजस्व	10,351	11,479	13,300	12,354	14,752	-	-	-	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

* सी.ए.जी.आर.: चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

** एस.जी.एस.टी.: राज्य वस्तु एवं सेवा कर

पिछले वर्ष में 7.11 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 19.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, भारत सरकार ने जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानि के मुआवजे के रूप में राज्य को ₹ 1,029 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जैसा कि कंडिका 1.3.3 में वर्णित है। वर्ष 2018-19 के दौरान गोदामों से खुदरा दुकानों में ले जाने वाली मदिरा के परिवहन शुल्क में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 242 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यतः नए कर ढाँचे की शुरुआत के कारण वाहनों पर कर के तहत प्राप्तियों में ₹ 86 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रेलर, मशीनरी से सुसज्जित वाहन, थ्री व्हीलर (पैसेंजर) और थ्री व्हीलर (माल) वाहनों को एक मुश्त कर सीमा के तहत लाया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान

विभिन्न कंपनियों, संस्थानों, प्राधिकारियों आदि को सरकारी भूमि के हस्तांतरण के कारण राज्य के भू-राजस्व में ₹ 233¹³ करोड़ की वृद्धि हुई।

स्वयं के कर संग्रहण पर व्यय

जैसा कि तालिका 1.10 में दर्शाया गया है, 2018-19 के दौरान राज्य में करों के संग्रह की लागत पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.टी. सहित बिक्री कर को छोड़कर सभी करों के मुकाबले कम हुई है। 2018-19 के दौरान, अखिल भारतीय औसत की तुलना में स्टाम्प पंजीकरण और राज्य उत्पाद शुल्क कि लिए राज्य में करों के संग्रह की लागत काफी अधिक थी, जबकि वाहन पर करों के संबंध में यह कम था।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.)

वर्ष 2018-19 के दौरान संग्रह किए गए कर-भिन्न राजस्व 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा उस वर्ष हेतु ₹ 5,217 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध ₹ 8,258 करोड़ रुपये थे परन्तु ₹ 9,213 करोड़ के बजट अनुमान से कम था जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

2014-19 के दौरान संग्रह किए गए घटक-वार कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: घटक-वार कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,473.00	4,384.43	4,094.25	5,941.36	5,934.64
शिक्षा, खेलकूद, कला, तथा संस्कृति	42.25	19.99	21.10	19.46	589.92
मुख्य सिंचाई	194.97	19.27	21.02	131.46	320.51
ब्याज प्राप्तियाँ	143.04	122.44	121.34	168.88	47.20
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ ¹⁴	481.80	1,306.89	1,093.70	1,585.51	1,365.71
कुल	4,335.06	5,853.02	5,351.41	7,846.67	8,257.98

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में एन.टी.आर. का हिस्सा वर्ष 2017-18 में 14.87 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 2018-19 में 14.71 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों में एन.टी.आर. की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 46.64 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 5.24 प्रतिशत थी। यह मुख्यतः अलौह खनन और धातुकर्म उपयोगों में कम वृद्धि एवं पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्तियों में कम संग्रह के कारण था। वर्ष 2017-18 के दौरान

¹³ कुछ मुख्य जमाकर्ता नजारत सेक्सन, देवघर (₹ 51.87 करोड़), सी.ई.ओ. मैथन पावर लिमिटेड (₹13.24 करोड़), राहुल जी आनंद जी (₹ 6.49 करोड़), ए.सी., दुमका (₹ 9.31 करोड़) इत्यादि हैं।

¹⁴ शहरी विकास, सड़क एवं पुल, श्रम एवं नियोजन, अन्य प्रशासनिक सेवायें, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मध्यम सिंचाई इत्यादि।

ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि बैंक खातों में पड़े योजना निधि के अप्रयुक्त शेष के कारण हुई जोकि वर्ष 2018-19 के दौरान काफी काफी घट गई। जबकि शिक्षा, खेल एवं संस्कृति शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों में 2,931.40 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा से प्राप्तियों में वृद्धि एवं सहायता अनुदान के अप्रयुक्त शेष की वसूली के कारण हुई। इसी प्रकार मुख्य सिंचाई से प्राप्तियों में 143.08 प्रतिशत की वृद्धि सहायता अनुदान के अप्रयुक्त शेष की वसूली के कारण हुई।

सहायता अनुदान के अप्रयुक्त शेष की वसूली को अनियमित तरीके से प्राप्त शीर्ष के तहत जमा करने के संबंधी मामले की चर्चा कंडिका 1.3.5 में की गई है।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता-अनुदान

भारत सरकार द्वारा सहायता-अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.12: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 ¹⁵	2018-19 ¹⁰
गैर-योजना अनुदान	1,780.26	1,685.82	1,875.29	-	-
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	4,914.69	4,950.18	6,792.89	-	-
केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	83.56	50.90	78.01	-	-
केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	614.17	650.74	515.16	-	-
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	-	-	-	7,985.24	6,996.85
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	1,583.03	1,059.89
अन्य अनुदान	-	-	-	1,844.02	1,178.78
कुल	7,392.68	7,337.64	9,261.35	11,412.29	9,235.52
पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	82.00	(-)0.74	26.21	23.22	(-)19.07
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	23.42	18.06	19.68	21.63	16.45

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जैसे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 528 करोड़), स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) (₹ 249 करोड़) और स्थानीय निकायों की मूल अनुदान (₹ 538 करोड़) के लिए कम अनुदान मिलने के कारण वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के अनुदान ₹ 11,412.29 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹ 9,235.52 करोड़ हुई है।

¹⁵ 2017-18 के पश्चात भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से संबंधित उप-मुख्य शीर्ष एवं उसकी व्याख्या बदल गई। अतः, यह तालिका में अलग से दर्शाया गया है।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

विगत पाँच वर्षों के केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.13 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 1.13: केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सी.ए.जी.आर.
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.)	9,487	15,969	19,142	21,144	23,906	25.99
राजस्व प्राप्तियों में सी.टी.टी. का अंश	30.06	39.30	40.68	40.08	42.57	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के सापेक्ष 2018-19 में सी.टी.टी. में वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 5,601 करोड़) तथा कॉरपोरेशन टैक्स (₹ 1,838 करोड़) के अंतरण के कारण था। 2017-18 में 40.08 प्रतिशत के विरुद्ध 2018-19 के दौरान सी.टी.टी. राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 42.57 प्रतिशत था।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार केंद्र सरकार पाँच वर्ष के लिए राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को मुआवजा देगी। राज्यों के देय मुआवजे की गणना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंकेक्षित अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। जी.एस.टी. में आत्मसात करों का एक आधार वर्ष (2015-16) राजस्व आँकड़ा जी.एस.टी. अधिनियम के तहत तय किया गया। झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 6,410.51 करोड़ था। किसी भी वर्ष हेतु एक राज्य में अनुमानित राजस्व उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू कर निकाला जाएगा।

वर्ष 2018-19 का अनुमानित राजस्व आधार वर्ष के आँकड़े के अनु' प ₹ 9,497.45 करोड़ था जिसके वि' द्ध 2018-19 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 8157.62¹⁶ करोड़ था। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व संग्रहण को सुरक्षित करने हेतु ₹ 1,029 करोड़ का क्षतिपूर्ति प्रदान किया। हालाँकि, फरवरी तथा मार्च 2019 से संबंधित क्षतिपूर्ति 2018-19 प्रदान नहीं किया गया। अतः, अनुमानित राजस्व ₹ 9497.46 करोड़ के विरु' द्ध एस.जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी. संग्रहण और क्षतिपूर्ति ₹ 9186.62 करोड़ था जिसके कारण ₹ 310.84 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

¹⁶ एस.जी.एस.टी.: ₹ 7171.72 करोड़ एवं आई.जी.एस.टी. का अस्थायी आवंटन ₹ 985.90 करोड़ को सम्मिलित

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का अग्रिम संविभाजन और वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे के विद्व इसका समायोजन

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों के बीच एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का संविभाजन भारत सरकार को करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 985.90 करोड़ के संविभाजन का अनंतिम/अग्रिम भुगतान इस शर्त पर संस्वीकृत किया (मार्च 2019) कि यह राशि भविष्य आई.जी.एस.टी. भुगतान में समायोजित होगी।

1.3.4 बकाया राजस्व

31 मार्च 2019 तक, राजस्व के संग्रह में ₹ 6,522.67 करोड़ (वाणिज्य कर विभाग एवं भ-राजस्व विभाग) बकाया था, जिसमें से ₹ 1,469.97 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। अग्रतर, ₹ 1,802.90 करोड़ न्यायालय तथा अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था। अन्य विभागों से राजस्व बकाया संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (फरवरी 2020)। 31 मार्च 2019 को कुल राजस्व बकाया 2017-18 के दौरान 31.47 प्रतिशत के विरुद्ध राज्य के अपने संसाधनों का 28.35 प्रतिशत था।

1.3.5 लघु शीर्ष - 913 के अंतर्गत अनियमित जमा

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व शीर्ष के तहत 37 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लघु शीर्ष '913- सहायता अनुदान के अप्रयुक्त शेष की वसूली' के तहत ₹ 1403.12 करोड़ (सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष और अप्रयुक्त योजना निधि) जमा की गई। इस प्रकार जमा किये गये राशि का केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना में विभाजन उपलब्ध नहीं था। जमा की गई राशि वास्तविक राजस्व नहीं होने के कारण राजस्व प्राप्ति में शामिल करने से राज्य का राजस्व अधिक्य उस स्तर तक अत्योक्त हुआ।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त, राज्य ने पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त किया, जिसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की वसूली, वित्तीय संस्थानों से सरकार के आंतरिक उधार तथा भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं। 2014-19 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.14 में दिये गये हैं।

तालिका 1.14 : वृद्धि की प्रवृत्तियाँ और प्राप्तियों का संयोजन

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ.प्रा.)	6,723.00	13,276.00	7,120.00	8,204.00	7,851
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	25.00 ¹⁷	0.00
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	33.00	31.00	38.00	42.00	47.47
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,690.00	13,245.00	7,081.00	8,137.00	7,804
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	42.30	98.00	(-47.00)	15.00	(-4.10)
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	43.48	(-6.06)	22.58	76.32	(-29.00)

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ 4 प्रतिशत तक मुख्यतः बाजार ऋण में कम उधार के कारण कम हुईं। उज्जवल ऊर्जा अश्योरेंस योजना (उदय) बॉण्ड के अंतर्गत ₹ 5,553.37 करोड़ एकमुश्त उधार लेने के कारण 2015-16 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ काफी अधिक थीं। 2015-16 के बाद उदय बॉण्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया था।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ

विगत पाँच वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों एवं की गयी वसूलियों के विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं :

तालिका 1.15: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋणों का आरंभिक शेष	7,947	8,738	16,187	17,482 ¹⁸	19,292
दिये गये ऋण	824	7,480	1,335	1,852	1,485
की गई वसूली	33	31	39	42	47
ऋणों का अंतिम शेष	8,738	16,187	17,483	19,292	20,730

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों का प्रमुख प्राप्तकर्ता ऊर्जा कम्पनियाँ थी, लेकिन इन कंपनियों द्वारा कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया, जिससे 31 मार्च 2019 के अंत में ₹ 19,857.29 करोड़ का बकाया हो गया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का जनवरी 2014 में विभाजन से पूर्व ₹ 7,222.18 करोड़ का बकाया था जिसे अंतिम निष्पादन हेतु सरकारी खाते में रखा गया था जो ऊर्जा कम्पनी के कुल बकाया ऋण में शामिल था। 2018-19 के दौरान, दो¹⁹ ऊर्जा कम्पनी को ₹ 1,413.09 करोड़ का नया ऋण दिया गया। उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ₹ 47 करोड़ की वसूली मुख्य रूप से सरकारी सेवकों को दिए गए ऋण व अग्रिमों से थी।

¹⁷ 2017-18 के दौरान परिसंपत्तियों के विनिवेश के कारण ₹ 25 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ थी।

¹⁸ पूर्णांक किये जाने के कारण समायोजित।

¹⁹ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 659.41 करोड़ और झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड: ₹ 753.68 करोड़

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2014-19 के दौरान ₹ 6,537 करोड़ तथा ₹ 7,531 करोड़ के बीच घटता-बढ़ता रहा। वर्ष 2015-16 के दौरान यह उदय बॉन्ड पर लिए गए उधार के कारण ₹ 13,080 करोड़ था। वर्ष 2015-16 के बाद उदय बॉन्ड पर राज्य द्वारा कोई कर नहीं दिया गया।

तालिका 1.16: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार का आंतरिक ऋण	6,537	13,080	6,847	7,905	7,531 ²⁰
कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	19,809	33,843	19,193	25,205	22,224
कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के प्रतिशत के रूप में	33.00	38.65	35.67	31.36	33.88

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य द्वारा निवेशों पर प्रतिफल की तुलना में उच्चतर ब्याज दर पर लिये गये उधार के प्रभाव की चर्चा कंडिका 1.8.3 में की गई है।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

लोक लेखाओं के लेन-देन राज्य विधानसभा के वोट का विषय नहीं होते हैं। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के लोक लेखाओं का शेष तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: लोक लेखा प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक लेखा प्राप्तियाँ	20,189	29,037	22,052	27,833	25,410
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	843	830	873	1,016	1,120
आरक्षित निधि	308	522	453	401	421
जमा व अग्रिम	12,182	19,499	11,145	16,020	13,182
उचंत तथा विविध	18	161	300	-163	39
प्रेषण	6,838	8,025	9,281	10,559	10,648

स्रोत झारखण्ड :सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान जमा और अग्रिम में कमी मुख्य रूप से उर्जा कंपनियों के व्यक्तिगत बही खातों के क्रेडिट में उल्लेखनीय कमी के कारण राज्य बिजली बोर्ड कार्यकारी निधि (₹ 2,145 करोड़ से) के रूप में दर्ज की गई थी।

²⁰ मुख्य शीर्ष- 6003 के अंतर्गत बाजार ऋण ₹ 5,509 करोड़, वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण ₹ 2,022 करोड़ लेखाबद्ध किया गया।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

व्यय के संयोजन एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 विगत पाँच वर्षों (2014-19) में कुल व्यय की प्रवृत्तियों तथा इसके संयोजन को दर्शाता है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.6.1 पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)

पूँजीगत व्यय में वर्ष 2014-18 के दौरान नियमित वृद्धि हुई लेकिन 2018-19 में कुल ₹ 1,241 करोड़ की कमी पाई गई जो ₹ 11,953 करोड़ से घटकर ₹ 10,712 करोड़ हुई।

पूँजीगत व्यय का वृहत हिस्सा आर्थिक सेवाओं (₹ 8,305 करोड़) पर था। परिवहन (₹ 3,871 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 2,461 करोड़) और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,476 करोड़) पर व्यय को प्राथमिकता दी गई। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में, परिवहन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूँजीगत व्यय में वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 1,271 करोड़ तथा ₹ 213 करोड़ की कमी हुई। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर पूँजीगत व्यय में भी पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 217 करोड़ की कमी हुई है।

देखा गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत अनुभाग में आबंटन (₹ 12,306 करोड़) 2017-18 के दौरान आबंटन (₹ 12,738 करोड़) से ₹ 432 करोड़ से कम था। वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत अनुभाग में कुल आबंटन में से ₹ 1,594 करोड़ अप्रयुक्त था। बचत का प्रमुख भाग स्वर्णरेखा परियोजना (₹ 440 करोड़), छोटानागपुर और संथाल परगना सिंचाई परियोजना (₹ 137 करोड़), लधु सिंचाई परियोजना (₹ 153 करोड़), देवघर एयरपोर्ट के विकास एवं विमानपथ के निर्माण एवं विस्तारीकरण (₹ 75 करोड़) से संबंधित था।

1.6.2 राजस्व व्यय (रा.व्य.)

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय (रा.व्य.) की कुल व्यय से प्रतिशतता लगभग एक समान ही रहा, जो वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया। तथापि, राजस्व व्यय में स.रा.घ.उ. के प्रतिशत में वर्ष 2017-18 में 18.44 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 16.46 प्रतिशत हो गयी।

2018-19 के दौरान ₹ 50,631 करोड़ के कुल राजस्व व्यय में से ₹ 26,648 करोड़ स्थापना पर खर्च किए गए और ₹ 23,983 करोड़ राज्य और केंद्र की योजनाओं पर खर्च किए गए।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। तालिका 1.18 और चार्ट 1.7, 2014-19 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।


तालिका 1.18: वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वेतन ²¹ और मजदूरी, जिसमें	7,417(24)	8,218(20)	8,927 (19)	11,221(21)	12,138(21)
गैर योजना शीर्ष	7,193(23)	7,943(19)	8,649 (18)	10,790(20)	11,682(20)
योजना शीर्ष	224(1)	275(1)	278(1)	431(1)	456(1)
ब्याज भुगतान	2,929(9)	3,320(8)	4,172(9)	4,662(9)	4,852(9)
पेंशन	3,463(11)	3,990(10)	4,135(9)	5,913(11)	5,991(11)
सब्सिडी	246(1)	522(1)	1,859(4)	1,440(3)	2,092(4)
कुल	14,055(45)	16,050(39)	19,093(41)	23,236 (44)	25,073(45)

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

²¹ इसमें सहायता-अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वेतन

वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 12,138 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 4,852 करोड़) और पेंशन (₹ 5,991 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 45.39 प्रतिशत लेखापित किया गया और यह राजस्व प्राप्तियों का 40.93 प्रतिशत था।

पेंशन

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नवीन पेंशन योजना (न.पें.यो.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करते हैं जिसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जाती है और सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय सुरक्षा भंडार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित की जाती है।

2018-19 के दौरान, कर्मचारी अंशदान के रूप में ₹ 427.31 करोड़ एन.एस.डी.एल में अंतरित किया गया। राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान एन.एस.डी.एल. में कर्मचारियों के योगदान के रूप में ₹ 426.55 करोड़ की कुल प्राप्ति में से ₹ 425.66 करोड़ हस्तांतरित किए और 2018-19 के अंत में सार्वजनिक खाते में ₹ 12.64 करोड़ का संतुलन छोड़ दिया (मुख्य शीर्ष 8342-117-परिभाषित योगदान पेंशन योजना) कर्मचारियों के योगदान के कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को रा.पें.यो. के तहत एनएसडीएल द्वारा निवेशित शेष राशि उनके हक से वंचित कर दी गई है।

ब्याज भुगतान

पिछले वर्ष के सापेक्ष ब्याज भुगतान की वृद्धि दर 2017-18 में 11.70 प्रतिशत के विरुद्ध 4.10 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान, वर्ष 2017-18 (8.84 प्रतिशत) एवं 2018-19 (8.64 प्रतिशत) में एक समान ही रहा जो एफ एफ सी द्वारा 8.32 प्रतिशत की अनुशंसा से कुछ अधिक था। 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का नौ प्रतिशत था। 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.19 में दिये गये हैं:

तालिका 1.19: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

ऋण के घटक	31 मार्च 2018 को बकाया दायित्व	2017-18		31 मार्च 2019 को बकाया दायित्व	2018-19	
		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में
आंतरिक ऋण	48,682.31	4,330.05	8.89	53,799.09	4,494.03	8.35
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,162.28	116.18	5.37	2,232.86	123.20	5.52
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,075.67	213.68	19.86	1,142.18	224.82	19.68
अन्य	14,906.70	1.77	0.01	19,920.91	9.92	0.05
कुल	66,826.96	4,661.68	6.98	77,095.04	4,851.97	6.29

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

सब्सिडी

वर्ष 2017-18 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्य शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति (₹ 926 करोड़), 2801- पावर (₹ 595 करोड़) और 2401- फसल पैदावार (₹ 354 करोड़) के लिए ₹ 2,092²² करोड़ सब्सिडी के रूप में दिए। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान सब्सिडी में ₹ 652 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ सब्सिडी के कारण थी। सिंचाई के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी गई।

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

2018-19 के दौरान, राज्य योजना (रा.यो.) अंतर्गत 35 मुख्य विशेष कार्यक्रमों के लिए ₹ 11,631.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध ₹ 11,202.06 करोड़ का उपयोग किया गया। केंद्रीय योजना (कें.यो.) के अंतर्गत, वर्ष हेतु किये गये ₹ 9,084 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 9,239 करोड़ का उपयोग किया गया।

²² वित्त लेखा 2018-19 का परिशिष्ट-II

वर्ष 2018-19 के दौरान रा.यो. तथा कें.यो. के अंतर्गत कुछ वृहत कार्यक्रमों पर हुए बजट प्रावधानों एवं वास्तविक व्यय तालिका 1.20 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.20: वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रमों के नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1	मुख्य सड़कें	2,742.80	2,733.15
2	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम -ग्रामीण सड़कों का निर्माण	1,417.64	1,404.86
3	संचरण हेतु झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण	753.68	753.18
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	694.00	694.00
5	प्राथमिक घरेलू योजनाएँ	473.64	473.64
6	ग्रामीण स्वच्छता	469.72	331.47
7	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	425.38	425.38
8	ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	371.64	371.64
केन्द्रीय योजना			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	248.15	248.15
2	शहरी कायाकल्प मिशन (सी.एस.एस.)	94.59	94.59
3	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	85.60	85.60
4	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	43.89	43.89

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखा 2018-19 का परिशिष्ट-V

1.6.5 वित्तीय सहायता

2014-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान के विवरण तालिका 1.21 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.21: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पं.रा.सं.)	3,378.42	3,407.48	2,533.77	1,270.13	2,937.69
शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)	1,619.77	1,830.77	2,961.14	1,155.11	1,748.50
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3,643.86	3,987.54	0.00	0.00	0.00
स्वायत्त निकाय	2,512.95	5,480.60	7,942.59	11,431.05	8,853.25
गैर-सरकारी संस्थाएँ	684.99	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	564.03	184.53	6,894.52	6,857.70	4,436.37
कुल	12,404.02	14,890.92	20,332.02	20,713.99	17,975.81
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	39.01	40.74	45.09	40.65	35.50

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे का विवरणी-10

वर्ष 2018-19 के दौरान पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता ₹ 1,667.56 करोड़ से बढ़ा जो मुख्यतः 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर सामान्य मूलभूत अनुदान के लिए ₹ 604.12 करोड़ की सहायकता एवं एम.एन.पी के तहत पी.एम.जी.एस.वाई. के उन्नयन एवं सुदृढीकरण के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान के कारण था। वर्ष के दौरान यू. एल. बी. को सहायता अनुदान में

वृद्धि मुख्यतः जल आपूर्ति, नाली निर्माण और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन (₹ 535 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

1.6.5.1 शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)

राज्य में 50 श.स्था.नि. (नगर निगम-9, नगर परिषद-21, नगर पंचायत-19, तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-1) हैं। श.स्था.नि. को उपलब्ध करायी गयी निधियों के विवरण निम्न तालिका 1.22 में दिये गये हैं:

तालिका 1.22: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	31,565	40,638	47,054	52,756	56,152	2,28,16
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	31,795	36,553	45,089	50,952	50,631	2,15,02
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	1,620	1,831	2,961	1,155	1,749	9,316
वित्तीय सहायता राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में	5.13	4.51	6.29	2.19	3.11	4.08
वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत में	5.10	5.01	6.57	2.27	3.45	4.33
स्वयं का संग्रह ²³	8.96	14.99	60.09	184.55	240.46 ²⁴	509.05

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

द्वितीय राज्य वित्त आयोग (दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2014) ने शहरी स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण करने के संबंध में कोई अनुशंसा नहीं किया था। तृतीय राज्य वित्त आयोग (जनवरी 2014 से जनवरी 2019) ने इस संबंध में कोई अंतरिम अनुशंसा नहीं किया है। शहरी विकास विभाग ने 'झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 (परिशिष्ट 1.4 भाग-क) के अंतर्गत दिये गये 18 कार्यों तथा शक्तियों के हस्तांतरण पर किये गये कई लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है।

राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सौंपा है (अक्टूबर 2011)। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित कर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखापरीक्षा करने का प्रावधान किया गया जिन्हें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टी.जी.एस. उपलब्ध कराना अपेक्षित था।

²³ नगर विकास विभाग द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी। तथापि, विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान सूचना प्राप्त की गयी।

²⁴ नगर विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की अपने स्रोतों से संग्रहित निधियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी। हालाँकि, 42 शहरी स्थानीय निकायों की सी. ए. प्रतिवेदन से सूचना प्राप्त की गई। तथापि 8 शहरी स्थानीय निकायों बचरा नगर पंचायत, बड़कीसराय नगर पंचायत, बासुकीनाथ नगर पंचायत, छत्तरपुर नगर पंचायत, डोमचक नगर पंचायत, गोमिया नगर पंचायत, हरिहरगंज नगर पंचायत, महगामा नगर पंचायत की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए राज्य सरकार ने 22 पद सृजित (मार्च 2013) किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. नियुक्त किया। अगस्त 2016 में डी.एल.एफ.ए. ने सूचित किया कि तीन उप लेखानियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डी.एल.एफ.ए. ने पुनः सितम्बर 2016 में यह भी सूचित किया कि वे शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित कर रहे हैं। तथापि, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) नमूना जाँच के आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान 11 शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा की गई। इसके अलावा, तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण व्यवस्था के तहत डी.एल.एफ.ए की निरीक्षण प्रतिवेदन का सत्यापन किया गया तथा अनुपालना के अनुरोध के साथ निदेशक डी.एल.एफ.ए को सुझाव दिए गए (अप्रैल 2019)। जवाब 31 जनवरी 2010 तक प्रतीक्षित है।

1.6.5.2 पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य में 4,689 पंचायती राज संस्थाएँ²⁵ हैं। 2014-19 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को जारी निधियों के विवरण नीचे तालिका 1.23 में दिये गये हैं।

तालिका 1.23: पंचायती राज संस्थानों को जारी निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	31,565	40,638	47,054	52,756	56,152	2,28,165
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	31,795	36,553	45,089	50,952	50,631	2,15,020
पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता	3,378	3,407	2,534	1,270	2,938	13,527
वित्तीय सहायता रा.प्रा. के प्रतिशत में	10.70	8.38	5.39	2.41	5.23	5.93
वित्तीय सहायता रा.व्य. के प्रतिशत में	10.62	9.32	5.62	2.49	5.80	6.29

स्रोत संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि परिशिष्ट 1.4 भाग-ख में दर्शाया गया है। कुल नियत 29 कार्यों में से 16 कार्यों को अगस्त 2015 तक या तो सम्पूर्ण या अंशतः पं.रा.सं. को हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखा) विनियमन 2010' अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा पं.रा.सं. में तदनुसार लेखांकन किया जाता है।

निदेशक, डी.एल.एफ.ए द्वारा पं.रा.सं. पर त.मा.प. व्यवस्था के तहत डी.एल.एफ.ए का कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रदान नहीं किया गया।

²⁵ 24 जिला परिषद्, 263 पंचायत समितियाँ और 4,402 ग्राम पंचायतें।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

2018-19 में विकासात्मक व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) कुल व्यय का 71 प्रतिशत था जबकि यह वर्ष 2017-18 में 73 प्रतिशत था।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

2014-15 को आधार वर्ष मानते हुए 2018-19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.24 विश्लेषित करता है।

तालिका 1.24: 2014-15 और 2018-19 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य. ²⁶ / कु.व्य.	आ.से.व्य. /कु.व्य.	सा.प्र.व्य./ कु.व्य.	पूँ.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-2015	15.99	68.51	32.36	36.15	14.02	16.54	4.92
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2014-2015	17.46	71.26	37.60	33.66	14.52	15.27	4.24
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2018-19	16.05	67.04	30.45	36.59	14.28	14.99	5.07
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2018-19	20.43	70.56	38.06	32.51	17.05	13.05	5.41

कु.व्य.: समग्र व्यय (कुल व्यय), वि.व्य.: विकास व्यय, सा.प्र.व्य.: सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय, आ.से.व्य.: आर्थिक सेवा व्यय पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय

स्रोत: स.रा.घ.उ. जैसा कि सी.एस.ओ. के वेबसाइट पर 28 अगस्त 2018 को उपलब्ध।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है 2018-19 में कुल व्यय से विकास व्यय एवं आर्थिक व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था। तथापि, सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय एवं शिक्षा प्रक्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के इन पर किये गये व्यय से कम थे।

अनुशंसा: सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर बल देते हुए सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

तालिका 1.25 पिछले वर्षों के दौरान बजट की राशि और व्यय के सम्मुख वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान विकासशील व्यय के सभी तीन अवयवों में हास हुई। जलापूर्ति स्वच्छता, आवास और शहरी विकास (₹1,385 करोड़) और उर्जा (₹1,840 करोड़) पर कम खर्च के कारण राजस्वव्यय में कमी हुई जो कुछ अन्य सेवाओं में वृद्धि के बराबर थी।

परिवहन पर कम व्यय (₹ 1,271 करोड़) के कारण विकास पूँजी व्यय में कमी हुई।

²⁶ राजस्व विकास व्यय, पूँजीगत विकास व्यय और ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय को बाँटा गया।

तालिका 1.25: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट आकलन ²⁷	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास राजस्व व्यय	21,171(55)	24,551(47)	32,065(56)	34,394(53)	43,950(58)	32,975(52)
विकास पूँजीगत व्यय	5,217(14)	7,588(15)	10,271(18)	11,146(17)	12,102(16)	9,920(16)
विकास ऋण एवं अग्रिम	807(2)	7,431 ²⁸ (14)	1,283(2)	1,796(3)	1,477(2)	1,439(2)
कुल	27,195	39,570	43,619	47,336	57,529(76)	44,334(71)
विकास व्यय की वृद्धि	48.8	45.5	10.2	8.8	-	(-)6.30

स्रोत:- झारखण्ड सरकार के 2018-19 के वित्त लेखे और बजट प्रकाशन ।

कोष्ठक में आँकड़ा कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है। (रा.व्य.+ पूँ.व्य.+ ऋ. एवं अग्रि.)

1.7.3 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.26 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता की प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2017-18			2018-19		
	कु.व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा		कु. व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा	
		वे. एवं म.	सं. व र.*		वे. एवं म.	सं. व र.
सामाजिक सेवायें (सा.से.)						
सामान्य शिक्षा	0.01	49.72	0.00	0.00	54.36	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10.83	32.17	0.00	8.05	27.68	0.00
जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास व शहरी विकास	10.14	3.33	0.10	14.57	5.05	0.43
कुल (सा.से.)	7.23	25.94	0.25	7.91	28.59	0.62
आर्थिक सेवायें (आ.से.)						
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	23.15	18.50	0.05	17.91	29.95	0.09
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	80.92	95.85	1.5	78.71	97.12	0.00
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	1.44
परिवहन	90.64	25.52	27.53	90.91	35.39	29.15
कुल (आ.से.)	36.71	10.68	2.84	34.74	11.76	1.10
कुल (सा.से.+आ.से.)	23.55	19.36	1.37	22.38	21.35	0.82

कु.व्य.: उस प्रक्षेत्र का कुल व्यय; पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे.एवं म.: वेतन एवं मजदूरी; सं.व.र.: संचालन व रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अंतर्गत दर्ज वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।

स्रोत: झारखण्ड सरकार का वित्त लेखा 2018-19

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय से वेतन का अनुपात 2017-18 में 49.72 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 54.36

²⁷ बजट अनुमान और वास्तविक दोनों सकल आँकड़े हैं।

²⁸ उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 5,553 करोड़ का ऋण दिया गया।

प्रतिशत हो गया, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में राजस्व व्यय से वेतन 2017-18 में 32.17 प्रतिशत से घट कर 2018-19 में 27.68 प्रतिशत हो गया।

आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ तथा परिवहन के अंतर्गत वेतन का अनुपात राजस्व व्यय 2017-18 में 18.50 और 25.52 और 2018-19 में 29.95 और 35.39 क्रमशः काफी वृद्धि हुई।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह भाग सरकार के निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

13वें एवं 14वें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने हेतु इन पर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, झारखण्ड सरकार द्वारा किसी भी सिंचाई योजना को वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया।

वित्त लेखे के परिशिष्ट-VIII (i) के अनुसार ₹ 1,759.45 करोड़ का पूँजीगत परिव्यय 11 सिंचाई परियोजनाओं को प्रदान किया गया और 2018-19 के दौरान 23 परियोजनाओं का कार्यचालन व्यय एवं रखरखाव में 1,480.90 करोड़ खर्च किया गया।

अग्रतर, वर्तमान वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं से कुल ₹ 38.04²⁹ करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त किया गया।

अनुशंसा : राज्य सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने हेतु उपाय शुरू करनी चाहिये।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण परियोजनाएँ जिन्हें 31 मार्च 2019 या इससे पूर्व पूर्ण करना था से संबंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.27 में दी गयी है।

तालिका 1.27: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत	31.3.2019 तक संचयी व्यय
भवन निर्माण	30	864.53	549.25
पेय जल एवं स्वच्छता	18	203.18	139.55
पथ निर्माण	73	2,227.40	1,589.39
ग्रामीण कार्य	185	460.50	293.80
जल संसाधन	104	1,639.19	1,269.14
कुल	410	5,394.80	3,841.13

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19 का परिशिष्ट IX

²⁹ अन्य राजस्व

अपूर्ण कार्य पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। परियोजनाओं/कार्यों को पूरा किये जाने में विलंब न केवल लागत वृद्धि के जोखिम को आमंत्रित करता है बल्कि राज्य को इच्छित लाभ से वंचित भी करता है।

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये 410 परियोजनाओं में से, केवल 11³⁰ परियोजनाओं का संशोधित लागत उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार इन 11 परियोजनाओं का ₹ 274.79 करोड़ का अनुमानित लागत परियोजनाओं के समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण बढ़कर ₹ 1,095.40 करोड़ हो गया। चूँकि विभागों द्वारा शेष परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए वित्त लेखे में इनकी संशोधित लागत नहीं दर्शाया गया और सुनिश्चित करने योग्य नहीं था।

इस प्रकार, परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने के परिणामस्वरूप न केवल लागत में भारी वृद्धि हुई, बल्कि भूमि की सिंचाई का अपेक्षित लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2020)।

अनुशंसा: राज्य के लोक निर्माण विभाग को परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए। सभी अपूर्ण परियोजनाओं का संशोधित अनुमान प्राथमिकता पर तैयार व अनुमोदित किया जाना चाहिये ताकि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक निधियों का यथार्थवादी आकलन हो।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य के 31 मार्च 2019 को समाप्त वार्षिक लेखे के अनुसार नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से सरकार ने ₹ 432.87 करोड़ का निवेश एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 17 सरकारी कम्पनियों (₹ 226.80 करोड़) एवं 21 को-ऑपरेटिव, निगमों एवं समितियों (₹ 160.34 करोड़) में किया (तालिका 1.28)। तथापि, 2016-17 के दौरान सा.क्षे.उ. लेखाओं और राज्य के संस्वीकृति आदेशों के सत्यापन के दौरान उद्घटित हुआ कि गलत बजटीय वर्गीकरण अर्थात् उपयुक्त लघुशीर्ष के अंतर्गत निवेश नहीं किये जाने तथा शेयर पूंजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दिखाये जाने के कारण 2000-2016 के दौरान सरकारी लेखाओं में निवेश को ₹ 124.54 करोड़ कम दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद राज्य के वित्त विभाग ने 2018-19 के अंत में चार कंपनियों से संबंधित ₹ 65 करोड़³¹ की निवेश राशि को समाशोधित और ठीक किया जिसने चालू वित्त वर्ष

³⁰ पुनासी डैम, चाडील डैम, इजरी नदी पर पुल, बहादुरपुर कसमर खैरा चतर रोड, सोनाहातु मिलन चौक रोड, त्रिवेणी वियर स्कीम, हैड रेगुलेटर निर्माण, सल्बानी लघु सिंचाई, खरकई रिजर्वीयर मुख्य नहर (के.आर.एम.सी.), अघारमा ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना, प्रतापपुर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना

³¹ झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम ₹ 5 करोड़, झारखंड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ₹ 35 करोड़, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम ₹ 10 करोड़ और झारखंड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड ₹ 15 करोड़

के अंत में पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़³² के बिना असमायोजित निवेश को घटा दिया।

तालिका 1.28: निवेशों पर लाभांश

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	241.25	261.70	320.83 ³³	376.87	432.87
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	शून्य	0.47	शून्य	शून्य	शून्य ³⁴
प्रतिफल (प्रतिशत में)	शून्य	0.18	शून्य	शून्य	शून्य
सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में) ³⁵	7.22	6.63	6.76	6.98	6.29
ब्याज दर और प्रतिफल में अन्तर (प्रतिशत में)	7.22	6.45	6.76	6.98	6.29
बाजार से लिये गये उधार के ब्याज दर और प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर के कारण अनुमानित हानि	17.42	16.88	21.69	26.31	27.23

स्रोत : 2018-19 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 19

विगत पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 109.53 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया, जिसमें केवल 2018-19 में ₹ 27.23 करोड़ का अनुमानित नुकसान था। अपने निवेशों पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान इक्विटी के रूप में राज्य के छः³⁶ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 41 करोड़ का निवेश किया।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा 14 नवम्बर 2000 तक दामोदर वैली कारपोरेशन (₹ 1,781.55 करोड़) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 100 करोड़) को उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के बीच संविभाजित नहीं किया गया है।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

उपरोक्त संस्थाओं में शेयर निवेशों के अतिरिक्त, राज्य सरकार इन संस्थाओं में से अधिकांश को और उनके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती रही है। तालिका 1.29 31 मार्च 2019 को बकाया ऋण व अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियाँ के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों को प्रस्तुत करती है।

³² ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण ₹ 39.14 करोड़, झारखंड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड ₹2 करोड़, झारखंड मेडिकल एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ₹8.40 करोड़ और झारखंड राज्य खादयय एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ₹5 करोड़

³³ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के साथ समाशोधन के बाद संशोधित राशि

³⁴ सिर्फ ₹ 15,000

³⁵ वर्ष के दौरान वर्गवार ब्याज भुगतान (आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, इत्यादि) का ऋण के आरंभिक शेष से प्रतिशतता

³⁶ माइनोरिटी डेवलपमेंट एवं फाइनेंस कारपोरेशन (₹ 1 करोड़), रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 10 करोड़) झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 10 करोड़) झारखंड अर्बन ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 10 करोड़), झारखंड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 5 करोड़) और झारखंड सेन्ट्रल रेलवे प्रोजेक्ट (₹ 5 करोड़)

तालिका 1.29: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण व अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ली गयी उधारों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋणों का आरंभिक शेष (₹ करोड़ में)	7,947	8,738	16,187	17,482 ³⁷	19,292
वर्ष के दौरान दिये गये अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)	824	7,480	1,335	1,852	1,485
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	33	31	39	42	47
वसूली, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
अंतशेष	8,738	16,187	17,483	19,292	20,730
निवल योग (₹ करोड़ में)	791	7,449	1,297	1,809	1,438
कुल ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	15.72	4.33	3.88	87.66	14.72
ब्याज प्राप्ति, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.20	0.05	0.02	0.50	0.08
सरकार के लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर	7.22	6.63	6.76	6.98	6.29
बकाया ब्याज	875.44	903.98	1,009.2	1,044.09	1,236.12
बकाया ऋण और अग्रिम के प्रतिशत के रूप में बकाया	11.01	10.35	6.23	5.97	6.41

स्रोत : संबंधित वर्ष के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

मार्च 2019 के अंत तक कुल बकाया ऋणों (₹ 20,730 करोड़) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऊर्जा कम्पनी को (₹ 19,857 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास (₹ 729 करोड़) मुख्यतः बकाये थे।

मार्च 2019 के अंत तक ऋणदाता संस्थाओं का ऋण बकाया ₹ 2,715 करोड़ (मूलधन-₹ 1,479 करोड़ तथा ब्याज-₹ 1,236 करोड़) हो गया।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) को दिया गया ऋण पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के तहत गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखाओं में कम बताया गया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) को ₹ 7,222 करोड़ की राशि का ऋण सरकारी लेखाओं में बोर्ड से प्राप्य के रूप में दर्शाया जाना जारी है, यद्यपि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार, राज्य की संपत्ति ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक बढ़ गई थी।

लेखा परीक्षा ने अग्रतर यह पाया कि 14 नवंबर 2000 (₹ 608 करोड़) से पहले तेनुघाट बिजली परियोजना के लिए बिहार के पूर्ववर्ती राज्य द्वारा किए गए ऋण बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच विभाजित नहीं थे।

अनुशंसा: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेशों और ऋणों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋणों पर प्रतिफल कम से कम सरकार की उधार लागत के बराबर हो।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.30 में दर्शाया गया है।

³⁷ लगभग होने के कारण समायोजित किया गया

तालिका 1.30: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2019 को अन्त शेष
(अ) सामान्य नगद शेष		
कोषागार में नगद	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	(-)242.16	188.30
स्थानीय प्रेषण	00	00
कुल	(-)242.16	188.30
रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	354.56	167.90
कुल (अ)	112.40	356.20
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी , वन विभागीय अधिकारी , जिला उपायुक्त	37.90	39.05
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थाई अग्रिम	0.13	0.13
चिन्हित निधि में निवेश	0.00	400.00 ³⁸

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19

31 मार्च 2019 को कैश बैलेंस इनवेंस्टमेंट अकाउन्ट में शेष ₹ 167.90 करोड़ था और वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश पर ₹ 31.43 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई । कर्णाकित निधि (एस.डी आर. एफ) से ₹ 400 करोड़ अनुसूचित कॉमर्शियल बैंकों में निवेश किया गया था।

लेखाओं में दर्शाए गए आँकड़ों {₹188.30 करोड़ (डेबिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक {(₹ 16.49 करोड़ (क्रेडिट))} द्वारा सूचित आँकड़ों के बीच ₹ 171.81 करोड़ (शुद्ध डेबिट) का अंतर था। रिजर्व बैंक जमा शेष में इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा समाशोधन और आवश्यक सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, रांची के समक्ष उठाया गया है।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकारी स्वामित्व के अचल परिसंपत्तियों अर्थात् भूमि एवं भवनों के विस्तृत लेखांकन का प्रावधान नहीं है। तथापि, इन्हें सरकार के वित्तीय दायित्वों और वहन किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2018 के तदनु रूप स्थिति से तुलना करते हुए **परिशिष्ट 1.5,**

³⁸ वित्तीय विभाग के प्रत्र संख्या 554, दिनांक 23.07.2019 द्वारा सूचना के आधार पर संशोधित ₹ 400 करोड़ राज्य आपदा विमोचन निधि से वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश में शामिल किये गए ।


ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों का 31 मार्च 2019 का सार प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधि शामिल है, वहीं परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 राज्य के कुल दायित्वों को राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अधीन दायित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से लिया गया उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचतों के लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गयीं हैं। 2017-18 एवं 2018-19 वर्षों के दौरान राजकोषीय दायित्व के संयोजन चार्ट 1.9 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.9 : मार्च 2018 एवं मार्च 2019 के अंत में बकाया राजकोषीय दायित्व का संयोजन (₹ करोड़ में)



स्रोत: 2017-18 और 2018-19 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

लेखा और संबंधित दस्तावेजों के जांच के दौरान यह पाया गया कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 5,509 करोड़ की खुला बाजार उधार लेने की अनुमति दी। तदनुसार, राज्य सरकार ने 8 राज्य विकास ऋण 88.31 प्रतिशत से 8.84 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दर के द्वारा राशि उधार ली।

तालिका 1.31: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति : आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सी.ए.जी.आर.
(अ) लोक ऋण						
आंतरिक ऋण	32,755	43,756	48,682	53,799	58,436	15.57
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,087	2,085	2,162	2,233	2,339	2.89
कुल (अ)	34842	45841	50844	56032	60775	14.92
(ब) अन्य लोक लेखा दायित्व						
लघु बचत , भविष्य निधि , इत्यादि	1356	1197	1076	1142	1211	(-) 2.79

आरक्षित निधि	867	876	1259	1551	1930	22.15
जमा एवं अग्रिम	6,504	8,616	13,647	18,370	19,866	32.20
कुल (ब)	8,727	10,689	15,982	21,063	23,008	27.42
कुल राजकोषीय दायित्व (अ)+(ब)	43,569	56,530	66,826	77,095	83,783	17.76
राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	15.90	29.70	18.20	15.40	8.70	लागू नहीं
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	19.90	27.40	28.40	30.20	27.20	लागू नहीं
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय दायित्व	138.03	139.10	142.00	146.10	149.20	लागू नहीं

स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान सरकार का कुल ऋण ₹ 43,569 करोड़ (1 अप्रैल 2015) से बढ़कर ₹ 86,783 करोड़ (31 मार्च 2019) हुआ। सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाईल कंडिका 1.10.1 के अन्तर्गत तालिका 1.32 में दर्शाई गई है।

वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात राज्य के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक अनुमान (26.31 प्रतिशत) की तुलना में 2018-19 में 27.20 प्रतिशत था।

अविभाजित बिहार के वित्तीय दायित्वों को उत्तराधिकारी राज्यों के बीच संविभाजित किया जाना अभी शेष है।

अनुशंसा : राज्य के राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 14^{वें} वित्त आयोग के अनुमानों को प्राप्त करने हेतु राज्य को कदम उठाना चाहिये।

1.9.3 हास निधि

2016-17 के दौरान 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन करते हुए, राज्य ने बैंक से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि सृजित किया है। अग्रतर, 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान इस निधि में अंतरित करना अपेक्षित था।

झारखण्ड सरकार के पास 2018-19 के प्रारंभ तक ₹ 77,095 करोड़ का बकाया ऋण था, जिसके लिए निधि में कम से कम ₹ 385.48 करोड़ की राशि अंतरित करना अपेक्षित था। यद्यपि झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 255 करोड़ का बजट प्रावधान किया, तथापि निधि में राशि अंतरित नहीं की गयी।

1.9.4 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश, 2015 की कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त एस.डी.आर.एफ. अंशदान को अपने अंशदान के साथ प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर लोक लेखा खाते में अंतरित किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब के लिए राज्य सरकार को राशि को विलम्ब के दिनों के अनुसार ब्याज (आर.बी.आई. के बैंक दर से) देनी होगी।

2018-19 के दौरान देखा गया कि राज्य सरकार अपने अंशदान के साथ केंद्र सरकार से प्राप्त अंशदान को लोक लेखा खाता में केन्द्रांश की प्राप्ति से 11 दिनों

(₹ 210.50 करोड़) और 184 दिनों के विलम्ब से प्रेषित किया जिसके लिए राज्य सरकार को ₹ 1.46 करोड़ का ब्याज भुगतान करना था जो नहीं किया गया।

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 19 एवं 20 के अनुसार, निधि की राशियों को राज्य द्वारा (क) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ख) नीलामी ट्रेजरी बिल तथा (ग) ब्याज अर्जित करनेवाले जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा प्रमाणपत्र में निवेश किया जाना चाहिए। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने (जुलाई 2019) सूचित³⁹ किया था कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 400 करोड़ अनुसूचित वाणिज्य बैंक में निवेश किया गया।

अग्रतर, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को निवेश नहीं किये गये शेष पर ओवरड्राफ्ट पर भुगतान ब्याज (8.25 प्रतिशत) की दर से ब्याज का भुगतान करना था जिसे स्वयं निधि के कोष में डाला जाना था। तथापि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके सृजन के समय से ही किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जो 2011-19 अवधि हेतु लागू ब्याज की दरों पर ₹ 535.83 करोड़ परिकलित होता है। इसमें से, अकेले 2018-19 हेतु भुगतान न किये गये ब्याज की राशि ₹ 94.96 करोड़ थी परिणामतः उस वर्ष में राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई जिसकी चर्चा कंडिका 3.9 में की गयी है। अतः ₹ 1,930.09 करोड़ अनिवेशित निधि 31 मार्च 2019 को केवल खाता प्रविष्टि मात्र थी और यह वास्तविक शेष नहीं था। इस प्रकार निधि के प्रचालन के बाद से अभुगतित ब्याज राज्य की अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

अनुशंसा : राज्य को भारत सरकार से प्राप्त अंशदान के साथ-साथ अपने अंशदान का अंतरण समय पर लोक लेखा में तथा निधि में पड़ी शेष राशि का निवेश एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए।

1.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

भारत का संविधान प्रावधान करता है कि कोई राज्य, भारत की सीमा के भीतर, अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमा जो समय-समय पर उसके विधानसभा के अधिनियम द्वारा निर्धारित हो उधार ले सकता है और ऐसी सीमा के अंदर जो तय किया जाये प्रत्याभूति दे सकता है।

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, झारखण्ड सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति के 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान के साथ प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि (प्रत्या.ऋ.नि.) गठित करना था। तथापि, निधि सृजित नहीं की गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूपरेखा

राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अलावे विभिन्न संकेतक जो राज्य की ऋण वहनीयता⁴⁰ को निर्धारित करते हैं का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। यह खण्ड ऋण

³⁹ पत्र संख्या 554 दिनांक 23 जुलाई 2019 के अनुसार

⁴⁰ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण वहनीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण वहनीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

स्थिरीकरण⁴¹, गैर-ऋण प्राप्तियों⁴² की पर्याप्तता, उधार ली गयी निधियों⁴³ की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान अनुपात द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रतिभूतियों के परिपक्वता विवरण के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण वहनीयता का मूल्यांकन करता है।

लोक ऋण परिपक्वता विवरण को तालिका 1.32 में विस्तार रूप से दर्शाया गया।

तालिका 1.32: लोक ऋण की परिपक्वता विवरण

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	कुल	प्रतिशत
2019-20	2,614	194	2,808	4.62
2020-21	1,269	206	1,475	2.43
2021-22	2,579	217	2,796	4.60
2022-23	4,925	217	5,142	8.46
2023-24	4,275	222	4,497	7.40
2024-25	6,275	224	6,499	10.69
2025-26	6,579	194	6,773	11.14
2026-27	6,247	89	6,336	10.43
2027-28	2,062	88	2,150	3.54
2028-29	6,519	87	6,606	10.87
2029-30 से आगे	7,647	598	8,245	13.56
परिपक्वता वर्ष का विवरण नहीं है	7,446	3	7,449	12.26
कुल	58,437	2,339	60,776	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2018-19

लोक ऋण की परिपक्वता विवरण से यह उदघटित हुआ कि वर्ष 2022-23 से इसका विमोचन दबाव बढ़ने की संभावना है तथा झारखंड सरकार भंडार की परिपक्वता के कारण वर्ष 2025-26 में इसकी शीर्ष पर पहुँचने की संभावना है।

1.10.2 ऋण वहनीयता

यदि सरकार भविष्य में देनदार के भंडार की देख-रेख में सक्षम होती है और ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय नहीं होता है तो राजकोषीय देनदारियों को टिकाऊ कहा जा सकता है। डोमर मॉडल सार्वजनिक ऋणों के विश्लेषण के लिए एक मॉडल है, जो यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज की दर से

⁴¹ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो।

⁴² वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहनीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज दायित्व और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें।

⁴³ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित और उस सीमा को इंगित करता है जिस तक ऋण प्राप्तियाँ, उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग में लाये जाते हैं।

अधिक है, तो ऋण-जी.डी.पी. अनुपात स्थिर रहने की संभावना है। तालिका 1.33 डोमर स्थिरता की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.33: डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता

जी.-आर. (जी.-वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर, आर: वास्तविक ब्याज दर) डोमर गैप कहा जाता है।	एस.< शून्य (प्राथमिक घाटा)	एस. > शून्य (प्राथमिक अधिशेष)
जी.-आर.> शून्य (मजबूत आर्थिक विकास)	सार्वजनिक ऋण, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में स्थिर मूल्य को बताता है और इसे बनाए रखता है। ऋण के स्टॉक के आधार पर, शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर पर पहुँचने के लिए यह या तो बढ़ेगा या घटेगा।	सार्वजनिक बचत के लिए शून्य की तुलना में, सार्वजनिक ऋण स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में एक स्थिर स्तर पर परिवर्तन होना चाहिए।
जी.-आर.< शून्य (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	सार्वजनिक ऋण, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, इसकी स्थिरता में परिवर्तन किए बिना ही अनिश्चित रूप से बढ़ेगा।	अनिर्धारित स्थिति

डोमर विश्लेषण को झारखण्ड में लागू करने से यह पता चला कि राजकोषीय देनदारियों को एक स्थिर स्तर पर परिवर्तित करना चाहिए, जैसा कि निम्न तालिका 1.34 में दिखाया गया है।

तालिका 1.34: 2014-19 के दौरान राज्य के जमा ऋण की धारणीयता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि (जी.)	वास्तविक ब्याज दर (आर.)	डोमर गैप (जी.-आर.)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
	(प्रतिशत)			(₹ करोड़ में)
2014-15	12.49	0.52	11.97	(-) 3,635
2015-16	(-) 6.25	0.73	(-) 6.98	(-) 8,203
2016-17	10.46	1.46	9.00	(-) 6,020
2017-18	12.65	3.08	9.57	(-) 7,271
2018-19	6.99	2.39	4.60	(-) 1,777

▪ वास्तविक आर्थिक विकास दर की गणना वास्तविक स.रा.घ.उ. (अर्थात स्थिर कीमतों पर) के लिए की गई है।
 ▪ वास्तविक ब्याज दर की गणना वित्तीय देनदारियों ऋणात्मक मुद्रास्फीति पर औसत ब्याज की दर के रूप में की जाती है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 और 2018-19 से औसत मुद्रास्फीति प्राप्त की गई है।

वर्ष 2014-19 के दौरान, राज्य में प्राथमिक घाटा ₹ 1,777 करोड़ से ₹ 8,203 करोड़ का रहा। वर्ष 2015-16 को छोड़कर वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान डोमर गैप (जी.-आर.) सकारात्मक रही। इसलिए तालिका 1.34 में विस्तृत में डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की स्थिति के मद्देनजर, राज्य सरकार ने वित्तीय देनदारियों की स्थिति को पूरा किया (जी.-आर.>शून्य)। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि डोमर गैप (जी.-आर.) एक स्थिर या स्थिर बढ़ती प्रवृत्ति को पंजीकृत नहीं कर रहा है। डोमर गैप को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि वर्ष 2018-19 के दौरान 2.39 प्रतिशत की औसत वास्तविक ब्याज दर के मुकाबले 70.60 प्रतिशत का

आंतरिक ऋण⁴⁴, आठ प्रतिशत से अधिक की ब्याज दरों पर उधार लिया गया था। इसके अलावा, अन्य कारकों जैसे कि सार्वजनिक खाता देनदारियों, अप्रत्याशित घटना⁴⁵ और/या कोई अन्य राजस्व की एकतरफा नुकसान राज्य की अतिरिक्त उधार और ऋण स्थिरता/राज्य की स्थिरता⁴⁶ के लिए राजकोषीय स्थान का आकलन करने में, राजस्व के नुकसान का भी आकलन किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

राजकोषीय स्थिरता के उपरोक्त संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण स्थिरता को पारिभाषित किया है। चौदहवें वित्त आयोग ने (चौ.वि.आ.) केन्द्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन के लिए सिफारिश की और स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के षट्ठ में राजकोषीय घाटे और ऋण भंडार की सीमाएँ प्रदान की हैं। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 में झारखंड सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे की स.रा.घ.उ. के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं बनाए रखने का निर्णय लिया है। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के मददयेनजर, बजट के साथ प्रस्तुत एम.टी.एफ.पी. के विवरण में प्रत्येक वर्ष स.रा.घ.उ. प्रतिशत को ऋण भंडार का लक्ष्य दिया गया था।

चौ.वि.आ. लक्ष्यों और एफ.आर.बी.एम. लक्ष्यों की तुलना में ऋण भंडार की स्थिति तालिका 1.35 में दी गई थी।

तालिका 1.35: ऋण स्थिरता एफ.आर.बी.एम. संकेतक आधारित विश्लेषण

वर्ष	जी.एस.डी.पी.का राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		जी.एस.डी.पी. का ऋण भंडार (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी. के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी.के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	चौ.वि.आ. का लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	2.80	5.58	21.55	27.40	10.00	8.17
2016-17	2.16	4.31	25.16	28.30	10.00	8.87
2017-18	2.49	4.32	26.65	27.90	10.00	8.84
2018-19	2.61	2.16	29.74	27.20	10.00	8.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी. और चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

राज्य सरकार वर्ष 2018-19 के दौरान एफ.आर.बी.एम. लक्ष्यों के नीचे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सक्षम थी। राजस्व प्राप्तियों के (ब्याज भुगतान का बोझ) लिए ब्याज भुगतान के अनुपात के लक्ष्य भी हासिल किए गए और यह 2015-16 से 2018-19 के दौरान लगभग स्थिर रहा। जी.एस.डी.पी. से ऋण अनुपात 2015-16 से 2017-18 के दौरान एफ.आर.बी.एम. के अंदर नहीं था। हालांकि, यह वर्ष 2018-19 के दौरान लक्ष्य के अंदर था।

⁴⁴ राजकोषीय देनदारियों में आंतरिक ऋण 69.75 प्रतिशत का है।

⁴⁵ वर्तमान कोरोनावायरस महामारी की तरह और जी.एस.डी.पी. की दर इसका प्रभाव।

⁴⁶ जैसा कि ये सांख्यिकीय पे से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उन्हें विश्लेषण में निर्धारित नहीं किया गया है।

1.10.3 उधार निधियों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2014-19 के दौरान लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों की उपलब्ध निवल निधि को तालिका 1.36 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.36: उधार निधियों की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्ति	19,808	28,482	19,193	25,206	22,224 ⁴⁷
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन व ब्याज)	16,762	18,841	12,969	19,599	20,388
उपलब्ध निवल निधि	3,046	9,641	6,224	5,607	1,836
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों को उपलब्ध निवल निधि की प्रतिशतता	15.38	33.85	32.43	22.24	8.26

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

उधार राशि की निवल उपलब्धता 2015-16 के ₹ 9,641 करोड़ से धीरे धीरे घटकर 2018-19 में ₹ 1,836 करोड़ हो गई। 2018-19 के दौरान, उधार ली गई निधियों में मुख्य योगदानकर्ता बिना ब्याज वाले जमा (₹ 1,497 करोड़) थे।

2018-19 के दौरान, सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 12 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि सार्वजनिक ऋण की अदायगी और ब्याज सहित अन्य देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार ली गयी निधियों की कम उपलब्धता थी।

जैसा कि तालिका 1.36 से स्पष्ट है कि उधार निधि का 91.74 प्रतिशत वर्तमान देनदारियों में 2018-19 में उपभोग किया गया। आगे उधारी के तहत प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता 2017-18 में 22.24 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 8.26 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष के दौरान राज्य में पूंजीगत कार्यों के लिए उधार ली गई निधियों की कम उपलब्धता का संकेत था।

⁴⁷ छोटी बचतें, भविष्य निधि इत्यादि (₹1,120 करोड़) ब्याज वाले आरक्षित निधि (₹ 421 करोड़) ब्याज वाले जमा (₹ 426 करोड़) और बिना ब्याज वाले जमा (₹ 12,454 करोड़)

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम में दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना अपेक्षित है तो इसे इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, संबंधित नियमावतियों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने कई अनुदानों में बड़ी बचत का अवलोकन किया जो बजट प्रबंधन की कमियों को दर्शाता है जैसा कि आगे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2018-19 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2018-19 के मूल/अनुपूरक अनुदानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/ विनियोग	¹ वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	केवल मार्च 2019 में अभ्यर्पित राशि	मार्च में अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता (कॉ.6/कॉ.5)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)	(6)	(7)
दत्तमत	(I) राजस्व	61,298.30	45,710.74	(-)15,587.56	14,113.34	14,113.34	100.00
	(II) पूँजीगत	13,326.18	10,711.71	(-)2,614.47	2,925.94	2,925.94	100.00
	(III) ऋण व अग्रिम तथा अन्तर्राज्यीय समायोजन	2,011.13	1,485.59	(-)525.54	0.00	0.00	0.00
	कुल दत्तमत	76,635.61	57,908.04	(-)18,727.57	17,039.28	17,039.28	100.00

¹ व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 41.95 करोड़) को घटाकर लेखे में वसूलियों को समायोजित किये बिना सकल आँकड़े हैं। इसके आगे, संबद्ध शीर्षों में ₹ 514.74 करोड़, जो 2018-19 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित था जिनके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 31 अक्टूबर 2019 तक प्रस्तुत नहीं किया गया, तक के व्यय के आँकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताये गये।

	व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/ विनियोग	² वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	केवल मार्च 2019 में अभ्यर्पित राशि	मार्च में अभ्यर्पित बचत की प्रतिशतता (कॉ.6/कॉ.5)
भारित	(IV) राजस्व	6,012.65	4,961.94	(-)1,050.71	255.94	255.94	100.00
	(V) पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(VI) लोक ऋण पुनर्भुगतान	3,505.56	3,060.10	(-)445.46	403.59	403.59	100.00
कुल भारत		9,518.21	8,022.04	(-)1,496.17	659.53	659.53	100.00
सकल योग		86,153.82	65,930.08	(-)20,223.74	17,698.81	17,698.81	100.00

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2018-19

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 20,223.74 करोड़ (कुल बजट का 23.47 प्रतिशत) की कुल बचत राजस्व खण्ड के अन्तर्गत 54 दत्तमत अनुदानों तथा छः विनियोजनों में ₹ 16,638.27 करोड़ और पूँजीगत खण्ड के अन्तर्गत 37 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 3,585.47 करोड़ की बचत का परिणाम था।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹ 20,223.74 करोड़ के कुल बचत के विरुद्ध, ₹ 17,698.81 करोड़ (87.52 प्रतिशत) मार्च 2019 में अभ्यर्पित किया गया, जिससे वित्त विभाग के पास अन्य विकसित उद्देश्यों हेतु विवेकपूर्ण ढंग से निधि का उपयोग करने के लिए कोई समय नहीं बचा।

आगे यह पाया गया कि झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2018-19 में वर्णित कुल 1,598 उप-शीर्षों में से विभाग द्वारा केवल 400 उप-शीर्षों के बचत/आधिक्य का कारण बताया गया, जबकि 1,179 उप-शीर्षों में बचत एवं 19 उप-शीर्षों में आधिक्य का कारण नहीं बताया गया।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुश्रवण करना चाहिए, ताकि निधियाँ अनावश्यक रूप से रोककर नहीं रखी जाय और यथाशीघ्र अभ्यर्पित कर दी जाय। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा भेजे गये मासिक सिविल लेखा एवं मासिक विनियोग लेखाओं का उपयोग वित्त विभाग द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

² व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 41.95 करोड़) को घटाकर लेखे में वसूलियों को समायोजित किये बिना सकल आँकड़े हैं। इसके आगे, संबद्ध शीर्षों में ₹ 514.74 करोड़, जो 2018-19 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित था जिनके विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र 31 अक्टूबर 2019 तक प्रस्तुत नहीं किया गया, तक के व्यय के आँकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताये गये।

2.3 वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 आवंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

कुल बचत ₹ 20,223.74 करोड़ में से, 27 अनुदानों से संबंधित 29 मामलों में ₹ 15,941.25 करोड़ (79 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि तालिका 2.2 में इंगित है। इन मामलों में, बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं अनुदान का 20 प्रतिशत या उससे अधिक था।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ व उससे अधिक तथा अनुदान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
1	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6,273.10	4,188.42	2,084.68	33.23
2	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	7,192.62	5,420.89	1,771.73	24.63
3	10-ऊर्जा-विभाग,	4,206.48	2,742.11	1,464.37	34.81
4	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग)	3,204.22	1,921.00	1,283.22	40.05
5	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,560.16	2,582.92	977.24	27.45
6	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1,743.93	872.87	871.06	49.95
7	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,601.21	753.42	847.79	52.95
8	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	1,681.45	965.17	716.28	42.60
9	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,769.91	1,151.36	618.55	34.95
10	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,820.13	1,365.18	454.95	25.00
11	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	908.14	470.33	437.81	48.21
12	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,375.70	1,027.00	348.70	25.35
13	21-उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्चतर शिक्षा प्रभाग)	1,246.70	902.26	344.44	27.63
14	35-योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	886.46	559.87	326.59	36.84
15	19-वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	770.39	525.07	245.32	31.84
16	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	389.13	170.98	218.15	56.06
17	41-पथ निर्माण विभाग	459.92	255.28	204.64	44.49
18	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी/दुग्ध प्रभाग)	319.44	143.00	176.44	55.24

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत	कुल अनुदान से बचत की प्रतिशतता
19	43-उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं तकनीकी प्रभाग)	534.11	363.67	170.44	31.91
20	23-उद्योग विभाग	458.94	308.09	150.85	32.87
21	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं पंजीयन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	603.53	482.24	121.29	20.10
22	49-जल संसाधन विभाग	1,897.65	1,164.50	733.15	38.63
23	10-उर्जा विभाग	1,890.41	1,413.09	477.32	25.25
24	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	533.90	311.96	221.94	41.57
25	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	468.77	273.39	195.38	41.68
26	3-भवन निर्माण विभाग	548.17	403.65	144.52	26.36
27	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	519.10	400.13	118.97	22.92
28	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	175.00	65.60	109.40	62.51
29	8- परिवहन विभाग (नागरिक उड्डयन प्रभाग)	119.00	12.97	106.03	89.10
कुल दत्तमत		47,157.67	31,216.42	15,941.25	33.80

स्रोत: वर्ष 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

2018-19 के दौरान कुल अनुदान या विनियोग तथा व्यय के बीच महत्वपूर्ण भिन्नता थी, जिसके पांच अनुदानों (1-कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता, 42-ग्रामीण विकास, 51-कल्याण, 59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा) के तहत ₹ 6,404.19 करोड़ की बचत हुई, जिसका कारण विनियोग लेखे में उचित रूप से नहीं बताया गया है। इसके अलावा, इन अनुदानों में पिछले चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कम से कम ₹ 4,853.98 करोड़ की कुल बचत हुई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान योजना के लिए प्रदान किए गए बजट-आवंटन के अनुपयोग का प्रमुख कारण तालिका 2.3 में दिए गए हैं। बिना कोई कारण बताये अनुपयोगी राशि को उसी प्रकार समर्पित कर दिया गया।

तालिका 2.3: योजनावार बचत के प्रमुख कारण

क्र.सं.	विभाग/अनुदान	योजना	बजट आवंटन	अनुपयोग एवं अभ्यर्पित	आवंटन का प्रतिशत
1.		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	209.60	179.02	85
2.	1 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	किसानों को कृषि उपकरण का वितरण, महिला सामाजिक सहायता समूह आदि	180.00	130.60	73
3.		प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (विस्तार एवं किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम)	114.08	77.53	68
4.	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	सुअर विकास/बकरी विकास/ब्रॉलर पॉल्ट्री विकास/वाणिज्यिक लैयर बर्ड विकास/लौ इनपुट लैयर बर्ड वितरण योजना	125.55	123.19	98

5.	10-उर्जा विभाग	ग्राहकों के लिए जे.बी.वी.एन.एल. के माध्यम से प्रशुल्क सहायता	2,000.00	1,405.05	70
6.		ग्रामीण विद्युतीकरण	300.00	275.00	92
7.	42- ग्रामीण विकास	जल विभाजन योजना	133.67	133.67	100
8.	विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	ओवर ऑल ग्रामीण रोजगार योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	1,276.00	570.62	45
9.		श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण योजना	101.30	89.66	89
10.		स्मार्ट सिटी	200.00	200.00	100
11.	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग (शहरी विकास प्रभाग)	सामान्य निस्पादन अनुदान के तहत 14 ^{वें} वित्त आयोग की संस्वीकृति पर नगर परिषदों/ नगरपालिकाओं को अनुदान	96.50	96.50	100
12.		शहरी नवीकरण मिशन- अमृत	462.59	368.00	80
13.	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	पोस्ट प्रवेश छात्रवृत्ति	297.05	216.02	73
14.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (जे.ई.पी.सी.) को सहायता अनुदान के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालयों का सुदृढीकरण करना	120.00	120.00	100

(₹ करोड़ में)

उपर्युक्त वर्णित मामलों के अतिरिक्त, 51 मामलों में (37 अनुदानों/विनियोगों), प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक और अनुदान का 20 प्रतिशत या अधिक था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में वर्णित है, ₹ 17,091.91 करोड़ की कुल बचत हुई। अग्रतर, 35 अनुदानों/विनियोगों के अधीन 213 उप-शीर्ष/ योजनाओं में प्रत्येक मामले में बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक हुई जिसकी समग्र राशि ₹ 16,904.69 करोड़ (कुल बचत का 84 प्रतिशत) थी। विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिये गये हैं।

अनुशांसा: वित्त विभाग को क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त वास्तविक जरूरतों के आधार पर बजट तैयार करना चाहिए तथा आवंटित राशि का सर्वोत्तम इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहिए।

2.3.2 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा अपनाई गई) के नियम 112 के अनुसार, जब कभी बचत प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभागों को अनुदानों/विनियोगों या उसके किसी भाग को वित्त विभाग को अभ्यर्पित करना आवश्यक है।

वर्ष 2018-19 के दौरान 25 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹ 10,821.93 करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 2,505.80 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ व अधिक) अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है। आगे, यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान, आठ अनुदान में ₹ 72.34 करोड़ का अभ्यर्पण वास्तविक बचत से अधिक था जैसा कि **तालिका 2.4** में वर्णित है, जो इंगित करता है कि संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्पण पत्रों के प्रस्तुत करने के पश्चात भी व्यय किया गया। मार्च 2019 में अभ्यर्पित ₹ 13,027.97 करोड़ बचत से संबंधित 177

मामलों (प्रत्येक मामले में ₹20 करोड़ या उससे अधिक) की सूची परिशिष्ट 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4 : 2018-19 के दौरान आधिक्य अभ्यर्पण को इंगित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	आधिक्य अभ्यर्पण
1	3- भवन निर्माण विभाग	144.52	144.57	0.05
2	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	13.46	13.84	0.38
3	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	15.78	20.73	4.95
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग	771.96	791.74	19.78
5	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2,084.68	2,131.70	47.02
6	52 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले विभाग (कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले प्रभाग)	18.03	18.15	0.12
7	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	871.06	871.09	0.03
8	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	1,771.73	1,771.74	0.01
कुल		5,691.22	5,763.56	72.34

अनुशंसा: समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.3.3 सतत बचत

विगत पाँच वर्षों के दौरान 11 मामलों (10 विभागों) में कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक सतत बचत हुई थी (तालिका 2.5)।

तालिका 2.5: 2014-19 के दौरान सतत बचत इंगित करती अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व - दत्तमत						
1	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	967.84(42)	947.27(34)	707.26(27)	981.45(28)	771.96 (20)
2	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	552.00(58)	750.47(56)	526.05(36)	711.47(46)	847.79(53)
3	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	439.49(34)	505.63(39)	394.96(26)	428.72(32)	348.70(25)
4	40-राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	99.80(26)	112.41(26)	161.11(31)	74.20(14)	121.29(20)
5	23-उद्योग विभाग	148.57(40)	132.47(31)	153.01(34)	233.69(50)	150.85(33)

6	49-जल संसाधन विभाग	87.83(25)	105.11(29)	132.77(33)	70.89(18)	89.64(22)
7	26-श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	349.95(28)	1,088.29(73)	110.77(39)	108.09(45)	78.56(32)
8	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	41.73(25)	37.66(20)	95.59(33)	159.93(43)	218.15(56)
9	43-उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	21.31(15)	24.90(24)	29.27(17)	109.39(26)	170.44(32)
10	17-वाणिज्य कर विभाग	23.36(32)	18.45(27)	19.49(27)	8.08(11)	19.66(19)
पूँजीगत - दत्तमत						
11	49-जल संसाधन विभाग	1,196.28(68)	544.62(33)	389.76(26)	681.00(36)	733.15(39)

नोट- कोष्ठक के आँकड़े अनुदान के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं। इन वर्षों में सतत वृहत बचत अनुदानों के अंतर्गत असंगत आकलन को इंगित करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ निष्पादित करनेवाले छः विभागों के कुछ मुख्य योजनाओं में बचत के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

अनुदान संख्या 1 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	70.01	41.67(60)	60.00	28.22(47)	105.85	80.37(76)
2	राष्ट्रीय उद्यान मिशन कार्यक्रम	90.00	43.10(48)	75.00	35.17(47)	75.00	70.54(94)

स्रोत: वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे। कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 18 - खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	मुख्यमंत्री दाल-भात योजना	25.00	11.65(47)	30.00	14.77(49)	35.00	20.34(58)

स्रोत: वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे। कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - सामान्य के लिए योजना	362.00	86.98(24)	497.97	125.29(25)	689.11	432.80(63)

स्रोत: वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे। कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 58 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	बालिका छात्रावास की स्थापना	198.57	40.91(21)	203.33	111.99(55)	307.26	294.60(96)

स्रोत: वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखा शीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	सर्व शिक्षा अभियान हेतु सहायता अनुदान	1,699.50	635.68 (37)	1,600.00	610.15 (38)	1,537.00	378.83 (25)

स्रोत: वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुदान संख्या 60 - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
1	समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस)	400.00	148.95(37)	404.53	88.75(22)	464.90	135.41(29)
2	समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.)	24.00	9.80(41)	41.35	12.68(31)	41.35	13.59(33)

स्रोत: वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।
कोष्ठक के आँकड़े लेखाशीर्ष के अंतर्गत कुल बजट से बचत की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

अनुशंसा: समस्त प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

2.3.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय, जो विधानसभा द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक टालने योग्य न हों, के लिए दिया जाना है। 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि का संग्रह वर्ष ₹ 500 करोड़ था।

यह पाया गया है कि 2018-19 अवधि के दौरान आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदा पर कोई व्यय नहीं किया गया।

इसके आगे, यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से 40 अवसरों पर ₹ 69.72 करोड़ आहरित किये गये। इसमें से 13 अवसरों पर ₹ 15.34 करोड़ की कुल राशि की निकासी वैसे व्यय हेतु की गयी जिनका पूर्वानुमान बजट अनुमानों को तैयार करते समय ही लगाना चाहिए था, और इसलिये ये न तो

अप्रत्याशित और न ही अत्यावश्यक प्रकृति के थे। जैसा कि विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: राज्य की आकस्मिकता निधि से व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	कार्य के विवरण	अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)
1	2011-02-101-09	पूर्व विधायकों के चिकित्सा व्यय	0.15
2	2011-02-101-01	वेतन एवं भत्ते	0.03
3	2013-00-108-01	मंत्रियों के यात्रा व्यय	0.75
4	2013-00-105-02	विवेकानुदान	2.00
5	2040-00-001-04	सूचना, संचार एवं संप्रेषण सेवा	0.51
6	2055-00-003-07	संविदा भत्ता	0.45
7	2055-00-101-08	संविदा भत्ता	0.28
8	2055-00-001-04	संविदा भत्ता	1.96
9	2055-00-001-04	प्रशिक्षण पर व्यय	0.10
10	2055-00-104-02	खेल-कूद प्रोत्साहन	0.25
11	2235-60-200-14	सहायता अनुदान	0.69
12	2070-00-800-11	झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह	8.00
13	2215-01-102-03	नये मोटर वाहन का क्रय	0.17
कुल			15.34

स्रोत: आँकड़े प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा संकलित।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि को गैर-आकस्मिक व्यय हेतु अग्रधन खाते के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तथापि, गैर-आकस्मिकता व्यय कि लिए आकस्मिकता निधि की उपयोगिता वर्ष 2017-18 में ₹ 226.17 करोड़ की तुलना में 2018-19 में ₹ 15.34 करोड़ की उल्लेखनीय ढंग से कमी आई।

2018-19 के दौरान निधि से कुल आहरण अनुपूरक बजट के माध्यम से क्षतिपूर्ति कर लिया गया था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम का उपयोग केवल अत्यावश्यक एवं अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए किया जाय।

2.3.5 विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोग के आधिक्य को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित करवाना अनिवार्य है।

वर्ष 2001-02 से वर्ष 2017-18 तक ₹3,015.37 करोड़ की अनुदान/विनियोग की राशि का आधिक्य संवितरण राज्य विधायिका द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में वर्णित है। यह संविधान के अनुच्छेद 205 का उल्लंघन है जिसके द्वारा राज्य विधानमंडल आधिक्य अनुदान का नियमितीकरण

करता है। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है। विनियमित किये जाने हेतु लंबित आधिक्य व्यय की वर्ष-वार राशि तालिका 2.7 में सारांशीकृत है।

तालिका 2.7: विगत वर्षों से संबंधित आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधानों से आधिक्य की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	25 & 32		0.04
2002-03	32		0.08
2003-04	46		0.29
2004-05	40		3
2006-07	38		4
2010-11	32		0.10
2011-12	15 & 25	14	420.16
2012-13	7, 15 & 42	14	1,263.18
2013-14	15	13 & 14	694.05
2014-15	42	13	361.21
2016-17	32	14	10.75
2017-18	15	13	265.50
कुल			3,015.37

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2018-19

अनुशंसा: वित्त विभाग को ₹ 3,015.37 करोड़ के आधिक्य व्यय को विनियमित करने हेतु शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

2.3.6 परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट मैनुअल का नियम 117 (यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अपनाई गई) कहता है कि व्यय के नए विशिष्ट मद को पूरा करने के लिए या दत्तमत अनुदान में संभावित अधिक्य को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए।

वर्ष के दौरान ₹ 5,953.81 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से 44 मामलों में, (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त ₹ 3,495.01 करोड़ (59 प्रतिशत) का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है। इन

³ अधिक्य की राशि केवल ₹ 1,072 थी

⁴ अधिक्य की राशि केवल ₹ 81,665 थी

सभी मामलों में, यह देखा गया कि कुछ उप-शीर्षों के अंतर्गत दिये गये मूल आवंटन का उपयोग नहीं किया गया जिससे इन उप-शीर्षों के अंतर्गत वृहत बचत हुई।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

वर्ष 2018-19 के दौरान 22 उप-शीर्षों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, जैसा कि परिशिष्ट 2.7 में वर्णित है, अत्यधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। जैसा कि संबंधित परिशिष्ट में दर्शाया गया है, 18 योजनाओं/उप-शीर्षों के अंतर्गत, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹16.14 करोड़ की अतिरिक्त निधि प्रदान की गयी जिसके फलस्वरूप ₹ 142.47 करोड़ की बचत हुई, जबकि वर्ष के अंत में दो योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 1.30 करोड़ अन्य योजनाओं/उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया जिससे उन योजनाओं/उप-शीर्षों में ₹ 0.53 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

2.3.8 निधियों का वृहद अभ्यर्पण

127 मामलों में, ₹ 2,667.76 करोड़ की राशि, प्रावधान का 100 प्रतिशत (प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण हुआ, जिसका परिणाम योजनाओं/कार्यक्रमों के गैर-कार्यान्वयन में हुआ। विवरण परिशिष्ट 2.8 में दिये गये हैं।

अनुशंसा: सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक, अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण से बचा जाय।

2.4 व्यय का वेग

बिहार बजट नियमावली (यथा झारखण्ड द्वारा अपनाई गई) के नियम 113 निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन होने के रूप में माना जाएगा। विस्तृत व्यय का समरूप प्रवाह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है।

तथापि, यह देखा गया कि ₹ 10,151.23 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध वर्ष के अंतिम तिमाही में 21 अनुदानों में ₹ 6,342.48 (62.48 प्रतिशत) करोड़ का व्यय किया गया जैसा परिशिष्ट 2.9 में वर्णित है। मार्च 2019 में ₹ 3,691.90 करोड़ (कुल व्यय का 36.37 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसके आगे, यह पाया गया कि पर्यटन, कल्याण तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मार्च 2019 में ए.सी. विपत्र के द्वारा ₹ 35.15 करोड़ की निकासी की गई जैसा कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की तीव्रता अस्वस्थ परिपाटी तथा लोक धन के दुरुपयोग के जोखिम को अपरिहार्य बनाता है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय की तीव्रता का नियंत्रण करने के लिए आहरण एवं आबंटन अधिकारियों द्वारा बिहार बजट

नियमावली (यथा झारखण्ड द्वारा अपनाई गई) के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.5 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पुस्तकों से प्राप्ति एवं व्यय के मासिक एवं त्रैमासिक आँकड़ों को मिलाने के लिए बिहार बजट नियमावली (यथा झारखण्ड द्वारा अपनाई गई) के आवश्यकतानुसार महालेखाकार (लेखा एवं हक.), बजट नियंत्री अधिकारियों को बार-बार कहते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागाध्यक्षों ने वर्ष 2018-19 के दौरान कुल प्राप्ति ₹ 64,002.70 करोड़ के विरुद्ध ₹ 29,024.83 करोड़ (45.35 प्रतिशत) की प्राप्ति का समाशोधन नहीं किया। इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 65,888.13 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 37,817.51 करोड़ (57.40 प्रतिशत) समाशोधित नहीं किये गये। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के असमाशोधित व्यय, जिसकी समग्र राशि ₹ 25,632.56 करोड़ थी, के विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिये गये हैं।

अनुशंसा: वित्त विभाग को ऐसी क्रियाविधि विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें नियंत्री अधिकारी को मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास उपलब्ध प्राप्ति एवं व्यय की विवरणी से नियमित रूप से समाशोधन करना आवश्यक हो।

2.6 अनुदान संख्या 26 - श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की बजटीय प्रक्रिया

2.6.1 प्रस्तावना

झारखण्ड सरकार श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अपने मजदूर वर्ग की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, व्यवसाय को सामान्य रूप से बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना अनिवार्य है। व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए, राज्य प्रत्येक प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) तथा प्रत्येक अनुमण्डल में महिला आई टी आई स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना निदेशालय (क.रा.बी.यो.नि.) लगभग 3.46 लाख बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए प्राथमिक, स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी उपचार सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।

उपरोक्त जवाबदेही को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने विभाग को ₹ 345.71 करोड़ का बजट प्रदान किया है। बजट प्रावधान एवं इसकी उपयोगिता तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: 2018-19 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय तथा बचत की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	65.83	242.85	308.68
अनुपूरक अनुदान	34.69	2.34	37.03
कुल अनुदान	100.52	245.19	345.71
व्यय	13.21	166.63	179.84
बचत	87.31	78.56	165.87
अभ्यर्पण	87.31	78.40	165.71
व्यपगत	0.00	0.16	0.16

स्रोत: वर्ष 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

लेखापरीक्षा के क्षेत्र

विभागीय सचिवालय, श्रम रोजगार निदेशालय तथा बजटीय प्रक्रिया का लेखापरीक्षा हेतु चयनित आठ⁵ जिलों की 31⁶ ईकाईयाँ बजटीय प्रक्रिया के लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए थे।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6.2 सतत बचत

पिछले चार वर्षों के विभाग के बजट और व्यय की प्रवृत्ति के अध्ययन से पता चला की विभाग ने बजट अनुमानों की तुलना में अवधि के दौरान लगातार बचत की थी और बजट अनुमानों की तुलना में बचत का प्रतिशत काफी अधिक रहा जैसा कि तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

⁵ बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, राँची, सरायकेला और सिमडेगा।

⁶ 1.बोकारो- (i) उप श्रम आयुक्त (ii) कार्यकारी अभियन्ता (बी.सी.डी.) (iii) आई.टी.आई. (iv) कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) स्वास्थ्य केन्द्र 2. चाईबासा- (i) श्रम अधीक्षक (ii) श्रम अधीक्षक (कृषि श्रम) (iii) आई.टी.आई. 3. देवघर-(i) आई.टी.आई., (ii) (ई.एस.आई.) स्वास्थ्य केन्द्र, (iii) सहायक श्रम आयुक्त 4. धनबाद-(i) सहायक श्रम आयुक्त, (ii) (ई.एस.आई.) स्वास्थ्य केन्द्र, जोरफाटक और (iii) (ई.एस.आई.) स्वास्थ्य केन्द्र मैथन (iv) उप-क्षेत्रीय कर्मचारी नियोजनालय (एस.आर.ई.ई.) (v) आई.टी.आई. 5. गढ़वा- (i) श्रम अधीक्षक 6. राँची- (i) सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), (ii) प्रबंध निदेशक (झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड) (iii) आई.टी.आई. (सामान्य), (iv) आई.टी.आई. (कल्याण) (v) उप सचिव (श्रम आयुक्त), (vi) उप श्रम आयुक्त (vii) उप सचिव(श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग) (viii)सहायक निदेशक (नियोजन, मुख्यालय) (ix) ई.एस.आई स्वास्थ्य केन्द्र (x) एस.आर.ई.ई. (xi) उप आयुक्त कृषि श्रम 7. सरायकेला -(i) आई.टी.आई. (ii) ई. एस. आई. स्वास्थ्य केन्द्र (iii) श्रम अधीक्षक 8. सिमडेगा (i) श्रम अधीक्षक

तालिका 2.9: विगत चार वर्षों के दौरान श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग में बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष		मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2015-16	राजस्व	1456.87	35.26	1492.13	403.84	1088.29	73.42
	पूँजी	71.20	3.98	75.18	12.81	62.37	
	योग	1528.07	39.24	1567.31	416.65	1150.66	
2016-17	राजस्व	253.07	28.36	281.43	170.66	110.77	40.62
	पूँजी	45.87	0.95	46.82	24.27	22.55	
	योग	298.94	29.31	328.25	194.93	133.32	
2017-18	राजस्व	229.41	12.28	241.69	133.60	108.09	47.61
	पूँजी	70.22	9.21	79.43	34.62	44.81	
	योग	299.63	21.49	321.12	168.22	152.90	
2018-19	राजस्व	242.85	2.34	245.19	166.63	78.56	47.98
	पूँजी	65.83	34.69	100.52	13.21	87.31	
	योग	308.68	37.03	345.71	179.84	165.87	

स्रोत: विनियोग लेखा 2015-19

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है कि विभाग को पिछले चार वर्षों के दौरान 41 प्रतिशत और 73 प्रतिशत की बीच सतत बचत हुई थी जो वर्ष के दौरान योजनाओं को पूरा न होने का सूचक था।

2.6.3 बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली का नियम 62 राज्य का बजट उचित और ससमय तैयार करने के लिए बजट कैलेंडर का प्रावधान करता है। अक्टूबर 2017 में, वित्त विभाग झारखण्ड सरकार ने स्थापना व्यय का प्राक्कलन समर्पित करने की निर्धारित तिथि प्रत्येक वर्ष एक अक्टूबर से एक नवम्बर तक तथा सामान्य बजट(राज्य, केन्द्र एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ) के लिए 24 नवम्बर संशोधित किया।

अभिलेखों के संवीक्षा से यह उदघाटित हुआ कि वर्ष 2018-19 के लिए सामान्य बजट 60 दिन विलम्ब से (23 जनवरी 2018) वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया।

बजट प्राक्कलन का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण प्राक्कलन की संवीक्षा हेतु वित्त विभाग को कम समय दिया।

2.6.4 संवितरण अधिकारियों से अपेक्षित आवश्यकताओं की प्राप्ति के बिना तैयार किया गया बजट प्राक्कलन

झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली के नियम 65 के अनुसार नियंत्रि अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट का परीक्षण यह

देखने के लिए करना चाहिए कि दिए गए सभी विस्तृत ब्यौरे एवं विवरण सही हैं तथा पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा संवितरण अधिकारियों द्वारा वास्तविक आवश्यकताओं की प्राप्ति/मूल्यांकन किये बिना बजट प्राक्कलनों (राज्य, केंद्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ) को विभागीय स्तर पर तैयार किया गया, जो अन्ततः, कार्य के कार्यान्वयन एवं निधि के उपयोग के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजी अनुभाग के तहत ₹ 100.52 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 87.31 करोड़ (87 प्रतिशत) की भारी बचत के मद्देनजर बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करना एक गंभीर लापरवाही थी।

2.6.5 परिणाम एवं जेंडर बजट को तैयार नहीं करना

योजना- सह-वित्त विभाग के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2017) प्रपत्र-X में राज्य योजनाओं एवं केंद्रीय सहायता प्राप्त राज्य योजनाओं के तहत निष्पादित सभी योजनाओं के लिए अलग से तैयार किया जाना था ताकि प्राथमिक लक्ष्य और अन्य मात्रात्मक जानकारियों का संकेत दिया जा सके। वर्ष 2018-19 के दौरान जेंडर बजट के विवरणी के साथ योजनाओं के लिए आवश्यक राशि (जहाँ 30 प्रतिशत या अधिक महिलाओं के कल्याणार्थ योजनाओं पर व्यय किया जाना था और गुणात्मक सुधारों के लिए मूलभूत लक्ष्यों को इंगित करते हुए प्रपत्र-Y तैयार किया जाना था।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया था और वर्ष 2018-19 के लिए परिणाम एवं जेंडर बजट निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, केंद्रीय और राज्य योजनाओं के परिणाम बजट के निष्कर्ष का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

आगे, संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2018-19 के दौरान महिलाओं के कल्याणार्थ तीन योजनाओं (आम आदमी बीमा योजना, झारखण्ड असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एवं बी.प.एल महिलाओं के बीच कम्बल का वितरण) के लिए जेंडर बजट के तहत ₹ 13.30 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी।

यदपि, महिला विशिष्ट कार्यों पर खर्च का अभिलेख निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखा गया था। इस प्रकार, जेंडर बजटिंग की उपलब्धि और परिणाम का आकलन नहीं किया जा सका।

2.6.6 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियामावली (यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, आकलन तैयार करने वाले उत्तरदायी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकलन में व्यय से अधिक की राशि का प्रावधान न हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि 61 योजनाओं (45 राजस्व और 16 पूँजी) में से 14 योजनाओं (10 राजस्व और चार पूँजी) में ₹ 33.80 करोड़ की राशि का मूल प्रावधानों की अनुपयोगिता के वाबजूद, अनुपूरक प्रावधानों के द्वारा ₹ 37.03 करोड़ की राशि का अतिरिक्त निधि प्रदान की गई। जैसा कि परिशिष्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

2.6.7 कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता

कुछ मामलों, जहाँ बिहार बजट निमावली (यथा झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) के नियम 57 का पालन नहीं किया गया नीचे विस्तृत है।

(क) आई.टी.आई. एवं संबद्ध भवनों के निर्माण योजना के तहत झारखण्ड के सभी अनुमंडलों में महिला आई.टी.आई. एवं सभी प्रखण्डों में सामान्य आई.टी.आई. की स्थापना की जानी थी, जिसके लिए प्रथम चरण में 105 पिछड़ी हुई प्रखण्डों को चुना गया था। 2018-19 के दौरान कार्य लेखों के तीन⁷ शीर्षों के तहत ₹ 25.61 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी।

यह देखा गया कि 2018-19 के दौरान ₹ 25.61 करोड़ के आवंटन में ₹ आठ करोड़ अन्य उप-योजना (ओ.एस.पी.) तथा ₹ 17.61 करोड़ जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टी.एस.पी) एवं अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (एस.सी.एस.पी.) को दिए गए थे। ओ.एस.पी के कुल आवंटन में से ₹ सात करोड़ (दिसम्बर, 2018) झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.सी.एल) को सात आई.टी.आई. के निर्माण के लिए स्थानांतरित किए गए थे, जो अप्रयुक्त रहा और जनवरी 2020 तक जे.एस.बी.सी.सी.एल. के पी.एल. खाता में पड़ा रहा। शेष एक करोड़ की राशि विभाग द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया।

विभाग टी.एस.पी. और एस.सी.एस.पी. को ₹ 17.61 करोड़ के प्रावधान के उपयोग में असफल रहा और सम्पूर्ण राशि को अभ्यर्पित कर दिया गया।

(ख) वर्ष 2018-19 के दौरान, “राष्ट्रीय कैरियर सर्विस (केंद्रीय योजना), भारत सरकार” योजना के तहत मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना के लिए ₹ 0.15 करोड़ का सम्पूर्ण बजट विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताए अभ्यर्पित कर दिया गया था, ₹ 0.05 करोड़ को छोड़कर जिसे कोषागार सॉफ्टवेयर की विफलता के कारण अभ्यर्पित किया गया था।

(ग) आठ नमूना जाँच किए गए जिलों में से सात⁸ में 37 योजनाओं के लिए प्रदान किए गए ₹ 7.51 करोड़ की सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण मुख्य रूप से कोषागार सॉफ्टवेयर की विफलता, निधि की आवश्यकता नहीं रहने, उच्च स्तर

⁷ अन्य सामाजिक सेवाओं के पूँजी अनुभाग जैसे- 4250-00-203-01 (₹8.00 करोड़), 4250-00-789-01-(₹5.00 करोड़) एवं 4250-00-796-01(₹12.61 करोड़)

⁸ चाईबासा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, सरायकेला, सिमडेगा और राँची

पर लंबित निर्णय इत्यादि कारणों से किया गया था। जैसाकि परिशिष्ट 2.12 में दिया गया है।

(घ) यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान, तीन योजनाओं के लिए ₹ 17.81 करोड़ प्रदान किए गए थे; जिनमें से ₹ 9.32 करोड़ (52 प्रतिशत) खर्च किए गए और शेष राशि ₹ 8.49 करोड़ का अभ्यर्पण बिना कोई कारण बताए किया गया था। जैसाकि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: तीन योजनाओं में आवंटन एवं व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	झारखण्ड विधानसभा में नए कैंटीन की स्थापना	1.00	0.14	झारखण्ड विधानसभा एवं सचिवालय भवन में नए कैंटीन की स्थापना	व्यय सिर्फ सामग्री एवं आपूर्ति पर किया गया
2.	आम आदमी बीमा योजना	1.81	1.21	1,02,820 व्यक्तियों को बीमा प्रदान करने का लक्ष्य	विवरण उपलब्ध नहीं
3.	झारखण्ड असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	15.00	7.97	विभाग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया	उपलब्धि के संबंध में कोई अभिलेख नहीं पाया गया

आगे यह पाया गया कि आम आदमी बीमा योजना के तहत किये गए प्रावधान में से ₹ 1.21 करोड़ एल.आई.सी. को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.यो.) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) योजनाओं के अधीन 80,048 लाभार्थियों के बीमा नवीनीकरण के लिए प्रीमियम के रूप में स्थानांतरित (अगस्त, 2018) किया गया था। हालाँकि, लाभार्थियों के आधार संख्याओं की अनुपलब्धता के कारण योजनाओं के तहत बीमा कवर नहीं मिला और निधि/रशि को जनवरी 2020 तक एल.आई.सी. के पास अवरूद्ध रहा।

2.6.7.1 विभाग द्वारा कार्रवाई में विलम्ब के कारण राशि का अभ्यर्पण

वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रत्येक चिन्हित 10 जिलों⁹ में एक आई.टी.आई. और दो कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जानी थी। प्रत्येक जिले में एक आई.टी.आई. की स्थापना करने के लिए भारत सरकार द्वारा छः अतिरिक्त जिलों¹⁰ को शामिल किया गया था। इन सभी योजनाओं को बजटीय सहायता केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में प्रदान किया जाना था।

⁹ बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पलामू और पश्चिम सिंहभूम

¹⁰ दुमका, गिरीडीह, खूँटी, रामगढ़, राँची और सिमडेगा

2018-19 के दौरान, आई.टी.आई. के निर्माण और मशीनरी की खरीद के लिए योजना के तहत ₹ 64.68 करोड़ (केंद्रांश ₹ 38.51 करोड़ और राज्यांश ₹ 26.17 करोड़) का संशोधित बजट प्रदान किया गया था।

यह देखा गया कि कुल प्रावधान में से, ₹ 2.41 करोड़ (3.7 प्रतिशत) व्यय किया गया और शेष ₹ 62.27 करोड़ विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया था। कुल अभ्यर्पण ₹ 62.27 करोड़ में से, ₹ 24.79 करोड़ (केंद्रांश) एल.डब्ल्यू.ई. जिलों¹¹ में कौशल विकास योजना के तहत छः आई.टी.आई. और छात्रावास के निर्माण के लिए प्रदान की गई झारखण्ड भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची से तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) प्राप्त नहीं हाने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया था।

यदपि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग द्वारा अनुरोध विलम्ब (फरवरी, 2019) से भेजने के कारण वर्ष के दौरान तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया था।

2.6.8 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतें जब वे पूर्व ज्ञात हो वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल सरकार को अभ्यर्पित की जानी चाहिए। कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिये। आगे, नियम 135 के अनुसार, जब किसी अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट हो तो, नियंत्री अधिकारी को उस राशि का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाना चाहिये कि वह अभ्यर्पित कर सकता है।

यह देखा गया कि ₹ 345.71 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 165.70 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के तहत ₹ 87.30 करोड़ और राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 78.40 करोड़) विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया।

आगे, आठ नमूना-जाँचित जिलों में, यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन दिनों में ₹ 26.18 करोड़ (इन योजनाओं के तहत कुल प्रावधानों का 42 प्रतिशत) का अभ्यर्पण जिला इकाईयों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने, कोषागार सॉफ्टवेयर में विफलता, जेम पॉर्टल पर जटिल पंजीकरण प्रक्रिया इत्यादि कारणों से किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष के अंत में, निधि का अभ्यर्पण अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर इसके उपयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहा।

¹¹ दुमका, गिरीडीह, खूँटी, रामगढ़, राँची और सिमडेगा के पत्र संख्या 05/प्रशि.(योजना) -21/2018-231 दिनांक 08.02.2019

2.6.9 व्यय का वेग

प्रावधानों के अनुसार (बजट नियमावली का नियम 113) व्यय का वेग विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। अतः व्यय के वेग से विशेष रूप से अंतिम माह में बचना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि वर्ष 2018-19 के दौरान, 61 शीर्षों (पूँजीगत एवं दत्तमत) में से 16 शीर्षों में मार्च के दौरान व्यय, कुल व्यय का 50 से 100 प्रतिशत के बीच था। आगे, आठ नमूना-जाँचित जिलों में से सात¹² में यह पाया गया कि मार्च महीने में 40 से 100 प्रतिशत के बीच विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 2.14 में दर्शाया गया है। व्यय का वेग, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में, बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध है।

2.6.10 विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 अपेक्षा करता है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 179.84 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 68.94 करोड़ की राशि विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ समाशोधित नहीं की गई जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: विभागीय व्यय का असमाशोधन विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	2210	17.72	6.61	11.11
2	2230	118.04	98.88	19.16
3	2235	27.70	2.47	25.23
4	2251	3.16	2.94	0.22
5	4059	1.78	0.00	1.78
6	4250	11.44	0.00	11.44
कुल		179.84	110.90	68.94

आगे, आठ नमूना-जाँचित जिलों में से सात में वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 43.21 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 32.30 करोड़ समाशोधित नहीं किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.15 में दर्शाया गया है।

¹² बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, राँची, सरायकेला और सिमडेगा।

2.6.11 जमा खातों में निधि का रखाव (पार्किंग)

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 कहता है कि जबतक तत्काल भुगतान के लिए धन की आवश्यकता न हो, इसकी निकासी कोषागार से नहीं करनी चाहिए।

यह देखा गया कि ₹ 6.14 करोड़ संयुक्त श्रम भवन, आई.टी.आई. एवं कौशल विकास केन्द्रों, बोकारो के निर्माण एवं संबद्ध कार्यों के लिए फरवरी 2011 एवं मार्च 2019 के बीच का. अभि. भ.नि.वि. बोकारो को दिया गया था। जिसमें से ₹ 0.80 करोड़ दो कौशल विकास केन्द्रों के निर्माण पर का.अभि. द्वारा व्यय किया गया और शेष राशि ₹ 5.35 करोड़ लोक निर्माण जमा लेखा (पी.डब्ल्यू.डी.) में पड़ा रहा। पी.डब्ल्यू.डी. लेखा में रखी राशि का अगस्त 2019 तक उपयोग नहीं किया गया जैसा कि तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12 जमा खातों में निधि का रखाव (पार्किंग) की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/निर्माण का नाम जिसके अधीन निधि आबंटित की गई	आबंटन की तिथि	कुल आबंटन	कुल व्यय	शेष राशि
1	संयुक्त श्रम भवन, बोकारो का निर्माण	28.02.11 06.03.19	1.75	0.00	1.75
2	आई.टी.आई. एवं कौशल विकास भवन, बोकारो का निर्माण	08.09.12 05.01.13 04.01.19	4.17	0.80	3.38
3	आई.टी.आई., कसमार, बोकारो का अतिरिक्त निर्माण	29.03.16	0.22	0.00	0.22
कुल			6.14	0.80	5.35

जवाब में (अगस्त 2019) यह कहा गया कि संशोधित प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

2.6.12 झारखण्ड असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना (झा.अ.श्र.सा.सु.यो.) में अपूर्ण बीमा आच्छादन

2018-19 के दौरान झा.अ.श्र.सा.सु.यो. के लिए ₹ 15.00 करोड़ की राशि स्वीकृत (जुलाई 2018) किया गया था। जिनमें से ₹ 3.50 करोड़ आठ नमूना-जाँचित जिलों को आबंटित किया गया था। नमूना-जाँचित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि झा.अ.श्र.सा.सु.यो. के तहत पी.एम.जे.जे.बी.वाई. एवं पी.एम.एस.बी.वाई. पर ₹ 2.11 करोड़ व्यय किया गया था तथा शेष ₹ 1.39 करोड़ अभ्यर्पित कर दिया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.16 में दर्शाया गया है।

आगे, यह पाया गया कि पी.एम.जे.जे.बी.वाई के लिए कुल पंजीकृत असंगठित श्रमिकों (5,04,663) में से, केवल 1,12,562 (22 प्रतिशत) श्रमिक योजना के तहत आच्छादित किये गए। अन्य श्रमिकों को अपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार संख्या, बैंक

विवरणी के कारण आच्छादन नहीं किया गया। यद्यपि 1,12,652 श्रमिकों के लिए ₹ 1.92 करोड़ (प्रत्येक को ₹ 171.00) का प्रीमियम सितम्बर 2018 से फरवरी 2019 के बीच संबंधित श्रम अधिकारियों द्वारा एल.आई.सी. को स्थानांतरित किया गया था। इस योजना के तहत एल.आई.सी द्वारा लाभार्थियों के आच्छादन की पुष्टि फरवरी 2020 तक नहीं की गई थी।

2.6.13 नियोजनालय का राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के साथ इंटर लिंकिंग नहीं होना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्गत राष्ट्रीय कैरियर सेवा-2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी नियोजनालय को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एन.सी.एस) के साथ इंटरलिंक किया जाना था, ताकि योजना के तहत आयोजित सभी रोजगार मेलों को राज्य द्वारा ट्रैक/निरीक्षण किया जा सके।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2017-18 के दौरान योजना हेतु ₹ 2.74 करोड़ निदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड सरकार को निर्गत¹³ किया गया था। जिनमें से ₹ 0.88 करोड़ मार्च 2018 तक व्यय किया गया था और शेष राशि ₹1.86 करोड़ विभाग द्वारा अभ्यर्पित कर दिया गया था। ₹ 0.88 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भारत सरकार को प्रस्तुत (मई 2019) किया गया था।

2017-18 के दौरान अभ्यर्पण की गई राशि (₹ 1.86 करोड़) 2018-19 के दौरान पुनः आवंटित किया गया था, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 0.14 करोड़ व्यय किया गया। 2019-20 के दौरान शेष राशि ₹ 1.72 करोड़ की उपयोगिता हेतु पुनः वैधीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रेषित (मई 2019) किया गया था, जिसे (जनवरी, 2020) अनुमोदित नहीं किया गया। इस प्रकार, नियोजनालयों का राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के साथ इंटर लिंकिंग अधूरा रह गया।

यह पाया गया कि लगातार दो वर्षों में निधि की उपलब्धता के बावजूद राज्य नियोजनालयों को राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के साथ इंटरलिंक करने में विभाग विफल रहा जो राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसरों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करती।

लगातार दो वर्षों तक निधि का उपयोग नहीं होने के विशेष कारण के बिना संयुक्त निदेशक (रोजगार) ने बताया कि नियोजनालय पोर्टल को, एन.सी.एस. पोर्टल के साथ इंटरलिंकिंग की प्रक्रिया चल रही है।

2.6.14 अज्ञात/अपरिचित लाभार्थियों को कंबल/कपड़ों का वितरण

सरकार के निर्णयानुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) के लोग भिखारियों, दिव्यांगों और अन्य निराश्रितों के बीच कंबलों/कपड़ों का वितरण किया जाना था। तदनुसार, 2018-19 के दौरान ₹ 30.64 करोड़ (₹ 14.32 करोड़ अन्य उपयोगिता के लिए, ₹ 14.32 करोड़ जनजाति उप योजना के लिए एवं दो करोड़ अनु.जाति के

¹³ 10 फरवरी 2017: ₹ 2.05 करोड़ और 12 अप्रैल 2017: ₹ 0.69 करोड़

विशेष घटक (एस.सी.एस.पी.) के लिए प्रदान किया गया था जिनमें से, ₹ 27.70 करोड़ योजना पर व्यय किया गया और शेष राशि ₹ 2.94 करोड़ विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया।

आगे, आठ नमूना-जाँचित जिलों में, यह पाया गया कि प्रदान की गई ₹ 10.71 करोड़ (₹ 300 प्रति कंबल) में से ₹ 9.77 करोड़ व्यय किया और ₹ 0.94 करोड़ शेष के रूप में बचा रहा जैसा कि परिशिष्ट 2.17 में दिखाया गया है।

विभाग ने डी.डी.ओ को निर्देश (जनवरी 2019) दिया था कि वह निविदा दर पर शेष राशि से अतिरिक्त कंबल खरीदे। लेकिन मौसम में परिवर्तन और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कंबल की आपूर्ति करने से इंकार करने के कारण ₹ 0.94 करोड़ अभ्यर्पित कर दिया गया था।

यह पाया गया कि ₹ 9.77 करोड़ की लागत वाली 3,80,879 कंबलें लाभार्थियों के बीच बांटने के लिए खरीदी एवं दर्शायी गई। यद्यपि नमूना-जाँचित इकाईयों के अभिलेखों में मात्र 69,895 लाभार्थियों के विवरणियों की सूची उपलब्ध थी।

इस प्रकार, शेष 3,10,984 कंबल (लागत ₹ 8.16 करोड़) जो लाभार्थियों को वितरित किया गया था, का साक्ष्य इकाईयों के साथ उपलब्ध नहीं था।

तीन जिलों के छः कार्यालयों में किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण में पता चला है कि केवल 5,375 लाभार्थियों की विवरण सूची उपलब्ध थी, जबकि 44,613 लाभार्थियों को कंबल वितरण दर्शाया गया था। इन इकाईयों द्वारा भण्डार पंजी का भी संधारण नहीं किया गया। अतः निधि की गलत उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त सत्यापन का परिणाम तालिका 2.13 में दिखाया गया है।

तालिका: 2.13 संयुक्त सत्यापन के दौरान पायी गई कंबलों के वितरण की स्थिति

क्र. सं.	जिला	कार्यालयों के नाम (प्रखण्डों/अंचलों एवं नगर निगम)	वितरित कंबलों की संख्या	वितरित कंबलों के विरुद्ध लाभार्थियों की उपलब्ध सूची
1	धनबाद	बी.डी.ओ., गोविन्दपुर	6,866	121
		बी.डी.ओ., निरसा	4,800	666
2	राँची	सी.ओ., काँके	4,480	880
		नगर निगम, राँची	8,258	3,464
3	बोकारो	बी.डी.ओ., चंदनक्यारी	11,075	38
		बी.डी.ओ., चास	9,134	206
कुल			44,613	5,375

2.6.15 रोकड़ बही एवं विपत्र बही का असंधारण

झा.को.सं. के नियम 19 के नीचे टिप्पणी के अनुसार, कोषागार से संबंधित लेन-देन का पूरा अभिलेख लेखापाल के रोकड़ बही में या तो हस्तपंजी या संगणक पद्धति में रखा जाएगा।

श्रम अधीक्षक, सिमडेगा के कार्यालय की अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि अक्टूबर 2016 और अगस्त 2019 के बीच ₹ 1.11 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, कार्यालय में रोकड़ बही एवं विपत्र बही के रख-रखाव अक्टूबर 2016 से नहीं किया जा रहा था।

इसप्रकार, श्रम अधीक्षक, सिमडेगा के खातों में वास्तविक प्राप्तियाँ व्यय एवं शेष का लेखापरीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

डी.डी.ओ. द्वारा रोकड़ बही एवं विपत्र बही के असंधारण के कारण सरकारी धन के गबन/अनुपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

2.7 अनुदान संख्या 18 - खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग हेतु बजटीय प्रक्रिया

2.7.1 प्रस्तावना

विभाग का मुख्य उद्देश्य समय पर और कुशल खरीद और खद्यान्नों के वितरण, खाद्य भण्डारण के रख-रखाव, खाद्यानों के उत्पादन, भण्डारण और मूल्य स्तरों की निगरानी, किसानों को प्रोत्साहित करना, राज्य खाद्य आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता फोरम/मंच वजन और माप प्रभाग की प्रणाली को मजबूत करना, के माध्यम से राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

लेखापरीक्षा के क्षेत्र

विभागीय सचिवालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामलों और आठ¹⁴ जिलों में से 27 इकाइयों¹⁵ बजटीय प्रक्रिया की लेखा परीक्षा के लिए चयन किया गया था |

¹⁴ धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़ और राँची

¹⁵ 1. राँची- (i) निदेशक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामलों (ii) सचिव, झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (iii) सचिव, जिला उपभोक्ता फोरम (जि.उ.फो.) (iv) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता आयोग (v) संयुक्त निदेशक कृषि, माप व तौल (मा. व तौ.) (vi) उप-निदेशक कृषि व सहायक संयुक्त नियंत्रक मा. व तौ. (vii) नजारत उप-समाहर्ता कार्यालय (viii) विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी (वि.अ.प.) (ix) जिला आपूर्ति पदाधिकारी (जि.आ.प.) 2. गिरिडीह- (i) जि.आ.प. (ii) सचिव, जि.उ.फो. (iii) सहायक नियंत्रक मा. व तौ. 3. धनबाद- (i) (जि.आ.प.) (ii) (वि.अ.प.) (iii) सचिव, (जि.उ.फो.) (iv) सहायक नियंत्रक माप & तौल (मा. व तौ.) 4. दुमका- (i) जि.आ.प. (ii) सहायक कृषि निदेशक व उप नियंत्रक मा. व तौ. (iii) सचिव, जि.उ.फो. (iv) सहायक नियंत्रक मा. व तौ. 5. हजारीबाग-(i) जि.आ.प. (ii) जि.उ.फो. 6. रामगढ़- (i) जि.आ.प. 7. जमशेदपुर- (i) जि.आ.प. (ii) वि.अ.प. 8. गुमला- (i) जि.आ.प. (ii) सचिव, जि.उ.फो.

2.7.2 पिछले चार वर्षों के दौरान विभाग की बजटीय स्थिति

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग को पिछले चार वर्षों के दौरान बजट प्रावधान के 27 और 39 प्रतिशत के बीच लगातार बचत हुई थी जो आवंटित निधि का उपयोग करने में विभाग की असमर्थता का संकेत था, जिस कारण योजनाएँ गैर पूर्ण/गैर-प्रारंभित रही जैसा कि तालिका 2.14 में विस्तृत है।

तालिका 2.14: पिछले चार वर्षों के दौरान विभाग की बजटीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष		वास्तविक	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2015-16	राजस्व	1,234.11	50.32	1,284.43	778.8	505.63	38.76
	पूँजी	20.31	0.00	20.31	20.23	0.08	
	कुल	1,254.42	50.32	1,304.74	799.03	505.71	
2016-17	राजस्व	1,338.10	177.43	1515.53	1,120.57	394.96	25.31
	पूँजी	52.70	0.00	52.70	50.71	1.99	
	कुल	1,390.80	177.43	1,568.23	1,171.28	396.95	
2017-18	राजस्व	1,311.19	35.15	1,346.34	917.62	428.72	33.81
	पूँजी	80.00	0.00	80.00	26.54	53.46	
	कुल	1,391.19	35.15	1,426.34	944.16	482.18	
2018-19	राजस्व	1,311.12	64.58	1,375.70	1,027.00	348.70	26.90
	पूँजी	31.00	3.50	34.50	3.86	30.64	
	कुल	1,342.12	68.08	1,410.20	1,030.86	379.34	

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखा

2.7.3 बजट प्राक्कलन की तैयारी के लिए प्रावधान का अनुपालन नहीं होना

बजट नियमावली के नियम 62 राज्य के बजट की तैयारी सही और समय पर करने के लिए कैलेंडर प्रदान करता है। अक्टूबर 2017 में, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने स्थापना व्यय का प्राक्कलन समर्पित करने की निर्धारित तिथि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक तथा सामान्य बजट (राज्य, केन्द्र तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ) के लिए 24 नवम्बर संशोधित किया।

2.7.4 परिहार्य अनुपूरक बजट

बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उससे अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है जो खर्च किया जा सकता है।

यह देखा गया कि 2018-19 के दौरान उन अप्रयुक्त योजनाओं के मूल प्रावधानों के बावजूद अनुपूरक बजट के माध्यम से 75 योजनाओं का (राजस्व प्रमुखों) में से 15 योजनाओं के अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई थी।

जैसा कि **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है, अनुपूरक बजट के माध्यम से ₹ 17.93 करोड़ के अतिरिक्त कोष/निधि का प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि ₹ 68.13 करोड़ के मूल प्रावधान के विरुद्ध व्यय ₹ 55.27 करोड़ का था।

इसके आगे, पाँच नमूना-जाँचित जिला इकाईयों¹⁶ में यह देखा गया कि अनुपूरक बजट के माध्यम से ₹ 7.39 करोड़ की अतिरिक्त धन राशि प्रदान की गई थी, जोकि वित्तीय वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त रही जैसा कि **परिशिष्ट 2.19** में विस्तृत है।

2.7.5 वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 137 के अनुसार, किसी भी बचत को बचाकर नहीं रखा जाता है, इसे अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। इस कारण से, जिन विनियोगों की खर्च नहीं की जाने की संभावना रहती है, उसे यथाशीघ्र अभ्यर्पण के लिए सूचित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता, खर्च करने वाले विभाग से जुड़े अन्य अधिकारियों उन निधियों से वंचित होते हैं, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

यह देखा गया कि 2018-19 के दौरान ₹ 1,342.00 करोड़ के प्रावधान में से, 31 मार्च 2019 को विभाग द्वारा ₹ 256.52 करोड़ अभ्यर्पण किए गए, जिससे अन्य योजनाओं पर इसके उपयोग के लिए सरकार को कोई गुंजाइश नहीं रह गई। छः नमूना-जाँचित जिला इकाईयों में, वित्तीय वर्ष के अंतिम दो दिनों को ₹ 105.47 करोड़ अभ्यर्पण किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट 2.20** में विस्तृत है।

2.7.6 व्यय का वेग

यह देखा गया कि विभाग द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों के पालन नहीं किया गया और मार्च 2019 के दौरान व्यय लेखा (पूँजी एवं दत्तमत) के 75 शीर्षों में से 15 में कुल व्यय का 26 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.21** में विस्तृत है।

चार परीक्षण जाँच वाली जिलों में, यह पाया गया कि मार्च 2019 के दौरान इन इकाईयों द्वारा व्यय विभिन्न शीर्षों के अधीन 34 से 100 प्रतिशत के बीच थी, जैसाकि **परिशिष्ट 2.22** में विस्तृत है।

2.7.7 विभागीय व्यय के आकड़ों का असमाशोधन

यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बहियों के साथ ₹ 1,030.86 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 705.96 करोड़ (68 प्रतिशत) की राशि समाशोधित नहीं की गई जैसा कि **तालिका 2.15** में विस्तृत है।

¹⁶ धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़

तालिका 2.15 विभागीय व्यय के आकड़ों का असमाशोधन

क्रम. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	4408	3.86	0.00	3.86
2	3451	3.72	0.00	3.72
3	3475	3.02	0.00	3.02
4	3456	1,020.26	324.90	695.36
	कुल	1,030.86	324.90	705.96

इसके आगे, आठ नमूना-जाँचित जिला इकाईयों में, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 319.83 करोड़ (परिशिष्ट 2.23) सम्पूर्ण व्यय का प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के बही से समाशोधित नहीं किया गया।

2.7.8 सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 65 एवं 133 के अनुसार, नियंत्री अधिकारी को संवितरण अधिकारियों से प्राप्त बजट प्राक्कलन का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि दिए गए सभी ब्यौरे एवं विवरण सही हैं तथा पर्याप्त हैं, यदि अपर्याप्त हैं तो प्रावधान परिवर्तित किया जाना चाहिए। व्यय पर दोषपूर्ण नियंत्रण के संबंध में, वर्ष के शेष भागों के दौरान व्यय का प्राक्कलन अनुपूरक माँगों अभ्यर्पण एवं पुनः विनियोगों के लिए कथन/विवरणी आम तौर पर आठ और नौ मासिक संशोधित प्राक्कलनों पर आधारित होते हैं। अतः, किसी भी असामान्य घटना के होने की गुंजाईश में अत्यधिक कमी आई है।

यह देखा गया है कि विभाग के लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लेखा के 12 शीर्षों के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 51.57 करोड़ (100 प्रतिशत) की पूरे बजट प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.24** में विस्तृत हैं।

आठ नमूना-जाँचित जिला इकाईयों में, अन्नपूर्णा योजना उज्जवला योजना, किरोसिन तेल वितरण आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रदान की गई ₹ 12.40 करोड़ (100 प्रतिशत) के पूरे बजट प्रावधान का यथा निधि की गैर-आवश्यकता, निधि की विलम्ब से प्राप्ति, समय पर विपत्र की प्राप्ति न होना आदि से 2018-19 में अभ्यर्पण कर दिया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.25** में विस्तृत हैं।

2.7.9 परिणाम एवं जेंडर बजट की गैर-प्रस्तुति

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया और वर्ष 2018-19 के लिए परिणाम और जेंडर बजट निर्धारित प्रपत्र में तैयार और प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धि का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सका। इसके आगे निर्धारित प्रपत्र में जानकारी की कमी के कारण गुणात्मक सुधारों के माध्यम से प्राप्त केंद्रीय और राज्य योजनाओं के लक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

2.7.10 उपभोक्ता कल्याण कोष का अनुपयोग

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने (फरवरी 2010) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत के योगदान के साथ ₹ 10.00 करोड़ के उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को सूचित किया।

तदनुसार, एक असमापक निधि का गठन (जुलाई 2016) उपभोक्ता जागरूकता और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान बचत बैंक खाते में ₹ 10.00 करोड़ की राशि जमा की गई थी और डी.डी.ओ. के रूप में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, राँची के निदेशक को नियुक्त किया गया था। इस कॉर्पस निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग उपभोक्ता जागरूकता और अन्य संबद्ध गतिविधियों पर किया जाना था।

यह देखा गया कि 2016-19 के दौरान, हालाँकि ₹ 1.06 करोड़¹⁷ का बैंक ब्याज अर्जित किया गया था, लेकिन विभाग द्वारा उपभोक्ता कल्याण गतिविधि पर फरवरी 2020 तक उपयोग ही नहीं किया गया था।

2.7.11 बजट में उद्घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन

वर्ष 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि ₹ 69.41 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध सामाजिक लाभ के लिए तीन महत्वपूर्ण योजनाओं पर सिर्फ ₹ 18.17 करोड़ (26 प्रतिशत) का व्यय किया गया था और शेष राशि अभ्यर्पित किया गया था।

इस प्रकार, महत्वपूर्ण योजनाओं पर नगण्य व्यय (पाँच प्रतिशत से 49 प्रतिशत) के कारण इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं किया जा सका जैसा कि तालिका 2.16 में विस्तृत है।

तालिका 2.16 : बजट में उद्घोषित योजनाओं का कार्यान्वयन

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट आवंटन (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)	आवंटन के प्रतिशत के रूप में व्यय	उद्देश्य
1	अन्नपूर्णा योजना	4.41	2.16	49	54,939 वृद्ध व्यक्तियों की योजना के अन्तर्गत कवर किए गए थे।
2	गोदाम निर्माण/भरममती योजना	30.00	1.35	5	1.44 लाख मिट्टिक टन खाद्यान के अतिरिक्त भण्डारण का प्रावधान
3	मुख्यमंत्री दाल भात योजना	35.00	14.66	42	गरीबों को बुनियादी भोजन उपलब्ध कराने के लिए 376 केन्द्रों को शुरुआत की गई थी।
कुल		69.41	18.17	26	

¹⁷ 2016-17: ₹ 0.01, 2017-18: ₹ 0.37, 2018-19: ₹ 0.68

अनुशंसा: बजट प्राककलन तैयार करते समय राज्य सरकार के विभागों को बजट नियमावली में निहित प्रावधानों का पालन करना चाहिए ताकि इसे और अधिक यथार्थवाद बनाया जा सके। झारखण्ड कोषागार संहिता (ट्रेजरी कोड) और वित्तीय नियमों के प्रावधानों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

इसके आगे, वित्त विभाग द्वारा वर्ष के दौरान खर्च की प्रवृत्ति की निगरानी की जानी चाहिए ताकि बचत कम से कम हो, निधि/धन को अनावश्यक रूप से बचाकर नहीं रखा जाता है और विभागों द्वारा समय पर अभ्यर्पण किया जाता है।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड वित्तीय नियम (झा.वि.नि.) निर्धारित करता है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदानग्राही संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए और जाँचोपरान्त उन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड को उनकी संस्वीकृति के 12 महीनों के अंदर अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 तक भुगतान किये गये ₹ 53,379.00 करोड़ राशिकृत अनुदानों से संबंधित देय कुल 25,231 उ.प्र.प. मार्च 2019 के अंत तक बकाया थे। ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा भाग पाँच विभागों यथा “शहरी विकास विभाग (₹ 12,232.71 करोड़ के कुल 6,931 उ.प्र.प.)”, “मानव संसाधन विभाग (₹ 11,781.58 करोड़ के कुल 3,120 उ.प्र.प.)”, “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 4,772.79 करोड़ के कुल 301 उ.प्र.प.)”, “कल्याण विभाग (₹ 2,071.84 करोड़ के कुल 8,714 उ.प्र.प.)” और “कृषि, पशुपालन विभाग व सहकारिता विभाग (₹ 1,250.65 करोड़ के कुल 958 उ.प्र.प.)” के विरुद्ध बकाये थे। बकाये उ.प्र.प. का विभागवार वर्गीकरण परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2019 को बकाये उ.प्र.प. की संख्या एवं राशि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : 31.03.2019 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान वितरित किये गये	वर्ष जिसमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया हुआ	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि
2015-16 तक	2016-17 तक	16,097	19,101.92
2016-17	2017-18	4,915	14,731.75
2017-18	2018-19	4,219	19,545.33
बकाये उ.प्र.प. की कुल संख्या		25,231	53,379.00

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 19,545.33 करोड़ राशिकृत के 4,219 उ.प्र.प. 16 विभागों द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण बकाया थे। इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 19,545.33 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान

उस प्रयोजन के लिए व्यय की गई है जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था।

इसके अलावे, 2017-18 तक के ₹ 33,833.67 करोड़ राशिकृत के 21,012 उ.प्र.प. भी 31 मार्च 2019 तक बकाया थे। इस प्रकार, ₹ 53,379 करोड़ राशिकृत के कुल 25,231 उ.प्र.प. मार्च 2019 तक जमा नहीं किये जाने के कारण बकाया थे। उ.प्र.प. का अत्यधिक लंबित रहने के कारण निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी की संभावना है।

31 जुलाई 2019 को वृहत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले छः विभागों में विगत चार वर्षों की अद्यतन स्थिति निम्न तालिका 3.2 में दी गई है:

तालिका 3.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले प्रमुख विभाग (31.07.2019 को)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि
1	मानव संसाधन	88	1,148.89	513	2,049.97	1,579	4,374.78	893	3,660.12
2	ग्रामीण विकास	01	0.90	171	242.88	194	399.90	126	2,138.95
3	पंचायती राज व एन.आर.ई.पी.	823	1,040.17	119	665.29	129	3,341.23	166	5,361.60
4	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	03	160.00	13	656.03	73	806.11	209	3,147.25
5	शहरी विकास	819	844.79	688	2,147.96	1,128	3,856.64	873	3,927.36
6	कल्याण	215	226.26	6,505	1,038.08	545	195.81	971	234.17
सकल योग		1,949	3,421.01	8,009	6,800.21	3,648	12,974.47	3,238	18,469.45

यह देखा गया कि झारखण्ड सरकार द्वारा कोषागार संहिता नियम 329-331 के मार्च 2015 में शिथिल किये जाने, जिसमें सहायता अनुदान के निकासी के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया, के बाद बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (31 जुलाई 2019 को) की राशि 2016-17 के ₹ 19,086.13 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 53,228.19 करोड़ हो गयी।

सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति, नियत उद्देश्य हेतु अनुदानों की उपयोगिता का समयोचित प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के नियमों व प्रक्रियाओं के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की विफलता को इंगित करता है।

3.1.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बढ़ाकर सरकार को प्रेषित करना

मिशन निदेशक, झारखण्ड कौशल विकास मिशन के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि सहायता अनुदान ₹ 30 करोड़ की राशि (फरवरी 2016) श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा आवंटित किया गया जिसमें ₹ 1.27 करोड़ विभिन्न झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसायटीज (झा.कौ.वि.मि.सो.) को अग्रिम के रूप में प्रेषित किया गया।

मिशन निदेशक ने जून 2018 में ₹ 30 करोड़ राशि के उ.प्र.प. विभाग को संबंधित सोसायटीज से ₹ 1.27 करोड़ के व्यय प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना ही प्रेषित कर दिया। अग्रतर, अक्टूबर 2019 तक झा.कौ.वि.मि.सो. द्वारा भी ₹ 1.27 करोड़ के व्यय की पुष्टि नहीं की गयी थी। इस प्रकार, वास्तविक खर्च की पुष्टि किए बिना उ.प्र.प. जमा करना सरकारी वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था और इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावना थी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर प्रशासनिक विभाग अनुदान जारी करें, अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय से लंबित उ.प्र.प. जमा करें और यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे समय तक, प्रशासनिक विभाग व्यतिक्रमी अनुग्राही को आगे अनुदान जारी नहीं करे। सरकार को अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की पहल करनी चाहिए जो उ.प्र.प. को समय पर प्रस्तुत न करते हों।

3.2 प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा

3.2.1 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

निकाय तथा प्राधिकरण जो समेकित निधि से ऋण या अनुदान के रूप में पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हों, या जो विशिष्ट उद्देश्यों हेतु ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हों, की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, राज्य में कुल ऐसे 70 निकाय या प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 70 निकायों/प्राधिकरणों में से किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने अद्यतन किया हुआ लेखा 20 फरवरी 2020 तक प्रस्तुत नहीं किया, जबकि चार¹ निकायों/प्राधिकरणों ने लेखापरीक्षा को अपने प्रतिष्ठापन से लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। 66 निकायों प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.2 में दी गई है।

¹ (i) झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद; (ii) कार्यपालिका निदेशक, अनुपयोगी भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड; (iii) सी.ए.एम.पी.ए. और (iv) वन विकास प्राधिकारी।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उचित युक्ति अपनाने की आवश्यकता है कि लंबित लेखा एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर संकलित और लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं ताकि वित्तीय अनियमितताएँ, यदि कोई हो, संज्ञान से बाहर ना रह जाए।

3.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

कंपनी अधिनियम, 2013 निर्धारित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों की वित्तीय विवरणियाँ संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक तैयार किया जाना आवश्यक है। समय पर लेखा प्रस्तुत करने में विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रावधानों का भागीदार बनाती है।

31 दिसम्बर 2019 को सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने में प्रगति का विवरण निम्न तालिका 3.3 प्रस्तुत करती है।

तालिका 3.3: कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखाओं के अंतिम रूप से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सा.क्षे.उ. की संख्या	27	3	30
2	बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	24	03	27
3	बकाया लेखाओं की संख्या	69	03	72
4(क)	छह वर्षों से अधिक बकाया लेखाओं वाले लोक उपक्रमों की संख्या	03	00	03
4(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखाओं की संख्या	24	00	24
5(क)	तीन से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	09	00	09
5(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखाओं की संख्या	32	00	32
6(क)	एक से दो वर्षों के बीच बकाया लेखाओं वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	14	01	15
6(ख)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखाओं की संख्या	14	02	16
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 9	1 से 2	1 से 9

स्रोत: कंपनियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से संकलित आँकड़े

लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, कंपनी अधिनियम के तहत इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा, सी.ए.जी. द्वारा नहीं की जा सकी।

उपरोक्त स्थिति प्रशासनिक विभागों, विशेष रूप से वित्त विभाग द्वारा चूककर्ता कंपनियों से कंपनी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन कराने में विफलता को दर्शाता है। अग्रतर, यह पाया गया कि राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान छः में से तीन सा.क्षे.उ.², जिन्होंने अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था, के शेयर पूँजी में ₹ 41.00 करोड़ का निवेश किया था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ. जिनके लेखे बकाया हैं, के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लेखे एक तर्कसंगत अवधि के भीतर अद्यतन किये जाते हैं और उन सभी मामलों में वित्तीय सहायता रोका जाना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया रहते हैं।

3.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा अंशदानित प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। अद्यतन पूर्ण लेखाओं के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान चार संस्थाओं ने ₹ 26.58 करोड़³ का लाभ कमाया।

अनुशंसा: राज्य को शेयर पूँजी के रूप में अपने निवेश पर प्रतिफल के लिए लाभांश नीति बनाना चाहिए।

3.3 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 में प्रावधान है कि जब कोषागार से आकस्मिक खर्च एक अग्रिम के रूप में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर समर्थित अभिश्रवों के बगैर आहरित किया जाता है तो उप-अभिश्रवों से समर्थित और नियंत्रि अधिकारी (नि.आ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को ए.सी. विपत्रों की निकासी तिथि से छः माह के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समर्पित करना चाहिए।

31.03.2019 को लंबित डी.सी. विपत्रों के वर्ष-वार विवरण तालिका 3.4 में दिये गये हैं।

² अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम; झारखण्ड शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड और झारखण्ड रेल बुनियादी ढाँचा विकास निगम लिमिटेड

³ झारक्राफ्ट: ₹ 13.04 करोड़; ग्रेटर राँची विकास एजेन्सी: ₹ 8.86 करोड़; झारखण्ड पुलिस आवास निगम लिमिटेड: ₹ 3.47 करोड़ और झारखण्ड औद्योगिक विनिर्माण विकास निगम लिमिटेड : ₹ 1.21 करोड़।

तालिका 3.4 : लंबित डी.सी. विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित ए.सी. विपत्र		समर्पित डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी. विपत्र		डी.सी. विपत्रों के बकाया राशि का प्रतिशत
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2015-16 तक	56,188	17,140.40	38,742	13,193.24	17,446	3,947.17	23.03
2016-17	459	1,267.80	116	820.19	343	447.61	35.31
2017-18	335	1,209.12	59	768.24	276	440.88	36.46
2018-19	243	1,061.32	21	418.47	222	642.85	60.57
कुल	57,225	20,678.64	38,938	15,200.14	18,287	5,478.51	26.49

राज्य के 17 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 243 आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों के विरुद्ध सरकार के खाते से ₹ 1,061.32 करोड़ की निकासी की थी लेकिन ₹ 642.85 करोड़ राशिकृत के 222 विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्रों को वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पहले जमा नहीं किया गया। इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 642.85 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए व्यय की गई जिसके लिए इसे विधायिका द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2018-19 में व्यय की अत्योक्ति की संभावना व्यक्त करता है।

इसके अतिरिक्त ₹ 4,836 करोड़ राशिकृत के 18,065 ए.सी. विपत्र, जो 2017-18 तक निकासी हुई 31 मार्च 2019 तक बकाया थे। अग्रिम निकासी और लेखांकन न होने से दुरुपयोग/दुविनियोजन/अपकरण आदि की संभावना है।

2018-19 में आहरित ₹ 1,061 करोड़ के कुल ए.सी. विपत्र में से ₹ 62 करोड़ मार्च 2019 के महीने में निकाले गए। हालांकि, मार्च 2018 में निकासी की तुलना में (₹ 233 करोड़) मार्च 2019 में निकासी में काफी कमी आई। मार्च 2019 में ए.सी. विपत्र के माध्यम से पर्याप्त व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को समाप्त करने और अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

अधिकतम राशि के लंबित डी.सी. विपत्रों वाले विभागों और उनके तुलनात्मक विवरण तालिका 3.5 में दिए गए हैं:

तालिका 3.5 : बकाया डी.सी. विपत्रों का विभाग-वार तुलनात्मक विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	28.06.2019 को डी.सी. विपत्र का बकाया राशि					कुल
		2014-15 तक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	606.63	124.29	120.72	212.30	304.66	1,368.60
2	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	394.76	18.41	22.23	5.12	5.65	446.17
3	महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग	450.04	83.72	0.00	0.00	0.45	534.21
4	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग	446.49	66.94	15.65	5.14	20.47	554.69
5	गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	95.76	25.47	29.65	56.56	175.70	383.14
कुल		1,993.68	318.83	188.25	279.12	506.93	3,286.81

जैसा कि उपर तालिका में दिखाया गया है, ग्रामीण विकास विभाग के परिपेक्ष्य में बकाया डी.सी. विपत्र 2017-18 से प्रमुखता से बढ़ता गया।

दो विभागों (खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग तथा श्रम, रोजगार व प्रशिक्षण विभाग) के अभिलेखों के जाँच के दौरान, यह पाया गया कि सात मुख्य शीर्षों के तहत 1,410 ए.सी. विपत्रों पर ₹ 524.03 करोड़ आहरित किया गया जिसमें से 827 डी.सी. विपत्रों की राशि ₹ 207.94 करोड़ जुलाई 2019 तक बकाया था जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में दिए गए हैं।

अग्रतर कुल बकाया राशि ₹ 207.94 करोड़ में से ₹ 206.32 करोड़ (99 प्रतिशत) के डी.सी. विपत्र दो वर्षों से अधिक समय से बकाये थे। 2017-18 और 2018-19 के दौरान ए.सी. विपत्रों पर कुल आहरण के लिए डी.सी. विपत्रों की लंबमानता क्रमशः 83 और 100 प्रतिशत थी।

नमूना-जाँचित जिलों के 17 ईकाइयों के दस्तावेजों की समीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि 2000-01 से 2018-19 अवधि के दौरान तीन मुख्य शीर्षों (2230, 3456 और 4059) में 131 ए.सी. विपत्रों द्वारा ₹ 205.95 करोड़ आहरित किए गए जिसमें से कुल ₹ 52.44 करोड़ 31 जुलाई 2019 तक बकाया था जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है।

3.3.1 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा करने में विलम्ब

झारखण्ड निधि संहिता के नियम 187 यह वर्णन करता है कि निधि से आकस्मिक विपत्र पर आहरण किए जाने के अगले माह के छः माह के भीतर डी.सी. विपत्रों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजा जाएगा। इस अवधि के बाद जब तक

कि नियम के अनुसार डी.सी. विपत्र को प्रस्तुत न कर लिया गया हो, कोई ए.सी. विपत्र नकदीकृत नहीं की जाएगी।

अनुदान संख्या 18-खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग के तहत नमूना-जाँच वाले पाँच जिलों के अभिलेखों के जाँच के दौरान यह पाया गया कि 2003-04 से 2016-17 के दौरान आहरित किए गए ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध (परिशिष्ट 3.5) ₹ 60.67 करोड़ की राशि का डी.सी. विपत्र तीन से 75 माह के विलंब से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रस्तुत किये गये।

अग्रतर, श्रम रोजगार व प्रशिक्षण विभाग (अनुदान सं. 26) के आठ नमूना-जाँचित जिलों की सात ईकाइयों के दस्तावेजों की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि 2001-02 और 2017-18 के बीच ए.सी. विपत्रों पर कुल ₹ 21.23 करोड़ के आहरण के विरुद्ध 52 डी.सी. विपत्रों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को 16 वर्ष और आठ माह के विलंब से प्रस्तुत किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में दिया गया है। विभाग द्वारा विलंब किए जाने का कोई उचित कारण नहीं दिया गया।

ए.सी. विपत्रों पर निधियों का आहरण और निर्धारित समय के भीतर डी.सी. विपत्र का समर्पण नहीं किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, बल्कि इसमें लोक धन के दुर्विनियोजन और गलत प्रक्रियाओं का जोखिम भी सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ए.सी. विपत्रों पर निधियों के आहरण से लोक धन के दुरुपयोग की संभावना भी रहती है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्री अधिकारी समयबद्ध तरिके से सभी ए.सी. विपत्र निर्धारित अवधि में ही लंबित हो और यह सुनिश्चित करे की ए.सी. विपत्र पर निकासी बजट से बचने के लिए न हो, समायोजन करे।

3.4 दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि संबंधी मामले का प्रतिवेदन

झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 31 में प्रावधानित है कि लोक धन, सरकारी राजस्व, भण्डार या अन्य सम्पत्ति की गबन या अन्य प्रकार से हानि को कार्यालय द्वारा उच्च प्राधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को अविलंब सूचित किया जाना चाहिये, तब भी जब ऐसी हानि के लिए उत्तरदायी पक्ष द्वारा इसकी भरपाई कर दी गयी हो। ऐसी सूचनाएँ यथाशीघ्र, जैसे ही संदेह उत्पन्न हो कि कोई हानि हुई है, प्रेषित की जानी चाहिये तथा इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिये जब जाँच-पड़ताल की जा रही हो।

लेखापरीक्षा माँग-पत्र के बावजूद (3 दिसम्बर 2019), वित्त विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2020)।

तथापि, विगत वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा आग्रह के प्रत्युत्तर में, वित्त विभाग ने विभागों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया था जिन्होंने आगे लेखापरीक्षा को

सूचना उपलब्ध कराने के लिए निकासी व व्ययन पदाधिकारियों को अनुदेशित किया था। यह इंगित करता है कि वित्त विभाग के पास ऐसे मामलों के अनुश्रवण के लिये नियम 31 के अंतर्गत अपेक्षित कोई सूचना नहीं है। इस प्रकार, वित्त विभाग किसी भी समय में ऐसे मामलों की संख्या और इनकी स्थिति से अवगत नहीं रहा है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि वो दुर्विनियोजन, हानि आदि का अनुश्रवण कर सके।

3.5 निधियों का आहरण और व्यक्तिगत बही खातों में रखा जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार यदि यह तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो कोषागार से धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए।

2018-19 के वित्त लेखे के मुख्य शीर्ष 8448- 'स्थानीय निधियों के जमा' के अंतर्गत लघु शीर्ष में वर्ष के दौरान लेन देन और अभिश्रव स्तरीय कंप्यूटरीकरण (वी.एल.सी.) आँकड़ों की समीक्षा से उद्घटित हुआ कि 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा 187 व्यक्तिगत बही खाते संचालित किये गये जा रहे थे।

2018-19 के दौरान, ₹ 13,202.66 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹ 9,875.32 करोड़ जोड़ा गया फलस्वरूप, व्यक्तिगत बही खातों में ₹ 23,077.98 करोड़ का संचय हुआ। अग्रतर, वर्ष के दौरान ₹ 8,730.74 करोड़ व्यय किया गया जिससे वर्ष 2018-19 के अंत में व्यक्तिगत बही खातों में ₹ 14,347.24 करोड़ का शेष बचा रहा। व्यक्तिगत बही खातों के शेषों के वर्ष-वार शेष नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.6: व्यक्तिगत बही खातों में निधियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2016-17	5,217.97	8,406.87	4,136.44	9,488.40
2017-18	9,488.40	12,694.02	8,979.76	13,202.66
2018-19	13,202.66	9,875.32	8,730.74	14,347.24

तालिका 3.6 से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत बही खातों में जहाँ प्रतिवर्ष एक बड़ी राशि जोड़े जाने के कारण अन्त शेष में प्रमुखता से वृद्धि हुई, वहीं यह भी देखा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में निवल योग काफी कम हुआ।

यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान व्यक्तिगत बही खाते में ₹ 1,144.58 करोड़ जोड़ा गया (निवल योग) जिससे उस वर्ष के दौरान राज्य के व्यय को अधिक बताया गया। इस प्रकार, सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे संचित निधि से बाहर ₹ 14,347.24 करोड़ के कुल योग को रखा गया जो कि बजटीय नियंत्रण पद्धति के प्रावधानों के विरुद्ध है।

अग्रतर, जे.टी.सी. नियम 334 बतलाता है कि जमा प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्षों के अंत में व्यक्तिगत जमा खातों का समीक्षा करेगा। दो लगातार वित्तीय वर्षों तक न खर्च किए गए धन को आगे खर्च नहीं की जानी चाहिए और शेष को संबंधित सेवा शीर्ष जिससे धन को आहरित किया गया था, को व्यय में कमी के रूप में स्थानांतरित की जानी चाहिए।

व्यक्तिगत बही खाते के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि 25 में से नमूना-जाँचित 10 प्रशासकों ने उपर्युक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया और ₹ 365.39 करोड़ तीन वर्षों से अधिक समय तक **(परिशिष्ट 3.7)** उनके व्यक्तिगत बही खाते में अवरुद्ध पड़ा रहा। यह भी पाया गया कि एक प्रशासक द्वारा पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान अपने नियंत्रण के अधीन व्यक्तिगत बही खाता शेष से ₹ 314.88 करोड़ का समर्पण किया गया जिसमें से ₹ 138.81 करोड़ केंद्रांश से संबंधित है।

व्यक्तिगत बही खाते में बिना खर्च के रखी गई राशि, जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व न तो आवधिक समाशोधन किया गया और न ही समेकित निधि में अंतरित किया गया, के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और लोक निधियों के दुर्विनियोजन का जोखिम की संभावना बनी रहती है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत बही खातों में रखी गई सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाए। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और विभागीय अधिकारियों जो नियमावलियों के अनुसरण में विफल रहते हैं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.6 श्रम सेस

भवन और अन्य निर्माण कर्मों कल्याण सेस नियमावली 1998 की धारा 5 के अनुसार, संवेदकों से श्रम सेस के रूप में संग्रहित राशि को श्रमिक कल्याण बोर्ड को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

वित्त लेखे के अनुसार, 2018-19 तक सरकारी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने वाले संवेदकों से सेस के रूप में ₹ 473.48 करोड़ संग्रहित किया गया था। संग्रहित किए गए सेस को श्रमिक कल्याण बोर्ड (जनवरी 2020) को अंतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के दौरान राज्य के राजस्व आधिक्य में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज हुई तथा यह राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है जैसा कि **कंडिका 3.9** में चर्चा किया गया है।

3.6.1 श्रम सेस का लेखांकन एवं उपयोगिता

यह देखा गया कि श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 2012-13 तक ही लेखाओं का अंतिम रूप दिया है। तथापि, 2018-19 तक प्राप्तियाँ एवं निधियों की उपयोगिता, जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया, तालिका 3.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.7: बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई राशि एवं उसकी उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई राशि	बोर्ड के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई राशि	कुल प्राप्तियाँ	बोर्ड द्वारा योजनाओं ⁴ पर खर्च की गई राशि	स्थापना पर खर्च की गई राशि	कुल व्यय	उपयोग में नहीं लाई गई शेष राशि
(1)	(2)	(3)	{{(2+3)=4}}	(5)	(6)	{{(5+6)=7}}	{{(4-7)=8}}
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0	90.19	90.19	59.19	0.90	60.09	30.10
कुल	5.08	486.62	491.70	253.24	4.75	257.99	233.71

स्रोत: झारखंड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मियों कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान किए गये विवरणी ।

वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के दौरान, 22 कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 253.24 करोड़ खर्च किए गए, जबकि ₹ 4.75 करोड़ स्थापना पर खर्च किए गए। जैसा कि तालिका 3.7 में दर्शाया गया है कि बोर्ड विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध निधि का केवल 51.50 प्रतिशत उपयोग करने में सक्षम रहा। जैसा कि बोर्ड द्वारा कहा गया है कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार ओर सेवा की शर्त का विनियमन) अधिनियम के नियम 22⁵ के तहत बोर्ड के निर्णय पर कुछ योजनाओं⁶ को बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप धन का उपयोग नहीं हो पाया।

अनुशंसा: झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण कर्मी (भ.व.अ.नि.क.) कल्याण बोर्ड को वार्षिक लेखाओं की समयबद्ध तैयारी और लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को इसकी प्रस्तुति हेतु कदम उठाना चाहिए।

⁴ दिनांक 16.01.2020 का कल्याण बोर्ड के प्रति विवरणी के अनुसार जारी 22 योजनाएँ।

⁵ बोर्ड दुर्घटना के मामले में, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी को पेंशन का भुगतान, घर के निर्माण के लिए ऋण और अग्रिम, समूह बीमा योजना, बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, प्रमुख बीमारियों का उपचार, मातृत्व सहायता प्रदान कर सकता है। हालांकि अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधान और सुधार बोर्ड द्वारा तय किये जा सकते हैं।

⁶ सिलाई मशीन सहायता, सरस्वती योजना, बाल श्रम शिक्षा प्रोत्साहन योजना, रोजगार प्रशिक्षण योजना, परिवार पेंशन योजना, एन.पी.एस. योजना आदि

झारखण्ड सरकार को यथाशीघ्र श्रम सेस का श्रमिक कल्याण बोर्ड में अंतरण तथा मौजूदा राशि का उचित प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि बोर्ड भवन व अन्य निर्माण कर्मियों के काम करने की परिस्थितियों को बेहतर बनाने व उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके।

3.7 लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत दर्ज किया जाना

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तब संचालित किया जाता है जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह खाते को अपारदर्शी बनाता है।

2018-19 के दौरान, 11 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹ 1,161.38 करोड़ दर्ज किये गये, जिसमें से पाँच मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 1,091.58 करोड़ (इन शीर्षों में कुल ₹ 2,876.86 करोड़ के व्यय का 37.94 प्रतिशत) के समग्र व्यय (प्रत्येक मामले में कुल व्यय के 10 प्रतिशत से अधिक) लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज किए गए जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में वर्णित है।

इसी प्रकार, 47 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियों" के अंतर्गत ₹ 832.91 करोड़ दर्ज किये गए, जिनमें से 18 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 581.55 करोड़ (इन शीर्षों में कुल ₹1,258.29 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 46.22 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियाँ (प्रत्येक मामले में कुल प्राप्तियों के 30 प्रतिशत से ज्यादा) लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अधीन वर्गीकृत किये गये। चार मुख्य शीर्षों में समस्त प्राप्तियाँ इस बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अधीन वर्गीकृत किये गये जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में वर्णित है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अधीन दर्शाये जा रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ऐसी प्राप्तियाँ व व्यय भविष्य में उचित लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये जाए।

3.8 लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव

• प्रमुख उचंत लेखे के अंतर्गत बकाया शेष

उचंत शीर्ष का प्रचालन तब किया जाता है जब प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेन-देन जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव में अथवा अन्य कारणों से किसी अंतिम लेखाशीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे लेखा शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से निष्पादित करते हुए उनके अंतर्गत राशियाँ उनसे संबद्ध अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज कर लिये जाते हैं। वर्ष के अंत में अनिष्पादित

रह गयी उचंत राशियाँ सरकार के उस वर्ष के प्राप्ति और व्यय के सही प्रतिबिंब को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। राज्य के उचंत शेषों की स्थिति तालिका 3.8 में इंगित है।

तालिका 3.8 : उचंत शीर्ष (8658) के अंतर्गत शेषों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	46.06	24.77	70.90	45.38	150.67	138.66
निवल	डेबिट 21.29		डेबिट 25.52		डेबिट 12.01	
102- उचंत लेखा (सिविल)	160.19	11.59	196.54	17.27	28.67	23.33
निवल	डेबिट 148.60		डेबिट 179.27		डेबिट 5.34	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19

इन शीर्षों के अंतर्गत शेषों के निहितार्थ नीचे बताये गये हैं:

- **भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत**

इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों को दर्शाते हैं जो केन्द्र सरकार विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड द्वारा किए गए हैं, जिनकी समायोजित किया जाना बाकी है। बकाया क्रेडिट शेष पी.ए.ओ. द्वारा राज्य सरकार की ओर से किये गए उन भुगतानों को दर्शाते हैं जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समायोजित किया जाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल डेबिट शेष (₹ 12.01 करोड़) के समायोजन पर राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होगी।

- **उचंत लेखा (सिविल)**

इस लघु शीर्ष में प्राप्तियों को लेखांकित करने के लिए क्रेडिट एवं वहन किये गये व्यय के लिए डेबिट किया जाता है और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित किया जाता है। इस मद के निष्पादन पर रोकड़ शेष में कोई प्रभाव नहीं होता है।

3.9 राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

व्यय और राजस्व की गलत प्रविष्टि/लेखांकन के प्रभाव का परिणाम राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति के रूप में हुआ, जैसा कि इस प्रतिवेदन के कंडिका 1.9.3, 1.9.4 और 3.6 में उल्लिखित है, तालिका 3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: लेखापरीक्षा के अनुसार राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		बकाया दायित्वों पर प्रभाव
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
निकाय/बोर्ड को श्रम सेस का हस्तांतरण न किया जाना	473.48	0.00	0.00	473.48	473.48
ऋणशोधन निधि का हस्तांतरण न किया जाना	385.48	0.00	0.00	385.48	385.48
ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा का क्रेडिट ना होना	94.96	0.00	0.00	94.96	94.96
कुल	953.92			953.92	953.92
निवल प्रभाव	₹ 953.92 की अत्योक्ति		₹ 953.92 की न्यूनोक्ति		

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19

उपरोक्त के मद्देनजर, वित्त लेखे में अनुमानित राज्य का राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा, क्रमशः ₹ 5,520.97 करोड़ और ₹ 6,628.74 करोड़ हैं। राजस्व आधिक्य के ₹ 953.92 करोड़ की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे के ₹ 953.92 करोड़ की न्यूनोक्ति के कारण, वास्तव में यह क्रमशः ₹ 4,567.05 करोड़ और ₹ 7,582.66 करोड़ होना चाहिए जैसा कि तालिका 3.9 में दिया गया है। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य के दायित्वों को ₹ 953.92 करोड़ तक कम दर्शाया गया।

3.10 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.4.4 (विगत वर्षों से संबंधित प्रावधानों से आधिक्य व्यय) पर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) चर्चा कर चुकी है तथा लो.ले.स. की अनुशंसा पर (दिनांक 13.01.2014) ₹ 8,120.63 करोड़ में से ₹ 8,120.12 करोड़ की राशि को विनियमित कर दिया गया। उस तिथि के बाद प्रावधानों से किसी भी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में लो.ले.स. द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की गयी है।

3.11 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन

पूँजी प्रभाग (₹ 11,935.23 करोड़) और ऋण व अग्रिम (₹ 6,583.36 करोड़) के अंतर्गत शेष सहित लोक लेखा शीर्षों के अधीन ₹ 7,443.90 करोड़ की राशि का नवम्बर 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशकों के बाद भी उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच संविभाजन किया जाना बाकी था। झारखंड सरकार ने पेंशन दायित्वों के भुगतान के लिए बिहार सरकार द्वारा ₹ 4,805.75 करोड़ के दावे के विरुद्ध ₹ 1,493.95 करोड़ (2018-19 के दौरान

₹ 557.13 करोड़) का भुगतान किया। राज्य सरकार ने बिहार सरकार के दावे को चुनौती देते हुए मई 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था जो अभी भी विचाराधीन है।

अग्रतर, 52 मर्दों की सूची तैयार की गयी जिन्हें उत्तरवर्ती राज्यों के बीच संविभाजन किया जाना बाकी है क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विभिन्न लंबित अदालती मामलों की स्थिति प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के पास उपलब्ध नहीं है।

अनुशंसा: राज्य सरकार द्वारा दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच लोक लेखा शेष, पूँजी अनुभाग शेष और ऋण एवं अग्रिम शेष का शीघ्र संविभाजन किया जाना चाहिए।

राँची
दिनांक 5 अगस्त 2020



(इंदु अग्रवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 7 अगस्त 2020



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ: कंडिका- 1.1; पृष्ठ 1)

झारखण्ड का परिचय						
ए. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा	
1	क्षेत्रफल				79,714 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या					
	क.	2001 के जनगणना के अनुसार			2.69 करोड़	
	ख.	2010-11			3.30 करोड़	
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) ² 2011-12 (अखिल भारतीय औसत = 21.9%)				36.90 प्रतिशत	
5	क.	साक्षरता ³ (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80%)			44 प्रतिशत	
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73%)			66.40 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 33 प्रति 1000 जीवित जन्म)				32	
7	मानव विकास सूचकांक ⁵					
	क.	2017 (अखिल भारतीय = 0.643)			उपलब्ध नहीं	
	ख.	2018 (अखिल भारतीय = 0.647)			उपलब्ध नहीं	
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2018-19 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 3,07,581 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2018-19)			झारखण्ड	8.92 प्रतिशत	
				सामान्य श्रेणी राज्य	10.99 प्रतिशत	
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर.(2011-12 से 2018-19) ⁶			झारखण्ड	10.71 प्रतिशत	
				सामान्य श्रेणी राज्य	12.23 प्रतिशत	
11	जनसंख्या वृद्धि ⁷ (2009 से 2019)			झारखण्ड	13.80 प्रतिशत	
				सामान्य श्रेणी राज्य	12.46 प्रतिशत	
ख. वित्तीय आँकड़ा ⁴						
क्र.सं.	विवरण			आँकड़े (प्रतिशत में)		
				सी.ए.जी.आर.		
			2009-10 से 2017-18	2017-18 से 2018-19		
			सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
1	क	राजस्व प्राप्तियों का	15.03	16.91	12.77	6.44
2	ख	कर राजस्व का	14.84	16.24	12.72	15.41
3	ग	गैर कर राजस्व का	9.88	16.87	19.78	5.24
4	घ	कुल व्यय का	14.20	17.23	12.73	(-)2.98
5	ङ	पूँजीगत व्यय का	13.53	20.42	11.93	(-)10.38
6	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	13.44	11.36	9.38	(-)3.05
7	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	19.82	11.09	22.52
8	ज	वेतन एवं मजदूरी का	11.72	9.72	11.03	8.17
9	झ	पेंशन का	16.12	17.03	14.31	1.32

¹ सेंसस इण्डिया 2011 अंतिम कुल जनसंख्या

² आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19, (भाग II), पृष्ठ ए 168-169, तालिका 9.8

³ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19, (भाग II), पृष्ठ ए 164, तालिका 9.4

⁴ आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19, (भाग II), पृष्ठ ए 160, तालिका 9.1

⁵ एच.डी.आई.: मानव विकास प्रतिवेदन 2019 यू.एन.डी.पी.द्वारा प्रकाशित

⁶ दिनांक 01.08.2019 को एस.पी.आई. मंत्रालय वेबसाइट से डाउनलोड किया गया स.रा.घ.उ. एवं प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ.

⁷ भारत की जनगणना 2001 (जनसंख्या प्रोजेक्सन 2001-2026, तालिका 14, पृष्ठ 104 से 115)

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(संदर्भ : कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
भाग I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।	
भाग-II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
भाग-III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
भाग-ग : वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशीकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष हैं, जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरणी-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2018-19 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2019 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2018-19 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2
वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कडिका 1.1.1; पृष्ठ 1)

वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2017-18			2018-19	2017-18		2018-19			
	भाग - क: राजस्व					स्थापना	राज्य एवं केंद्र योजना	कुल	
52,756.03	I. राजस्व प्राप्तियाँ		56,151.70	50,952.07	I. राजस्व व्यय	26,647.59	23,983.14	50,630.73	50,630.73
12,353.44	कर राजस्व		14,752.07	16,558.33	सामान्य सेवाएँ	16,984.42	671.24	17,655.66	
				19,574.97	सामाजिक सेवाएँ	6,567.50	12,218.53	18,786.03	
7,846.67	कर-भिन्न राजस्व		8,257.98	7,965.74	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	4,839.19	3,004.83	7,844.02	
				2,548.72	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,034.69	2,088.31	3,123.00	
21,143.63	संघीय करों में राज्य के हिस्से		23,906.13	4,683.77	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	296.44	3,002.65	3,299.09	
1,583.03	गैर-योजना अनुदान	वित्त आयोग अनुदान	1,059.89	185.66	सूचना एवं प्रसारण	102.14	57.91	160.05	
1,844.02	राज्य योजना हेतु अनुदान	राज्य को अन्य अनुदान	1,178.78	1,084.97	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	155.45	991	1146.45	
7,985.24	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6,996.85	110.90	श्रम एवं श्रम कल्याण	61.01	57.04	118.05	
				2,963.61	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	46.82	3,016.79	3,063.61	
				31.60	अन्य	31.76	0	31.76	
				14,818.77	आर्थिक सेवाएँ	3,095.67	11,093.37	14,189.04	
				2,016.85	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	638.53	1,150.97	1,789.50	
				6,044.87	ग्रामीण विकास	535.04	6,896.59	7,431.63	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
				398.19	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	393.33	6.09	399.42	
				4,530.12	उर्जा	1,094.95	1,595.27	2,690.22	
				264.83	उद्योग एवं खनिज	67.96	276.59	344.55	
				530.93	परिवहन	257.85	129	386.85	
				0	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0	
				1,032.98	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	108.01	1,038.86	1,146.87	
				0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	
				50,952.07	कुल	26,647.59	23,983.14	50,630.73	

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2017-18			2018-19	2017-18		2018-19			
0.00	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			1,803.96	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				5,520.97
52,756.03	कुल		56,151.70	52,756.03	कुल				56,151.70
खण्ड ख									
1,947.85	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		550.44*	0	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष				0
25.09	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0	11,952.71	IV. पूँजीगत परिव्यय	42.30	10,669.41	10,711.71	10,711.71
				807.11	सामान्य सेवाएँ	40.28	750.76	791.04	
				1,528.07	सामाजिक सेवाएँ	0.88	1,614.57	1,615.45	
				360.27	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0.63	355.75	356.38	
				309.49	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.25	273.14	273.39	
				532.20	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0	566.82	566.82	
				10.90	सूचना एवं प्रसारण	0	12.83	12.83	
				265.29	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	394.59	394.59	
				16.53	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0	0	0	
				33.39	अन्य	0	11.44	11.44	
				9,617.53	आर्थिक सेवाएँ	1.14	8,304.08	8,305.22	
				607.33	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0	390.34	390.34	
				2,092.79	ग्रामीण विकास	0	2,460.87	2,460.87	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	
				1,689.15	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	1,476.46	1,476.46	
				0	ऊर्जा	0	0	0.00	
				15.50	उद्योग और खनिज	0	6.50	6.50	

वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार										
प्राप्तियाँ				संवितरण						
2017-18			2018-19	2017-18		2018-19				
				5,141.76	परिवहन	0	3,870.54	3,870.54		
				71.00	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1.14	99.37	100.51		
42.41	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		47.57	1,851.67	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	72.50	1,413.09	1,485.59	1,485.59	
0	ऊर्जा परियोजनाओं से	0		1,760.67	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0	1,413.09	1,413.09		
40.89	सरकारी सेवकों से	47.07		55.59	सरकारी सेवकों को	46.88	0	46.88		
1.52	अन्य से	0.50		35.41	अन्य को	25.62	0.00	25.62		
1,803.96	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		5,520.97	0	VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा	0	0	0	0	
8,136.85	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		7,803.43	2,949.50	VII. लोक ऋण की वापसी					3,060.10
0	वाह्य ऋण	0			वाह्य ऋण					
7,905.24	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	7,530.52		2,788.46	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण				2,893.42	
0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन				0	
0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0		0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन				0	
231.61	केंद्र सरकार से ऋण व अग्रिम	272.91		161.04	केंद्र सरकार को ऋण व अग्रिम की वापसी				166.68	
0	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग				VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग					
0	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0		IX. आकस्मिकता निधि से व्यय					
27,833.30	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		25,409.79	22,885.14	X. लोक लेखा संवितरण					23,279.41
1,016.43	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,120.04		949.91	छोटे बचत एवं भविष्य निधि				1,051.11	
401.00	रक्षित निधि	421.00		109.17	रक्षित निधि				41.95	
(-)163.21	उचंत एवं विविध	38.72		61.00	उचंत एवं विविध				(-)87.99	

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ				संवितरण					
2017-18			2018-19	2017-18		2018-19			
10,558.88	प्रेषण	1,0647.59		10,466.40	प्रेषण			10,587.99	
16,020.20	जमा एवं अग्रिम	13,182.44		11,298.66	जमा एवं अग्रिम			11,686.35	
0	अंतर्राज्यीय समायोजन		0	0	अंतर्राज्यीय समायोजन			0	
	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		0	150.44	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष			395.39	795.39
				0	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण			0	
				-242.16	रिजर्व बैंक में जमा			188.30	
				38.04	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			39.19	
				0	चिन्हित निधि का निवेश			400.00	
				354.56	रोकड़ शेष का निवेश			167.90	
92,545.49	कुल		95,483.90	92,545.49	कुल			95,483.90	

*वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 23.07.2019 की पत्र सं.- 554 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिवेदन में राज्य आपदा कोष में ₹ 400 करोड़ के निवेश सहित संशोधित

परिशिष्ट 1.3

राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कडिका 1.3 व 1.9.2; पृष्ठ 11 एवं 34)

(₹करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	31,565(83)	40,638(75)	47,054(87)	52,756(87)	56,152(88)
(i) कर राजस्व	10,350(33)	11,478(28)	13,299(28)	12,353(23)	14,752(23)
वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	4124(34)	8201(56)
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,070(78)	8,999(78)	10,549(80)	5,715(46)	3,475(24)
राजस्व उत्पाद	740(7)	912(8)	962(7)	841(7)	1,083(7)
वाहनों पर कर	660(6)	633(6)	682(5)	779(6)	864(5)
मूद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	531(5)	532(5)	607(5)	469(4)	451(3)
भू-राजस्व	84(1)	164(1)	240(2)	156(1)	389(3)
माल एवं यात्रियों पर कर	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
अन्य कर	264(3)	237(2)	259(2)	270(2)	289(2)
(ii) कर भिन्न राजस्व	4,335(14)	5,853(14)	5,351(11)	7,847(15)	8,258(15)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	9,487(30)	15,969(39)	19,142(41)	21,144(40)	23,906(43)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,393(23)	7,338(18)	9,262(20)	11,412(22)	9,236(16)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	25	0
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	33	31	38	42	47
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	31,598	40,669	47,092	52,824	56,199
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,690(17)	13,245(25)	7,081(13)	8,137(13)	7,804(12)
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	6,537	13,080	6,847	7,905	7,531
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	153	165	234	232	273
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	38,288	53,914	54,174	60,960	64,002
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	20,189	29,037	22,052	27,833	25,410
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	58,477	82,951	76,225	88,794	89,412
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	31,795(83)	36,553(70)	45,088(79)	50,952(79)	50,631(81)
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	12,436(39)	15,793(43)	22,193(49)	22,999(45)	23,983(47)
गैर योजना/स्थापना	19,359(61)	20,760(57)	22,895(51)	27,953(55)	26,648(53)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	10,624(33)	12,002(33)	13,024(29)	16,558(32)	17,656(35)
सामाजिक सेवाएँ	11,915(37)	14,844(41)	18,557(41)	19,575(39)	18,786(37)
आर्थिक सेवाएँ	9,256(29)	9,707(26)	13,507(30)	14,819(29)	14,189(28)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11. पूँजीगत व्यय	5,543(15)	8,159(16)	10,861(19)	11,953(18)	10,712(17)
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	5,520(100)	8,087(99)	10,814(99)	11,884(99)	10,669(99)
गैर योजना/स्थापना	23(0)	72(1)	47(1)	69(1)	42(1)

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सामान्य सेवाएँ	326(6)	571(7)	590(6)	807(7)	791(7)
सामाजिक सेवाएँ	910(16)	1,024(13)	1,532(14)	1,528(13)	1,615(15)
आर्थिक सेवाएँ	4,307(78)	6,564(80)	8,739(80)	9,618(80)	8,305(78)
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	824(2)	7480⁸(14)	1,335(2)	1,852(3)	1,485(2)
13. कुल व्यय(10+11+12)	38,162	52,192	57,284	64,756	62,828
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	1,880	2,246	2,078	2,950	3,060
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,722(92)	2,079(93)	1,920(92)	2,788(95)	2,893
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	158(8)	167(7)	158(8)	161(5)	167
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	40,042	54,438	59,362	67,706	65,888
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	19,277	27,053	16,820	22,885	23,279
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	59,319	81,491	75,851	90,591	89,167
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	(-230)	4,085	1,966	1,804	5,521
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	(-6,564)	(-11,523⁹)	(-10,192)	(-11,933)	(-6,629)
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21-23)	(-3,635)	(-8,203)	(-6,020)	(-7,271)	(-1,777)
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	2,929	3,320	4,172	4,662	4,852
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	12,404	14,891	20,332	20,714	17,976
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	-	0	3	7	68
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	-	0	3	7	58
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	0	0	0	10
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	0	0	0.21	6.23
27. (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	2,18,525	2,06,613	2,36,250	2,76,243	3,07,581
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)[@]	1,86,534	1,74,881	1,94,475	2,03,358	2,32,821
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	43,569	56,530	66,827	77,095	83,783

⁸ उदय बॉण्ड पर राज्य की उधार राशियों से दिये गये ₹ 5,553 करोड़ की राशि का ऋण सम्मिलित है।

⁹ यदि उदय बॉण्ड के उधारों से बिजली कंपनियों को दिये गये ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना हेतु विचार न किया जाये, जैसा कि त्रिपक्षीय समझौते के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया तो राजकोषीय घाटे की राशि कम हो जायेगी।

29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	157	157	157	607
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	-	157	157	157	450
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	402	195	280	113	410
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	1,824	2,089	4,778	1,403	3,841
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.74	5.56	5.63	4.47	4.80
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.55	6.56	6.88	5.68	6.34
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.0	2.8	2.3	2.8	2.7
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.32	3.35	2.77	3.61	3.55
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.34	7.73	8.10	7.65	7.77
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.96	4.20	4.79	5.24	3.97
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	17.46	25.26	24.25	23.44	20.43
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	20.46	29.84	29.65	29.76	26.99
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	120.9	128.4	121.7	122.7	111.89
राजस्व व्यय/कुल व्यय	83.3	70.0	78.7	78.7	80.59
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	33.7	30.5	35.2	32.6	32.51
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	37.6	45.3	41.0	40.5	38.13
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.5	15.6	19.0	18.5	17.05
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	13.7	14.5	17.9	17.2	15.79
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)0.11	1.98	0.83	0.65	1.79
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)0.12	2.34	1.02	0.83	2.37
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)3.00	(-)5.58	(-)4.31	(-)4.32	(-)2.16
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)3.52	(-)6.59	(-)5.28	(-)5.48	(-)2.85
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)1.66	(-)3.97	(-)2.55	(-)2.63	(-)0.58
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	(-)1.95	(-)4.69	(-)3.12	(-)3.34	(-)0.76

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

स.रा.घ.उ.					
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-)3.5	(-)35.5	(-)19.3	(-)15.1	(-)83.29
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.25	2.60	2.61	2.37	3.39
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.46	4.25	3.20	3.00	4.48
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	19.94	27.36	28.29	27.91	27.24
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	23.36	32.32	34.59	35.43	35.99
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	138.03	139.1	142.0	146.1	149
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	(-)376	(-)13,468	(-)1,734.91	(-)288.19	2,315.52
ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	*
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	6,593	14,226	16,773	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	103	109	111	111	118
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	20	43	47	31.7	23
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	787	7,388	1,236	1,764.4	1,416
परिसंपत्तियाँ		57,153	67,419	77,635	84,382
दायित्व		62,291	74,522	86,542	99,210

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये ।

(http://mओ.एस.पी.i.nic.in/Mओ.एस.पी.i_New/site/inner.asp?statis=3&menu_id=82).

* ₹ 15,000 मात्र

परिशिष्ट 1.4 भाग - क
74^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कडिका 1.6.5.1; पृष्ठ 25)

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1	नगर योजना सहित शहरी नियोजन
2	भू-प्रयोग एवं आवासों के निर्माण का विनियमन
3	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण
4	सड़कें व पुल
5	घरेलू, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु जल आपूर्ति
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन
7	अग्निशमन सेवा
8	नगर वानिकी, वातावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकीय पहलुओं का संवर्धन
9	शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
10	मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन
11	शहरी निर्धनता उन्मूलन
12	शहरी सुख सुविधाओं एवं सहूलियतों यथा पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों का प्रावधान
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक पहलुओं का संवर्धन
14	कब्र एवं कब्रगाह; दाह संस्कार, श्मशान घाट तथा विद्युत् शवदाह गृह
15	मवेशी तालाब, पशुओं पर क्रूरता का रोकथाम
16	जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी
17	स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल, बस पड़ाव व जन सुविधाओं सहित लोक सुविधाएँ
18	बूचड़खानों एवं चमड़ा-घरों का विनियमन

परिशिष्ट 1.4 भाग-ख

73^{वें} संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यकलापों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.5.2; पृष्ठ 26)

क्र.सं.	कार्यकलाप का विवरण	हस्तांतरण की स्थिति
1	कृषि विस्तारण सहित कृषि	आंशिक
2	भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भू-समेकन एवं मृदा संरक्षण	नहीं
3	लघु-सिंचाई, जल प्रबंधन एवं आच्छादन विकास	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी एवं मुर्गीपालन	आंशिक
5	मत्स्य पालन	हाँ
6	सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी	नहीं
7	लघु वन उत्पाद	नहीं
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग	आंशिक
9	खादी ग्राम व कुटीर उद्योग	हाँ
10	ग्रामीण आवास	नहीं
11	पेयजल	हाँ
12	ईंधन एवं चारा	नहीं
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौका जलमार्ग एवं यातायात के अन्य साधन	नहीं
14	बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	नहीं
15	गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत	नहीं
16	निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम	आंशिक
17	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय समेत शिक्षा	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा	नहीं
19	वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा	हाँ
20	पुस्तकालय	नहीं
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	नहीं
22	बाजार एवं मेले	नहीं
23	अस्पतालों, औषधालयों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ
25	महिला एवं बाल कल्याण	हाँ
26	विकलांगों एवं मंदबुद्धि कल्याण सहित सामाजिक कल्याण	हाँ
27	कमजोर वर्ग विशेषकर अ.जा. एवं अ.ज.जा. का कल्याण	नहीं
28	जन वितरण प्रणाली	हाँ
29	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव	आंशिक

परिशिष्ट 1.5
31 मार्च 2019 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कडिका 1.9.1; पृष्ठ 33)

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 को	दायित्व	31.03.2019 को
53,799.09	आंतरिक ऋण	58,436.19
33,087.68	ब्याज वाले बाजार ऋण	37,110.68
0.07	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	6.30
11,622.17	अन्य संस्थाओं से ऋण	12,993.27
0	अर्थोपाय अग्रिम	0
9,082.87	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	8,325.87
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
2,232.86	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,339.07
0	1984-85 के पूर्व के ऋण	0
17.57	गैर योजना ऋण	15.79
2,215.29	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2,323.28
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
1,142.18	लघु बचत भविष्य निधि	1,211.11
18,369.87	जमा	19,866.47
1,551.04	रक्षित निधि	1,930.09
39.68	अंतरण शेष	99.27
0	उचत एवं विविध शेष	0
8,907.21	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	14,828.18
86,541.93	कुल	99,210.38
	परिसम्पत्तियाँ	
66,961.60	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	77,673.31
275.15	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	331.19
66,686.45	अन्य पूँजीगत परिव्यय	77,342.12
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0
19,291.97	ऋण एवं अग्रिम	20,730.00
18,444.20	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	19,857.29
823.36	अन्य विकास ऋण	848.49
24.41	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	24.22
5.78	अग्रिम	6.28
132.14	उचत एवं विविध शेष	5.41
150.44	नकद	795.38
0	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0
(-)242.16	रिजर्व बैंक में जमा	188.30
0	जमा निधि का निवेश	400.00*
38.04	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	39.18
354.56	नकद शेष निवेश	167.90
0	प्रेषण शेष	0

0.00	सरकारी लेखे में घाटा		0.00
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य		
86,541.93	कुल		99,210.38

*वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 23.07.2019 की पत्र सं.- 554 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिवेदन में राज्य आपदा कोष में ₹ 400 करोड़ के निवेश सहित संशोधित

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी

उक्त विवरणियों में दिये गये संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे की टिप्पणियों व व्याख्याओं के साथ पठित हैं। सरकारी लेखे जो मुख्यतः नकद आधारित हैं, सरकारी लेखा में घाटा, जैसा कि **परिशिष्ट 1.4 भाग ख** में दर्शाया गया है, स्थिति को वाणिज्यिक लेखांकन के उपार्जन आधार के विपरीत नकद आधार पर इंगित करता है। अतएव, भुगतये या प्राप्य मद अथवा हास या भंडार आँकड़ों में विचलन आदि, जैसे मद लेखाओं में अंकित नहीं किये जाते हैं। उचंत व विविध शेषों में निर्गत मगर भुगतान नहीं हुए चेक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान और अन्य लंबित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 10 करोड़ और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक रहा
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रावधान से बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व दत्तमत					
1	1	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,601.21	847.79	52.95
2	2	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	389.14	218.15	56.06
3	3	भवन निर्माण विभाग	134.01	41.34	30.85
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	62.75	13.46	21.45
5	9	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	241.08	81.03	33.61
6	10	ऊर्जा विभाग	4,206.48	1,464.37	34.81
7	12	योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	64.17	15.78	24.59
8	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1,375.70	348.70	25.35
9	19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	770.39	245.32	31.84
10	21	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,246.69	344.44	27.63
11	23	उद्योग विभाग	458.94	150.85	32.87
12	26	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	245.19	78.56	32.04
13	29	खान एवं भूतत्व विभाग	83.45	41.59	49.84
14	35	योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	886.46	326.59	36.84
15	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1,820.13	454.96	25.00
16	39	गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	908.14	437.81	48.21
17	40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	603.53	121.29	20.10
18	41	सड़क निर्माण विभाग	459.92	204.64	44.49
19	42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6,273.10	2,084.68	33.23
20	43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	534.10	170.44	31.91
21	45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	181.54	48.56	26.75
22	48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	3,204.22	1,283.22	40.05
23	49	जल संसाधन विभाग	413.42	89.64	21.68
24	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	113.89	30.50	26.78
25	51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,769.91	618.55	34.95
26	52	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	82.63	18.03	21.82
27	53	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	82.92	29.15	35.15
28	54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	319.44	176.44	55.23
29	56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1,743.93	871.06	49.95
30	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	1,681.44	716.28	42.60
31	59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7,192.62	1,771.73	24.63
32	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,560.16	977.24	27.45

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	
				राशि	कुल प्रवधान के बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व भारत					
33	14	ऋणों का पुनर्भुगतान	255.00	255.00	100.00
पूँजीगत दत्तमत					
34	1	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	343.01	82.59	24.08
35	2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	30.45	21.48	70.54
36	3	भवन निर्माण विभाग	548.17	144.52	26.36
37	8	परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	119.00	106.03	89.10
38	9	कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	175.00	109.40	62.51
39	10	ऊर्जा विभाग	1,890.41	477.32	25.25
40	12	योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	69.00	21.67	31.41
41	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	34.50	30.64	88.81
42	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	468.77	195.38	41.68
43	26	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	100.52	87.30	86.85
44	30	कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	96.00	35.26	36.73
45	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	519.10	118.97	22.92
46	49	जल संसाधन विभाग	1,897.65	733.15	38.63
47	50	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	533.90	221.94	41.57
48	52	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	49.20	13.43	27.30
49	57	नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	20.00	20.00	100.00
50	58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	56.07	56.07	100.00
51	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	39.57	39.57	100.00
कुल (राजस्व + पूँजीगत)			49,956.02	17,091.91	34.21

परिशिष्ट 2.2

उपशीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2018-19 के दौरान ठोस बचत (20 करोड़ व अधिक) हुआ

(संदर्भ: कंडिका: 2.3.1; पृष्ठ 46)

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-113-BA	54.00	38.89	कारण नहीं बताये गये हैं।
2		2401-00-796-28	27.00	24.34	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
3		2401-00-796-A1	35.35	24.35	कारण नहीं बताये गये हैं।
4		2401-00-796-AF (CASC)	86.40	76.05	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
5		2401-00-796-AF (CASS)	57.60	50.81	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना (₹ 22.94 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 27.87 करोड़)।
6		2401-00-796-BA	108.00	76.97	कारण नहीं बताये गये हैं।
7		2401-00-800-AF (CASC)	43.20	35.04	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
8		2401-00-800-AF (CASS)	28.80	23.53	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना (₹ 9.52 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 14.01 करोड़)।
9		4402-00-796-01	180.00	31.64	कारण नहीं बताये गये हैं।
10	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-99	64.10	62.43	लाभुक आधारित योजनाओं की चयनित प्रक्रिया का अपूर्ण होना, राशि के आहरण पर 15 प्रतिशत सिलिंग एवं आचार संहिता का अनुपालन
11		2403-00-789-99	24.70	24.29	-वही-
12		2403-00-796-99	36.75	36.47	-वही-
13	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	25.00	20.22	कारण नहीं बताये गये हैं।
14		4059-01-796-39	25.00	20.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
15		4059-01-796-59	89.00	43.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
16	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-05	55.00	50.13	कारण नहीं बताये गये हैं।
17		5053-02-102-09	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
18	9- कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-796-62	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
19		4425-00-108-16	52.50	32.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
20		4425-00-789-16	35.00	21.93	कारण नहीं बताये गये हैं।
21		4425-00-796-16	87.50	54.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
22	10-ऊर्जा विभाग	2059-80-001-10	59.03	25.54	आर्थिक उपाय
23		2801-01-789-10	36.00	33.00	आर्थिक उपाय
24		2801-01-796-10	78.00	71.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
25		2801-01-800-10	186.00	170.50	आर्थिक उपाय
26		2801-80-004-16	49.92	27.41	प्रस्तावों की अप्राप्ति
27		2801-80-101-15	2,000.00	1,405.05	(i) जे.बी.वी.एन.इल. को चालू एवं लंबित विद्युत् बिल के भुगतान हेतु राशि प्रदान करना (₹ 500.00 करोड़) तथा (ii) ग्राहकों को ट्रैफिक सब्सिडी में राशि का आंशिक उपयोग (₹ 905.05 करोड़)
28		6801-00-789-37	121.32	30.88	निधि की माँग नहीं की गयी।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
29	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-796-37	262.86	66.90	निधि की माँग नहीं की गयी।
30		6801-00-800-37	626.82	159.54	निधि की माँग नहीं की गयी।
31		6801-00-796-38	200.00	200.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
32	13-ब्याज भुगतान	2049-01-101-01	3,152.00	409.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
33		2049-01-200-02	430.00	169.15	कारण नहीं बताये गये हैं।
34		2049-01-200-08	125.00	38.73	कारण नहीं बताये गये हैं।
35		2049-01-200-11	70.00	30.76	कारण नहीं बताये गये हैं।
36		2049-03-104-01	280.00	55.61	कारण नहीं बताये गये हैं।
37		2049-04-109-01	94.46	31.49	कारण नहीं बताये गये हैं।
38		2049-01-200-14	500.00	500.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
39	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	2048-00-101-01	255.00	255.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
40		6003-00-105-01	750.00	318.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
41		6004-01-109-01	200.00	73.01	कारण नहीं बताये गये हैं।
42		6004-02-105-01	125.95	20.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
43		6003-00-101-72	195.45	195.45	कारण नहीं बताये गये हैं।
44		6003-00-101-73	248.10	248.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
45		6003-00-101-74	400.00	400.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
46	15-पेंशन	2071-01-104-04	800.00	354.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
47		2071-01-115-02	30.00	29.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
48	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-48	31.75	26.77	संविदा प्रक्रिया एवं पॉलिसी निर्णय में देरी
49		3456-00-789-39	72.20	21.91	लाभुकों का सम्मिलन एवं निष्काशन
50		3456-00-796-02	97.26	20.08	लाभुकों का सम्मिलन एवं निष्काशन
51		3456-00-796-39	254.58	38.72	लाभुकों का सम्मिलन एवं निष्काशन
52		3456-00-796-48	42.20	35.66	संविदा प्रक्रिया एवं पॉलिसी निर्णय में देरी
53	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-01	159.42	34.42	मुख्यतः राशि की अदेयता, वेतन निर्धारण का सत्यापन नहीं एवं राशि के आहरण पर 15 प्रतिशत सिलिंग
54		2406-01-796-58	49.69	28.09	मुख्यतः राशि स्वीकृति की अप्राप्ति (₹ 27.81 करोड़)
55		2406-01-796-48	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
56	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-102-54	186.00	49.95	निधि की माँग नहीं की गयी।
57		2210-03-103-01	237.36	29.14	कारण नहीं बताये गये हैं।
58		2210-03-103-03	140.47	43.89	कारण नहीं बताये गये हैं।
59		2210-05-105-06	264.73	80.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
60		2210-02-105-21 (CASC)	112.83	26.63	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
61		2210-05-105-21 (CASS)	242.06	33.88	निधि की माँग नहीं की गयी।
62		2210-01-001-64	20.00	20.00	योजना की स्वीकृति नहीं
63		2210-01-103-56	113.36	113.36	केंद्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं करना
64		4210-01-110-45	62.00	41.21	योजना की स्वीकृति नहीं
65		4210-01-110-48	75.00	34.45	योजना की स्वीकृति नहीं
66	4210-01-796-48	60.00	39.73	योजना की स्वीकृति नहीं	

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
67	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2202-03-102-BA	65.00	40.59	कोषागार द्वारा विपत्र पास नहीं होना
68		2202-03-796-B5	65.00	29.16	कोषागार द्वारा विपत्र पास नहीं होना
69		2202-03-796-B7	45.00	44.55	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया जाना (₹ 17.55 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 27.00 करोड़)।
70		2202-03-796-BA	65.00	50.78	कोषागार द्वारा विपत्र पास नहीं होना
71		2202-03-102-B7	33.00	33.00	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया जाना (₹ 20.00 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 13.00 करोड़)।
72		2202.03.796-BB	25.00	25.00	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया जाना
73	22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	251.57	34.53	कारण नहीं बताये गये हैं।
74	23-उद्योग विभाग	2852-80-796-10	45.00	25.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
75	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	4250-00-796-04	24.75	24.11	कारण नहीं बताये गये हैं।
76	27-विधि विभाग	2014-00-105-01	361.55	36.96	आर्थिक उपाय
77	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-43	300.00	196.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
78		2053-00-800-43	100.00	100.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
79	36-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-789-11	123.06	87.22	कारण नहीं बताये गये हैं।
80		2215-01-796-11 (CASC)	123.78	34.47	कारण नहीं बताये गये हैं।
81		2215-01-796-11 (CASS)	64.98	20.16	कारण नहीं बताये गये हैं।
82		2215-02-107-13	32.00	32.00	योजना की स्वीकृति नहीं
83		2215-02-107-11	441.86	238.62	कारण नहीं बताये गये हैं।
84		4215-01-102-02	159.20	25.54	कारण नहीं बताये गये हैं।
85		4215-01-796-02	228.11	68.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
86		2245-01-102-03	114.36	94.36	कारण नहीं बताये गये हैं।
87	2245-02-113-02	35.00	33.54	कारण नहीं बताये गये हैं।	
88	39-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-80-101-16	21.05	20.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
89		2245-80-102-01	30.00	27.91	कारण नहीं बताये गये हैं।
90		2245-80-102-02	42.10	41.42	कारण नहीं बताये गये हैं।
91		2245-01-101-07	122.00	122.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
92		2245-01-282-01	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
93	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-104-01	262.63	40.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
94		2053-00-093-01	109.11	25.51	कारण नहीं बताये गये हैं।
95	41-सड़क निर्माण विभाग	3054-01-337-01	30.00	29.48	कारण नहीं बताये गये हैं।
96		3054-03-337-01	150.00	37.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
97		3054-80-797-01	120.00	120.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
98		5054-03-101-03	149.00	43.27	कारण नहीं बताये गये हैं।
99		5054-03-337-02	75.00	23.44	कारण नहीं बताये गये हैं।
100		5054-03-796-02	45.00	34.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
101		5054-03-796-03	199.00	35.42	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
102	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-101-05 (CASC)	178.25	114.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
103		2501-06-101-05 (CASS)	118.83	72.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
104		2501-06-789-05 (CASC)	105.62	50.17	कारण नहीं बताये गये हैं।
105		2501-06-789-05 (CASS)	70.41	26.94	कारण नहीं बताये गये हैं।
106		2501-06-796-05 (CASC)	129.60	102.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
107		2501-06-796-05 (CASS)	86.40	66.51	कारण नहीं बताये गये हैं।
108		2505-01-702-02	978.22	508.52	कारण नहीं बताये गये हैं।
109		2505-01-789-02	299.46	30.28	कारण नहीं बताये गये हैं।
110		2505-01-796-02	718.69	262.44	कारण नहीं बताये गये हैं।
111		2505-02-101-04 (CASC)	492.40	228.72	कारण नहीं बताये गये हैं।
112		2505-02-101-04 (CASC)	109.60	27.24	कारण नहीं बताये गये हैं।
113		2505-02-101-05	24.00	23.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
114		2505-02-789-04	150.20	69.75	कारण नहीं बताये गये हैं।
115		2505-02-796-04	360.80	167.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
116		2505-02-796-05	25.00	24.96	कारण नहीं बताये गये हैं।
117		2501-02-101-06	48.12	48.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
118		2501-02-789-06	20.05	20.05	कारण नहीं बताये गये हैं।
119		2501-02-796-06	65.50	65.50	कारण नहीं बताये गये हैं।
120		2501-06-101-14	34.63	34.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
121		2501-06-796-14	24.95	24.95	कारण नहीं बताये गये हैं।
122		43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-003-AB	185.00	100.00
123	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-796-A8	45.00	30.01	कारण नहीं बताये गये हैं।
124	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-76	166.56	100.73	कारण नहीं बताये गये हैं।
125		2217-80-191-81	243.48	149.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
126		2217-80-191-89	70.00	36.57	कारण नहीं बताये गये हैं।
127		2217-80-192-82	74.50	40.54	कारण नहीं बताये गये हैं।
128		2217-80-796-56	350.00	85.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
129		2217-80-796-76	70.03	41.27	कारण नहीं बताये गये हैं।
130		2217-80-796-89	75.00	39.67	कारण नहीं बताये गये हैं।
131		2217-80-191-65	50.00	50.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
132		2217-80-191-76	160.20	160.20	कारण नहीं बताये गये हैं।
133		2217-80-191-83	69.10	69.10	कारण नहीं बताये गये हैं।
134		2217-80-191-84	21.14	21.14	कारण नहीं बताये गये हैं।
135		2217-80-789-89	25.00	25.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
136		2217-80-796-75 (CASC)	100.00	100.00	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
137	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-796-75 (CASS)	100.00	100.00	स्मार्ट सिटी हेतु राशि (₹ 25.00 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 75.00 करोड़)।
138		2217-80-796-76	65.80	65.80	कारण नहीं बताये गये हैं।
139		2217-80-796-80	35.00	35.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
140	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	198.12	37.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
141		2701-03-001-06	83.55	28.96	मुख्यतः सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण (₹ 27.63 करोड़)।
142		4700-80-789-12	125.00	21.05	केंद्र सरकार द्वारा राशि की अप्राप्ति (₹ 1.81 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 19.24 करोड़)।
143		4700-80-796-13	350.00	275.31	ई-भुगतान की समाप्ति
144		4701-80-789-64	40.00	21.48	कोणार्क सिंचाई योजना के अनुपालन का पूर्ण नहीं होना
145		4701-80-800-65	40.00	38.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
146		4701-80-800-71	110.00	104.60	मार्च में राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर सिलिंग (₹ 98.60 करोड़) एवं कारण नहीं बताये गये हैं (₹ 6.00 करोड़)।
147		4701-80-789-63	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
148		4701-80-789-65	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
149		4701-80-796-63	20.00	20.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
150	4700-80-789-13	164.70	164.70	कारण नहीं बताये गये हैं।	
151	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	107.29	29.99	कारण नहीं बताये गये हैं।
152		4702-00-101-18	158.00	109.14	कारण नहीं बताये गये हैं।
153		4702-00-796-18	140.00	44.10	मार्च में राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर सिलिंग
154	4702-00-796-20	110.00	34.44	मार्च में राशि के 15 प्रतिशत आहरण पर सिलिंग	
155	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-59	53.00	43.23	कारण नहीं बताये गये हैं।
156		2225-01-789-61	28.00	22.55	कारण नहीं बताये गये हैं।
157		2225-02-277-59	24.00	22.63	कारण नहीं बताये गये हैं।
158		2225-02-796-59	112.05	105.86	कारण नहीं बताये गये हैं।
159		2225-02-796-61	46.00	33.81	कारण नहीं बताये गये हैं।
160		2225-03-277-12	108.00	44.30	कारण नहीं बताये गये हैं।
161	2225-03-796-23	124.00	65.26	कारण नहीं बताये गये हैं।	
162	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2204-00-102-05	48.00	48.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
163		2404-00-102-68	61.70	23.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
164		2404-00-796-05	21.60	21.60	कारण नहीं बताये गये हैं।
165	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2515-00-001-28	125.00	71.31	कारण नहीं बताये गये हैं।
166		4515-00-789-04	150.00	73.03	कारण नहीं बताये गये हैं।
167		4515-00-789-10	52.93	43.87	कारण नहीं बताये गये हैं।
168	4515-00-796-10	288.00	45.32	कारण नहीं बताये गये हैं।	
169	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	183.12	40.08	कारण नहीं बताये गये हैं।
170		2515-00-198-44	1,208.24	604.12	कारण नहीं बताये गये हैं।
171		2515-00-198-45	164.24	152.38	कारण नहीं बताये गये हैं।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण	
172	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-01	408.34	97.26	कारण नहीं बताये गये हैं।	
173		2202-02-109-35	92.10	83.48	कारण नहीं बताये गये हैं।	
174		2202-02-789-35	31.30	29.95	कारण नहीं बताये गये हैं।	
175		2202-02-796-35	60.78	58.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
176		2202-03-103-01	168.03	24.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
177		2202-05-200-04	51.21	35.87	कारण नहीं बताये गये हैं।	
178		2202-02-109-35	61.39	61.39	कारण नहीं बताये गये हैं।	
179		2202-02-109-64	32.00	32.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
180		2202-02-789-35	20.87	20.87	कारण नहीं बताये गये हैं।	
181		2202-02-796-35	40.52	40.52	कारण नहीं बताये गये हैं।	
182		2202-02-796-64	21.12	21.12	कारण नहीं बताये गये हैं।	
183		4202-02-796-78	40.00	40.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
184		59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2201-01-101-01	3,691.26	4,68.07	कारण नहीं बताये गये हैं।
185			2202-01-101-55	90.00	45.00	कारण नहीं बताये गये हैं।
186	2202-01-104-01		90.77	34.63	कारण नहीं बताये गये हैं।	
187	2202-01-111-25 (CASC)		477.00	86.50	कारण नहीं बताये गये हैं।	
188	2202-01-111-25 (CASS)		318.00	57.66	कारण नहीं बताये गये हैं।	
189	2202-01-112-03 (CASC)		236.50	52.72	कारण नहीं बताये गये हैं।	
190	2202-01-112-03 (CASS)		232.97	112.48	कारण नहीं बताये गये हैं।	
191	2202-01-789-03		55.60	26.23	कारण नहीं बताये गये हैं।	
192	2202-01-796-03 (CASC)		156.18	63.89	कारण नहीं बताये गये हैं।	
193	2202-01-796-03 (CASS)		153.85	84.47	कारण नहीं बताये गये हैं।	
194	2202-01-796-25 (CASC)		315.00	124.98	कारण नहीं बताये गये हैं।	
195	2202-01-796-25 (CASS)		210.00	83.32	कारण नहीं बताये गये हैं।	
196	2202-01-796-55		96.75	36.75	कारण नहीं बताये गये हैं।	
197	2202-01-101-52		32.00	32.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
198	2202-01-101-57		48.00	48.00	कारण नहीं बताये गये हैं।	
199	2202-01-789-57		20.40	20.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
200	2202-01-796-52		34.40	34.40	कारण नहीं बताये गये हैं।	
201	2202-01-796-57	51.60	51.60	कारण नहीं बताये गये हैं।		
202	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-01-102-51 (CASC)	119.57	33.25	कारण नहीं बताये गये हैं।	
203		2235-02-102-51 (CASS)	104.32	31.71	कारण नहीं बताये गये हैं।	
204		2235-02-102-97	68.00	31.24	कारण नहीं बताये गये हैं।	
205		2235-02-102-AS	22.22	21.11	कारण नहीं बताये गये हैं।	
206		2235-02-796-51 (CASC)	125.58	39.89	कारण नहीं बताये गये हैं।	
207		2235-02-796-51 (CASS)	115.43	30.56	कारण नहीं बताये गये हैं।	

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	लेखा शीर्ष	प्रावधान	बचत की राशि	विनियोग लेखाओं के अनुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत कारण
208	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-796-97	68.00	32.11	कारण नहीं बताये गये हैं।
209		2235-02-796-AS	24.47	22.44	कारण नहीं बताये गये हैं।
210		2236-02-101-02 (CASC)	169.78	43.91	कारण नहीं बताये गये हैं।
211		2236-02-101-02 (CASS)	169.78	38.61	कारण नहीं बताये गये हैं।
212		2236-02-796-02 (CASC)	198.76	83.82	कारण नहीं बताये गये हैं।
213		2236-02-796-02 (CASS)	198.76	80.74	कारण नहीं बताये गये हैं।
कुल			37,918.52	16,904.69	

परिशिष्ट 2.3

₹ एक करोड़ व अधिक की बचत जो प्रत्यर्पित नहीं किये गये का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	बचत	प्रत्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
राजस्व दत्तमत				
1	1-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	847.79	728.70	119.09
2	2-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	218.15	214.76	3.39
3	6-मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	9.46	8.06	1.40
4	10-ऊर्जा विभाग	1,464.37	1,264.37	200.00
5	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	348.70	344.67	4.03
6	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	245.32	229.14	16.18
7	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	344.44	339.38	5.06
8	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	187.04	182.81	4.23
9	23-उद्योग विभाग	150.85	103.22	47.63
10	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	326.59	319.91	6.68
11	39-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	437.81	0.44	437.37
12	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	121.29	120.27	1.02
13	41-सड़क निर्माण विभाग	204.64	54.29	150.35
14	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	170.44	147.06	23.38
15	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	48.56	47.48	1.08
16	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	618.55	502.07	116.48
17	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	176.44	159.16	17.28
18	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	71.78	65.32	6.46
19	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	716.28	495.35	220.93
20	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	977.24	903.22	74.02
राजस्व भारत				
21	13-ब्याज भुगतान	781.07	242.27	538.80
22	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	255.00	0.00	255.00
पूँजीगत दत्तमत				
23	1-कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	82.59	75.59	7.00
24	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	195.38	193.63	1.75
25	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	69.89	10.59	59.30
26	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	35.26	12.36	22.90
27	41-सड़क निर्माण विभाग	156.99	115.62	41.37
28	49-जल संसाधन विभाग	733.15	730.50	2.65
29	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	46.92	26.02	20.90
30	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	9.20	7.60	1.60
31	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	229.64	217.08	12.56

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या व नाम	बचत	प्रत्यर्पण	अभ्यर्पित नहीं की गई बचत राशि
1	2	3	4	5
32	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	56.07	25.00	31.07
33	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	39.57	26.60	12.97
पूँजीगत भारत				
34	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	445.46	403.59	41.87
कुल		10,821.93	8,316.13	2,505.80

परिशिष्ट 2.4

मार्च 2019 में ₹ 20 करोड़ से अधिक की निधियों के प्रत्यर्पण के मामले
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 47)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-113-BA	29.89
2		2401-00-796-28	24.34
3		2401-00-796-A1	24.35
4		2401-00-796-AF (CASC)	76.05
5		2401-00-796-AF (CASS)	22.94
6		2401-00-796-BA	58.97
7		2401-00-800-AF	35.04
8		4402-00-796-01	31.64
9	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-99	62.43
10		2403-00-789-99	24.29
11		2403-00-796-99	36.47
12	3-भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	20.22
13		4059-01-796-39	20.80
14		4059-01-796-59	43.74
15	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-05	50.13
16	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	2425-00-796-62	25.00
17		4425-00-108-16	32.96
18		4425-00-789-16	21.93
19	10-ऊर्जा विभाग	4425-00-796-16	54.50
20		2059-80-001-10	25.54
21		2801-01-789-10	33.00
22		2801-01-796-10	71.50
23		2801-01-800-10	170.50
24		2801-80-004-16	27.41
25		2801-80-101-15	1405.05
26		6801-00-789-37	30.88
27		6801-00-796-37	66.90
28		6801-00-800-37	159.54
29	6801-00-796-38	200.00	
30	13-ब्याज भुगतान	2049-01-200-08	38.73
31		2049-01-200-11	30.76
32	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-105-01	318.10
33		6004-01-109-01	73.01
34	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-48	26.77
35		3456-00-789-39	21.91
36		3456-00-796-02	20.08
37		3456-00-796-39	38.72
38		3456-00-796-48	35.66

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
39	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-01	34.35
40		2406-01-796-58	27.81
41		2406-01-796-48	25.00
42	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-102-54	49.95
43		2210-03-103-01	26.95
44		2210-03-103-03	41.27
45		2210-05-105-06	80.00
46		2210-05-105-21 (CASC)	26.63
47		2210-05-105-21 (CASS)	33.88
48		2210-01-001-64	20.00
49		2210-01-103-56	113.36
50		4210-01-110-45	41.21
51		4210-01-110-48	34.45
52		4210-01-796-48	39.73
53	21-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-BA	40.59
54		2202-03-796-B5	29.16
55		2202-03-796-B7	44.55
56		2202-03-796-BA	50.78
57		2202-03-796-BB	25.00
58		2202-03-102-B7	33.00
59	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-110-01	33.89
60	26-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	4250-00-796-04	24.11
61	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-43	196.48
62		2053-00-800-43	100.00
63	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-789-11	66.91
64		2215-02-107-13	32.00
65		2215-02-107-11	238.62
66		4215-01-102-02	25.54
67		4215-01-796-02	68.47
68	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-104-01	40.54
69		2053-00-093-01	25.50
70	41-सड़क निर्माण विभाग	3054-03-337-01	34.38
71		5054-03-101-03	28.77
72		5054-03-337-02	22.67
73		5054-03-796-02	34.00
74		2501-06-101-05 (CASC)	114.63
75	2501-06-101-05 (CASS)	72.00	
76	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-789-05 (CASC)	50.17
77		2501-06-789-05 (CASS)	26.94
78		2501-06-796-05	66.51

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
79	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2505-01-702-02	508.52
80		2505-01-789-02	30.28
81		2505-01-796-02	262.44
82		2505-02-101-04 (CASC)	228.72
83		2505-02-101-04 (CASS)	27.24
84		2505-02-101-05	23.96
85		2505-02-789-04	69.75
86		2505-02-796-04	167.55
87		2505-02-796-05	24.96
88		2501-02-101-06	48.12
89		2501-02-789-06	20.05
90		2501-02-796-06	65.50
91		2501-06-101-14	34.63
92		2501-06-796-14	24.95
93	43-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-003-AB	100.00
94	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-796-A8	30.01
95	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-76	100.73
96		2217-80-191-81	149.20
97		2217-80-191-89	36.57
98		2217-80-192-82	40.54
99		2217-80-796-56	85.00
100		2217-80-796-76	41.27
101		2217-80-796-89	39.67
102		2217-80-191-65	50.00
103		2217-80-191-76	160.20
104		2217-80-191-83	69.10
105		2217-80-192-84	21.14
106		2217-80-789-89	25.00
107		2217-80-796-75 (CASC)	100.00
108		2217-80-796-75 (CASS)	100.00
109	2217-80-796-76	65.80	
110	2217-80-796-80	35.00	
111	49-जल संसाधन विभाग	2700-01-001-02	37.74
112		2701-03-001-06	28.96
113		4700-80-796-13	275.31
114		4701-80-789-64	21.48
115		4701-80-800-65	38.00
116		4701-80-800-71	98.60
117		4701-80-789-63	20.00
118		4701-80-789-65	20.00
119		4701-80-796-63	20.00
120		4701-80-789-13	164.70

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
121	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	2702-02-005-01	29.98
122		4702-00-101-18	109.14
123		4702-00-796-18	44.10
124		4702-00-796-20	34.42
125	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-01-789-59	41.73
126		2225-02-277-59	22.39
127		2225-02-796-59	104.59
128		2225-02-796-61	26.74
129		2225-03-277-12	40.00
130		2225-03-796-23	60.00
131	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-05	46.80
132		2404-00-102-68	23.82
133		2404-00-796-05	21.06
134	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	71.31
135		4515-00-789-04	64.37
136		4515-00-789-10	43.87
137		4515-00-796-10	45.32
138	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-03	40.08
139		2515-00-198-44	604.12
140		2515-00-198-45	152.38
141	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-01	97.05
142		2202-02-109--35	55.58
143		2202-02-789-35	21.96
144		2202-02-796-35	44.12
145		2202-03-103-01	24.00
146		2202-05-200-04	35.87
147		2202-02-109-35	40.88
148		2202-02-796-35	30.35
149		2202-02-110-03	23.68
150		59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-01
151	2202-01-101-55		45.00
152	2202-01-104-01		34.63
153	2202-01-111-25 (CASC)		86.50
154	2202-01-111-25 (CASS)		57.66
155	2202-01-112-03 (CASC)		52.72
156	2202-01-112-03 (CASS)		112.48
157	2202-01-789-03		26.23
158	2202-01-796-03 (CASC)		63.89
159	2202-01-796-03 (CASS)		84.47
160	2202-01-796-25 (CASC)		124.98
161	2201-01-796-25 (CASS)		83.32
162	2202-01-796-55		36.75

क्र. सं.	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	प्रत्यर्पण की राशि
163	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-52	32.00
164		2202-01-101-57	48.00
165		2202-01-789-57	20.40
166		2202-01-796-52	34.40
167		2201-01-796-57	51.60
168	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-51 (CASC)	33.25
169		2235-02-102-51 (CASS)	31.71
170		2235-02-102-97	30.76
171		2235-02-796-51 (CASC)	39.89
172		2235-02-796-51 (CASS)	30.56
173		2235-02-796-97	31.67
174		2236-02-101-02 (CASC)	43.91
175		2236-02-101-02 (CASS)	38.61
176		2236-02-796-02 (CASC)	83.82
177		2236-02-796-02 (CASS)	80.74
सकल योग			13,027.97

परिशिष्ट 2.5
पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 50)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की वापसी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की वापसी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
कुल			3,015.37

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था।

परिशिष्ट 2.6

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 51)
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	1,483.72	753.42	730.30	117.49
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	367.90	170.98	196.92	21.23
3	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	51.04	49.29	1.75	11.71
4	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	236.42	160.05	76.37	4.66
5	10-ऊर्जा विभाग	4,006.43	2,742.11	1,264.32	200.05
6	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	59.84	48.39	11.45	4.33
7	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	1,311.12	1,027.00	284.12	64.58
8	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	701.85	525.07	176.78	68.54
9	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3,483.50	3,109.16	374.34	397.63
10	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1,219.96	902.26	317.70	26.73
11	23-उद्योग विभाग	456.57	308.09	148.48	2.37
12	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	242.85	166.63	76.22	2.35
13	27-विधि विभाग	367.06	350.94	16.12	37.02
14	32-विधान सभा (राजस्व दत्तमत)	94.02	88.50	5.52	3.21
15	33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	28.74	26.59	2.15	2.22
16	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	675.87	559.87	116.00	210.59
17	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1,754.71	1,365.18	389.53	65.43
18	38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	25.06	22.08	2.98	2.36
19	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	713.08	470.33	242.75	195.06
20	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	567.40	482.25	85.15	36.13
21	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	6,170.43	4,188.42	1982.01	102.67
22	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	507.45	363.67	143.78	26.65
23	45-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	179.73	132.98	46.75	1.81
24	47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	143.98	138.90	5.08	4.37
क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल	वास्तविक	मूल	अनुपूरक

		प्रावधान	व्यय	प्रावधान में से बचत	प्रावधान
राजस्व (दत्तमत)					
25	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,819.96	1,921.00	898.96	384.26
26	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	1,586.24	1,151.36	434.88	183.66
27	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत्ती राज प्रभाग)	1,659.19	872.88	786.31	84.74
28	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	1,656.83	965.17	691.66	24.61
29	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7,099.48	5,420.89	1,678.59	93.14
30	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	3,392.22	2,582.92	809.30	167.94
राजस्व (भारित)					
31	13-ब्याज भुगतान	5,631.04	4,851.97	779.07	2.00
32	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	96.68	89.72	6.96	2.20
पूँजीगत (दत्तमत)					
33	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	339.00	260.41	78.59	4.01
34	3-भवन निर्माण विभाग	511.17	403.65	107.52	37.00
35	10-ऊर्जा विभाग	1,523.69	1,413.09	110.60	366.72
36	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	31.00	3.86	27.14	3.50
37	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	328.77	273.39	55.38	140.00
38	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	65.83	13.21	52.62	34.69
39	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	93.50	60.74	32.76	2.50
40	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	55.00	52.79	2.21	1.14
41	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	544.64	519.72	24.92	10.18
42	49-जल संसाधन विभाग	1,564.50	1,164.50	400.00	333.15
43	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	529.00	311.96	217.04	4.90
44	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	56.80	51.49	5.31	5.48
कुल योग (राजस्व + पूँजीगत)		54,433.27	40,536.88	13,896.39	3,495.01

परिशिष्ट 2.7

निधि का आधिक्य/अपर्याप्त पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	लेखाशीर्ष	वृद्धि पुनर्विनियोग	कमी पुनर्विनियोग	बचत (-)/ आधिक्य(+)
1	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-001-02	(+) 6.10	---	(-) 18.83
2		2403-00-102-06	(+) 2.13	---	(-) 66.67
3		3451-00-090-08	(+) 3.52	---	(-) 8.59
4	10-ऊर्जा विभाग	2059-80-001-10	(+) 30.67	---	(-) 2,553.74
5	17-वाणिज्यकर विभाग	2040-00-001-04	(+) 200.00	---	(-) 320.78
6	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-001-01	(+) 1.47	---	(-) 500.38
7		2406-01-101-01	(+) 2.00	---	(-) 3,442.18
8		3451-00-090-06	(+) 3.53	---	(-) 67.57
9	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-13	(+) 220.63	---	(-) 1,589.45
10		2210-03-101-02	(+) 300.00	---	(-) 982.22
11		2210-03-103-01	(+) 450.00	---	(-) 2914.35
12	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-001-04	(+) 5.00	---	(-) 238.21
13		2055-00-114-01	(+) 20.00	---	(-) 83.65
14		2056-00-001-01	(+) 12.40	---	(-) 209.39
15	30-कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	2251-00-090-13	(+) 3.84	---	(-) 16.86
16	32-विधानसभा	2011-02-103-01	(+) 8.00	---	(-) 255.55
17	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-191-89	(+) 300.00	---	(-) 911.42
18	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2205-00-796-39	(+) 45.00	---	(-) 66.97
कुल			(+)1,614.29		(-)14,246.81
19	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-02	---	(-) 126.76	(+) 52.64
20	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-01	---	(-) 3.50	(+) 0.37
कुल			-	(-) 130.26	53.01
21	17-वाणिज्यकर विभाग	2040-00-101-02	(+) 56.00	(-) 279.00	(-) 1,547.12
22	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-109-01	(+) 790.00	(-) 870.00	(-) 6,220.98
कुल			(+)846.00	(-)1,149.00	(-)7,768.10

परिशिष्ट 2.8

वर्ष के दौरान किये गये 100 प्रतिशत ठोस प्रत्यर्पण की समीक्षा के परिणाम
(संदर्भ : कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	प्रत्यर्पण की राशि
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-105-B7	मृदा उद्धार हेतु योजना, अम्लीय मिट्टी हेतु मृदा प्रबंधन	6.00	6.00
2		2401-00-105-B8	मृदा स्वास्थ्य किट एवं रिफिल	9.00	9.00
3		2401-00-109-28	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम	13.50	13.50
4		2401-00-109-28	राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम	9.00	9.00
5		2401-00-796-B7	मृदा उद्धार हेतु योजना, अम्लीय मिट्टी हेतु मृदा प्रबंधन	12.00	12.00
6		2401-00-796-B8	मृदा स्वास्थ्य किट एवं रिफिल	18.00	18.00
7	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-106-A2	समेकित फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत के.वी.के. में पशु ब्रीडिंग फॉर्म विकास	15.50	15.50
8		2403-00-796-84	समेकित पॉल्ट्री विकास	12.00	12.00
9		2403-00-796-A2	समेकित फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत के.वी.के. में पशु ब्रीडिंग फॉर्म विकास	11.00	11.00
10		4403-00-796-06	पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना	9.10	9.10
11	8-परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-01	बिरसा मुन्डा हवाई अड्डा के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण	10.00	10.00
12		5053-02-102-08	देवघर हवाई अड्डा के विस्तार हेतु संचरण लाइन का स्थानान्तरण	5.50	5.50
13		5053-02-102-09	देवघर हवाई अड्डा का विकास एवं विस्तार	25.00	25.00
14		5053-02-102-10	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना एवं हवाई अड्डा का विकास	7.00	7.00
15	10-ऊर्जा विभाग	2801-05-052-04	जे.यू.एस.एन.एल. हेतु संचरण लाइन का स्थानान्तरण	5.25	5.25
16		2801-80-796-10	जे.एस.ई.आर.सी. को नये भवन निर्माण हेतु सहायक अनुदान	5.00	5.00
17		6801-00-201-24	प्रदूषण नियंत्रक माप	5.00	5.00
18		6801-00-202-01	कोल ब्लॉक एवं पावर प्लांट - नयी योजना	15.00	15.00
19		6801-00-796-38	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे.बी.भी.एन.एल.) हेतु भूमि	200.00	200.00
20	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-44	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यन्त्र वितरण	7.40	7.40
21		3456-00-796-17	किरोसिन तेल वितरण हेतु कमीशन	6.13	6.13
22		3456-00-796-43	मूल्य स्थिरीकरण कोष	5.00	5.00
23		3456-00-796-44	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यन्त्र वितरण	10.00	10.00

24	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-48	वन सीमा का समेकन	25.00	25.00
25	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-63	विश्व बैंक की सहायता से झारखण्ड स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण प्रोजेक्ट	5.00	5.00
26		2210-01-001-64	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा हेतु सहायता अनुदान	20.00	20.00
27		2210-01-103-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	113.36	113.36
28		2210-01-109-40	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (ए.एन.एम/जी.एन.एम. विद्यालय) (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	12.00	12.00
29		2210-01-109-40	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (ए.एन.एम/जी.एन.एम. विद्यालय) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	8.00	8.00
30		2010-01-110-55	निजी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना हेतु प्रोत्साहन	10.00	10.00
31		2210-01-110-71	जिला स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं एवं स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं, कार्यालयों तक दवाओं, मशीन उपकरण, सामान की आपूर्ति इत्यादि की खरीद (चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर)	8.00	8.00
32		2210-01-789-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	7.00	7.00
33		2010-01-789-68	चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं में पुनरुद्धार, मरम्मत, परिवर्तन इत्यादि	5.00	5.00
34		2210-01-796-55	निजी चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना हेतु प्रोत्साहन	10.00	10.00
35		2210-01-796-56	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश)	16.00	16.00
36		2210-01-796-63	विश्व बैंक की सहायता से झारखण्ड स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण प्रोजेक्ट	5.00	5.00
37		2210-01-796-64	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा हेतु सहायता अनुदान	15.00	15.00
38		2210-01-796-71	जिला स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं एवं स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं, कार्यालयों तक दवाओं, मशीन उपकरण, सामान की आपूर्ति इत्यादि की खरीद (चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर)	8.00	8.00
39		2210-02-200-27	राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-केन्द्रांश)	14.96	14.96
40	2210-02-200-27	राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	9.01	9.01	
41	2210-05-105-16	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी.कोर्स) (के.प्रा.स्कीम-राज्यांश)	6.87	6.87	

42		2210-06-112-19	त्रिवर्षीय बी.एस.सी. सामुदायिक स्वास्थ्य कोर्स	10.00	10.00
43		4210-01-110-43	तृतीयक देखभाल कार्यक्रम (सी.ए.एस.सी.)	7.65	7.65
44		4210-01-110-43	तृतीयक देखभाल कार्यक्रम (सी.ए.एस.एस.)	5.10	5.10
45		4210-03-796-09	ए.एन.एम./जी.एन.एम. विद्यालयों के निर्माण एवं उत्क्रमण	8.00	8.00
46		2202-03-102-B7	विश्वविद्यालय को पुस्तकालय, प्रयोगशाला. कम्प्यूटर केन्द्र, इंटरन शीप विकास केन्द्र, आई.सी.टी. मूलभूत ढाँचा हेतु सहायता अनुदान	33.00	33.00
47	21-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-102-B8	बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, दो पारियों में कक्षा के संचालन एवं कोचिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	10.00	10.00
48		2202-03-796-B8	बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, दो पारियों में कक्षा के संचालन एवं कोचिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	14.00	14.00
49		2202-03-796-BB	झारखण्ड के आई. एस.एम., धनबाद एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के भूमि अधिग्रहण हेतु सहायता अनुदान	25.00	25.00
50	23-उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (उद्योग प्रभाग)	2851-00-796-43	एन.आई.डी. अहमदाबाद की सहायता से हैंडलूम विकास संस्थान हस्तशिल्प स्थापना का विकास	5.00	5.00
51		2852-80-102-86	स्टार्टअप पूँजी व्हाउचर निधि	15.00	15.00
52		4885-60-796-01	स्टार्टअप पूँजी जिडको	5.00	5.00
53	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	4250-00-789-01	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाईड भवन का निर्माण	5.00	5.00
54		4250-00-796-01	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं अलाईड भवन का निर्माण	12.61	12.61
55	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-800-43	छ: पिछड़ा जिलों हेतु विशेष कार्यक्रम	100.00	100.00
56	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-789-13	ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान	13.00	13.00
57		2215-01-796-13	ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान	19.00	19.00
58		2215-02-107-13	ग्रामीण स्वच्छता हेतु अनुदान	32.00	32.00
59		2501-02-101-06	वाटरशेड योजना नाबाई	48.12	48.12
60		2501-02-101-07	वृहत सिंचाई योजना	9.80	9.80
61	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-02-101-08	नीरांचल योजना (सी.ए.एस.सी.)	8.82	8.82
62		2501-02-101-08	नीरांचल योजना (सी.ए.एस.एस.)	5.88	5.88
63		2501-02-101-09	वाटरशेड विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान	9.80	9.80
64		2501-02-789-06	वाटरशेड योजना नाबाई	20.05	20.05
65		2501-02-796-06	वाटरशेड योजना नाबाई	65.50	65.50
66		2501-02-796-07	सिंचाई योजना	7.20	7.20

67		2501-02-796-08	नीरांचल योजना	6.48	6.48
68		2501-02-796-09	वाटरशेड विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान	7.20	7.20
69		2501-06-101-14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबान योजना	34.63	34.63
70		2501-06-796-11	माइक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रुकावट पर पहल	5.40	5.40
71		2501-06-796-14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबान योजना	24.95	24.95
72		2501-06-800-11	माइक्रोडीप सिंचाई योजना पर बागवानी में रुकावट पर पहल	7.35	7.35
73		2515-00-102-60	दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना हेतु अनुदान	19.60	19.60
74		2515-00-789-60	दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना हेतु अनुदान	6.00	6.00
75		2515-00-796-60	दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना हेतु अनुदान	14.40	14.40
76		4515-00-796-43	मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना	5.50	5.50
77		2217-80-191-65	झारखण्ड राज्य विकास निधि अनुदान (राज्य निधि)	50.00	50.00
78		2217-80-191-76	शहरी नवीकरण मिशन-ए.एम.आर.यू.टी.	160.20	160.20
79		2217-80-191-80	पी.पी.पी. प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन	15.00	15.00
80		2217-80-191-83	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों को अनुदान	69.10	69.10
81		2217-80-192-84	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर निगमों/ नगरपालिकाओं को अनुदान	21.14	21.14
82	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2217-80-193-85	सामान्य निष्पादन अनुदान के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान	6.26	6.26
83		2217-80-789-56	शहरी भूमि प्रबंधन एवं अधिकरण हेतु सहायता अनुदान	15.00	15.00
84		2217-80-789-89	प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए सहायता अनुदान	25.00	25.00
85		2217-80-796-61	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी. सहित) एवं एन.जी.आर.बी.ए. (राज्यांश)	5.35	5.35
86		2217-80-796-75	स्मार्ट सिटी (केन्द्रांश)	100.00	100.00
87		2217-80-796-75	स्मार्ट सिटी (राज्यांश)	100.00	100.00
88		2217-80-796-76	शहरी नवीकरण मिशन (केन्द्रांश)	65.80	65.80
89		2217-80-796-80	पी.पी.पी. प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन	35.00	35.00
90	49-जल संसाधन विभाग	4701-80-789-63	मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	20.00	20.00
91		4701-80-789-65	छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	20.00	20.00

92		4701-80-796-63	मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत नई योजनाओं का निर्माण	20.00	20.00
93		4700-80-789-13	स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट	164.70	164.70
94	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	2225-02-796-50	टी.सी.डी.सी. हेतु सहायता अनुदान	5.00	5.00
95		2225-02-796-91	आय उत्पन्न करने वाले गतिविधियों हेतु सहायता	5.00	5.00
96	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-101-06	पंचायत भवनों का रखरखाव (स्थापना व्यय)	5.00	5.00
97	57-नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	6216-02-201-05	एच.आई.जी./एम.आई.एफ./एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स के निर्माण एवं अधिकृत भूमि के विकास हेतु जे.एस.एच. बोर्ड को ऋण	5.00	5.00
98		6216-02-796-05	एच.आई.जी./एम.आई.एफ./एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स के निर्माण एवं अधिकृत भूमि के विकास हेतु जे.एस.एच. बोर्ड को ऋण	5.00	5.00
99		6216-02-796-08	सहजानन्द चौक, हरमू, राँची के निकट कॉमर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण	10.00	10.00
100	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	2202-01-101-15	सामान्य एवं पिछड़ी जाती के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें	9.60	9.60
101		2202-01-101-51	मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना	8.80	8.80
102		2202-01-101-52	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना जे.ई.पी.सी. को अनुदान	32.00	32.00
103		2202-01-101-57	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान	48.00	48.00
104		2202-01-789-52	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना जे.ई.पी.सी. को अनुदान	13.60	13.60
105		2202-01-789-57	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान	20.40	20.40
106		2202-01-796-15	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा जाति छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें	10.32	10.32
107		2202-01-796-44	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहायता अनुदान	8.75	8.75
108		2202-01-796-44	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहायता अनुदान	5.88	5.88
109		2202-01-796-51	मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना	9.46	9.46
110		2202-01-796-52	झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय योजना जे.ई.पी.सी. को अनुदान	34.40	34.40
111		2202-01-796-57	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के सुदृढीकरण हेतु जे.ई.पी.सी. को अनुदान	51.60	51.60
112	2202-01-800-44	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहायता अनुदान (सी.ए.एस.सी.) (केन्द्रांश-75 : राज्यांश-25)	13.25	13.25	

113		2202-01-800-44	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सहायता अनुदान (सी.ए.एस.एस.) (केन्द्रांश-75 : राज्यांश-25)	8.90	8.90
114	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-102-48	स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स	5.53	5.53
115		2235-02-102-A8	आंगनबाडी केन्द्रों का सुदृढीकरण	9.60	9.60
116		2235-02-103-A0	तेजस्विनी योजना	14.00	14.00
117		2235-02-796-48	स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स	6.00	6.00
118		2235-02-796-93	ए.डब्लू.सी. का सुदृढीकरण	5.00	5.00
119		2235-02-796-A0	तेजस्विनी योजना	16.00	16.00
120		2235-02-796-A4	विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/छात्रावासों/गृहों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं उपस्कर की आपूर्ति	5.20	5.20
121		2235-02-796-A8	आंगनबाडी केन्द्रों का सुदृढीकरण	10.40	10.40
122		2235-02-796-AD	आई.सी.डी.सी. के अंतर्गत ए.डब्लू.सी. का निर्माण/रखरखाव/उत्क्रमण	5.05	5.05
123		2236-02-101-06	किशोरियों के लिए योजना (सी.ए.एस.सी.)	6.85	6.85
124		2236-02-796-06	किशोरियों के लिए योजना (सी.ए.एस.सी.)	8.00	8.00
125		2336-02-796-06	किशोरियों के लिए योजना (सी.ए.एस.एस)	8.00	8.00
126		4235-02-106-74	अनुश्रवण कोषांग का संचालन	12.00	12.00
127	4235-02-796-74	अनुश्रवण कोषांग का संचालन	8.00	8.00	
कुल				2,667.76	2,667.76

परिशिष्ट 2.9
वर्ष के अंत में व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.4; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनवरी से मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत		मार्च 2019 में आहरित ए.सी. विपत्र	मार्च 2019 में व्यक्तिगत निक्षेप (पी.डी.) खाते में अंतरित राशि
					जनवरी-मार्च 2019 के दौरान	मार्च 2019 में		
1	10-ऊर्जा विभाग	199.99	194.41	199.99	100.00	97.21	0.00	194.41
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	8.97	8.24	8.97	100.00	91.86	0.00	0.00
3	23-उद्योग, खनन एवं भूतत्व विभाग (उद्योग विभाग)	6.50	6.50	6.50	100.00	100.00	0.00	0.00
4	57-नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग)	15.01	8.14	17.23	87.12	47.24	0.00	0.00
5	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	234.23	30.29	273.39	85.68	11.08	0.00	38.33
6	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	82.29	47.39	102.89	79.98	46.06	0.00	0.00
7	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	40.01	13.60	51.49	77.70	26.41	0.00	0.87
8	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	50.69	17.92	65.60	77.27	27.32	0.00	0.00
9	46-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	76.56	58.77	99.37	77.05	59.14	0.00	25.96
10	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	357.33	302.30	485.37	73.62	62.28	0.00	0.00
11	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	1,376.20	891.32	1,902.30	72.34	46.85	0.00	559.59
12	52-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	10.36	6.18	14.66	70.67	42.16	0.00	1.35
13	54-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	95.19	82.07	142.99	66.57	57.40	0.00	0.00
14	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	321.69	268.15	491.93	65.39	54.51	0.00	197.19

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	जनवरी से मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत		मार्च 2019 में आहरित ए.सी. विपत्र	मार्च 2019 में व्यक्तिगत निक्षेप (पी.डी.) खाते में अंतरित राशि
					जनवरी-मार्च 2019 के दौरान	मार्च 2019 में		
15	6-मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	67.73	43.70	105.63	64.12	41.37	0.10	0.00
16	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	294.31	120.02	467.74	62.92	25.66	0.00	0.00
17	9-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	98.92	84.99	157.33	62.87	54.02	0.00	0.00
18	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	161.75	97.85	260.41	62.11	37.58	0.00	17.00
19	46-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	27.11	18.80	47.40	57.19	39.66	0.05	20.75
20	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	228.02	41.14	400.13	56.99	10.28	0.00	0.00
21	51-कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	224.63	73.16	394.59	56.93	18.54	5.65	21.24
22	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	240.75	237.85	426.60	56.43	55.75	22.60	0.01
23	10-ऊर्जा विभाग	1,327.54	712.16	2,490.23	53.31	28.60	0.00	1,371.25
24	49-जल संसाधन विभाग	232.45	59.73	437.10	53.18	13.67	0.00	0.00
25	40-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	357.33	111.33	695.81	51.35	16.00	0.00	14.27
26	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	85.00	84.64	165.55	51.34	51.13	0.00	83.00
27	22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	97.36	59.01	190.92	51.00	30.91	0.00	0.00
28	52-पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	24.56	12.24	49.11	50.01	24.92	6.30	6.69
कुल		6,342.48	3,691.90	10,151.23	62.48	36.37	35.15	2,551.91

परिशिष्ट 2.10

नियंत्रक अधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय असमाशोधित रह गया

(प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नियंत्रक पदाधिकारी/विभाग	समाशोधित नहीं की गयी राशि
1	निबंधक, कॉर्पोरेशन समाज, कॉर्पोरेशन विभाग, राँची	62.78
2	सचिव, वित्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, झारखण्ड, राँची	311.92
3	सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	16.17
4	सचिव राजस्व बोर्ड विभाग	679.45
5	उप सचिव, प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राँची	6,457.89
6	उप सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राँची	278.04
7	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, राँची	48.90
8	उप सचिव, कल्याण विभाग, राँची	2,087.06
9	1. उप सचिव, झारखण्ड, राँची 2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची	967.53
10	सचिव, शहरी विकास, झारखण्ड, राँची	1,250.79
11	सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, झारखण्ड	695.36
12	उप सचिव, लघु सिंचाई विभाग, झारखण्ड	312.10
13	निदेशक, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची	5,998.59
14	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची	16.65
15	श्रम आयुक्त, राँची	19.15
16	निदेशक, योजना व मूल्यांकन विभाग	13.40
17	चुनाव आयुक्त, चुनाव विभाग, राँची	104.13
18	सचिव, खाद्य एवं पौष्टिक विभाग, झारखण्ड	225.87
19	निदेशक, डेयरी विकास, झारखण्ड, राँची	221.39
20	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची	130.66
21	आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन विभाग	65.10
22	मुख्य अभियंता, पथ निर्माण (पी.डब्ल्यू.डी.) विभाग	149.01
23	1. अपर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, सेक्शन IV ग्रामीण पुलिस 2. आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल राँची 3. आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग	4,372.97
24	1. महानिरीक्षक (कारा) होम गार्ड, राँची 2. आयुक्त, सिविल रक्षा, झारखण्ड 3. निबंधक, कैबिनेट (सतर्कता) विभाग, राँची 4. प्रमंडलीय आयुक्त, राजभाषा विभाग, राँची	76.58
25	उद्योग निदेशक, उद्योग एवं खनिज विभाग, झारखण्ड	23.26
26	उद्योग निदेशक, उद्योग एवं खनिज विभाग, झारखण्ड	65.57
27	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड	105.77
28	1. उप सचिव, भवन निर्माण, आवास एवं लोक कार्य निर्माण प्रमंडल विभाग, 2. मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, आवास एवं लोक कार्य निर्माण प्रमंडल विभाग	125.85
29	सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड	223.17
30	सचिव, लघु सिंचाई विभाग, झारखण्ड, राँची	49.04
31	सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड, राँची	467.52
32	सचिव, कृषि अनुसंधान	10.89
कुल		25,632.56

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) झारखण्ड का कार्यालय

परिशिष्ट 2.11
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 2.6.6; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	उप-शीर्ष	मूल	2018-19 के दौरान व्यय	बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2210-01-102-21	21-कर्मचारी राज्य बीमा योजना	18.17	17.72	0.45	0.03
2	2230-01-001-01	01-श्रमायुक्त	4.69	3.36	1.33	0.23
3	2230-01-101-05	05-औद्योगिक विवाद हेतु श्रम सुलह समिति	3.44	2.80	0.64	0.05
4	2230-01-101-06	06-श्रम विधि का प्रशासन एवं प्रवर्तन	5.63	4.74	0.89	0.40
5	2230-01-101-07	07-कृषि में न्यूनतम मजदूरी विनियम का कार्यान्वयन	8.89	7.50	1.39	0.26
6	2230-01-102-01	01-स्टीम बायलर निरीक्षक	0.71	0.68	0.03	0.20
7	2230-01-102-02	02-कारखाना निरीक्षक	6.17	5.49	0.68	0.95
8	2230-01-103-01	01-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन	2.85	2.14	0.71	0.10
9	2230-03-003-05	05-मुख्यालय की स्थापना	0.41	0.40	0.01	0.05
10	2251-00-090-08	08-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	3.02	2.93	0.09	0.07
11	4250-00-203-04	04-एल.डब्ल्यू.ई. जिलों में नवयुवकों के कौशल विकास हेतु योजना	8.00	0.45	7.55	5.76
12	4250-00-203-04	04-एल.डब्ल्यू.ई. जिलों में नवयुवकों के कौशल विकास हेतु योजना	4.00	0.30	3.70	5.51
13	4250-00-796-04	04-एल.डब्ल्यू.ई. जिलों में नवयुवकों के कौशल विकास हेतु योजना	10.00	0.64	9.36	14.75
14	4250-00-796-04	04-एल.डब्ल्यू.ई. जिलों में नवयुवकों के कौशल विकास हेतु योजना	8.00	1.03	6.97	8.67
कुल			83.98	50.18	33.80	37.03

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता
(संदर्भ: कंडिका 2.6.7 ; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/कार्यालय	योजनाओं की संख्या जिसके अधीन राशि अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	अभ्यर्पित
1	राँची	अवर सचिव, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (सरकार पक्ष)	3	0.76	0.76
		सहायक निदेशक नियोजन (मु.), (प्रशिक्षण पक्ष)	2	3.82	3.82
		सहायक निदेशक नियोजन (मु.), कार्यालय निदेशालय, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (अर्द्ध इकाई)	2	0.56	0.56
		श्रमायुक्त के सचिव,	3	0.05	0.05
		उप श्रमायुक्त (कृषि श्रम)	1	0.02	0.02
		उप श्रमायुक्त	2	0.22	0.22
		अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	3	1.42	1.42
2	धनबाद	अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	6	0.29	0.29
3	चाईबासा	श्रम अधीक्षक	2	0.06	0.06
		श्रम अधीक्षक (कृषि)	3	0.03	0.03
4	देवघर	सहायक श्रमायुक्त	2	0.08	0.08
5	सराईकेला	श्रम अधीक्षक	2	0.04	0.04
6	सिमडेगा	श्रम अधीक्षक	3	0.06	0.06
7	गढ़वा	श्रम अधीक्षक	3	0.10	0.10
कुल			37	7.51	7.51

परिशिष्ट 2.13

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 2.6.8 ; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/कार्यालय	योजनाओं की संख्या जिसके अधीन राशि अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
1	राँची	अवर सचिव, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (सरकार पक्ष)	2	4.02	3.07	0.95 (24%)	31.03.19
		सहायक निदेशक नियोजन (मु.), प्रशिक्षण पक्ष	8	24.37	13.35	11.02(45%)	31.03.19
		निदेशालय, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (अर्द्ध इकाई)	3	3.60	1.81	1.79 (50%)	31.03.19
		श्रमायुक्त के सचिव, आई.टी.आई .हेहल	6	5.73	3.53	2.20 (38%)	31.03.19
			5	9.25	5.56	3.69 (40%)	31.03.19
		अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	5	3.63	1.74	1.89 (52%)	31.03.19
2	धनबाद	अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	3	1.31	0.17	1.14 (87%)	31.03.19
3	चाईबासा	उप श्रमायुक्त (कृषि श्रम)	3	0.94	0.55	0.39 (41%)	29.03.19
		उप श्रमायुक्त	4	2.30	1.64	0.66 (29%)	30.03.19
4	बोकारो	उप श्रमायुक्त	5	1.46	1.05	0.41 (28%)	29.03.19
5	देवघर	सहायक श्रमायुक्त	5	2.25	1.64	0.61 (27%)	30.03.19
6	सराईकेला	श्रम अधीक्षक	4	1.60	1.23	0.37 (23%)	31.03.19
7	सिमडेगा	श्रम अधीक्षक	4	1.40	0.90	0.50 (36%)	30.03.19
8	गढ़वा	श्रम अधीक्षक	3	0.72	0.16	0.56 (78%)	31.03.19
कुल			60	62.58	36.40	26.18 (42%)	

परिशिष्ट 2.14
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 2.6.9 ; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

जिला	सचिवालय/कार्यालय	लेखे शीर्ष योजनओं की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
राँची	सचिवालय	2230-02-789-01	0.20	0.10	50
		2235-60-200-07	13.66	6.79	50
		2230-01-796-35	0.20	0.10	50
		4059-01-001-55	1.43	0.75	52
		2235-60-789-07	1.75	1.04	59
		2235-60-796-07	12.29	7.99	65
		2230-03-796-39	5.51	4.13	75
		4250-00-796-06	0.14	0.11	78
		4250-00-796-04	1.03	0.81	79
		2230-03-003-39	3.94	3.71	94
		2230-02-101-37	0.09	0.09	100
		2230-03-789-39	2.90	2.90	100
		4059-01-796-55	0.35	0.35	100
		4250-00-203-04	0.45	0.45	100
		4250-00-203-04	0.30	0.30	100
4250-00-203-06	0.14	0.14	100		
उप-योग			44.38	29.76	67
राँची	अवर सचिव, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग (सरकार पक्ष)	3	0.20	0.10	42 से 100
	सहायक निदेशक नियोजन (मु.), प्रशिक्षण पक्ष	4	6.79	6.44	62 से 100
	प्राध्यापक, आई.टी.आई. हेहल	5	0.41	0.34	50 से 100
	अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	1	0.01	0.006	60
	ई.एस.आई. चिकित्सालय, धुर्वा	1	1.77	0.77	44
	उप श्रमायुक्त	8	1.24	1.23	46 से 100
धनबाद	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	8	0.21	0.14	44 से 100
	अवर-प्रादेशिक नियोजनालय	9	0.17	0.16	40 से 100
	सहायक श्रमायुक्त	6	1.76	1.75	71 से 100
बोकारो	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	8	0.10	0.09	68 से 100
चाईबासा	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	2	0.64	0.33	49 & 72
	श्रम अधीक्षक	3	1.07	1.06	46 से 100
	श्रम अधीक्षक (कृषि)	2	0.005	0.005	100
देवघर	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	6	1.05	0.94	48 से 100
	सहायक श्रमायुक्त	2	0.99	0.99	100
	ई.एस.आई. चिकित्सालय, मधुपुर	4	0.004	0.004	100
सराईकेला	प्राध्यापक, आई.टी.आई .	4	0.76	0.50	51 से 100
	श्रम अधीक्षक	5	0.066	0.065	41 से 95
सिमडेगा	श्रम अधीक्षक	3	0.70	0.69	74 से 100
उप-योग			17.95	15.61	
सकल योग			62.33	45.37	

परिशिष्ट 2.15
विभागीय व्यय के आँकड़ों का असमाशोधन
(संदर्भ: कंडिका 2.6.10; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	राँची	अवर सचिव, श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग. (सरकार पक्ष)	3.07	0	3.07
		सहायक निदेशक नियोजन (मु.), प्रशिक्षण पक्ष	13.35	0	13.35
		श्रमायुक्त के सचिव, उप श्रमायुक्त	4.50	0	4.50
		उप श्रमायुक्त	3.43	0	3.43
		उप श्रमायुक्त (कृषि श्रम)	1.58	0	1.58
		आई.टी.आई. (सामान्य), हेहल	5.56	5.38	0.18
2	बोकारो	ई.एस.आई. चिकित्सालय	1.33	1.13	0.20
3	धनबाद	आई.टी.आई	4.59	4.40	0.19
4	देवघर	सहायक श्रमायुक्त	1.64	0	1.64
5	सराईकेला	ई.एस.आई. चिकित्सालय	1.46	0	1.46
6	सिमडेगा	श्रम अधीक्षक	0.90	0	0.90
7	गढवा	श्रम अधीक्षक	1.80	0	1.80
कुल			43.21	10.91	32.30

परिशिष्ट 2.16
झारखण्ड गैर-संगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना
(संदर्भ: कंडिका 2.6.14; पृष्ठ 61)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नमूना-जांचित इकाईयाँ	आबंटन	व्यय (मृत्यु/विकलांगता की क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति, गंभीर बीमारी इत्यादि सहित)	अभ्यर्पित राशि	पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की संख्या	पी.एम.जे.जे.बी.वाई./पी.एम.एस.बी.वाई. के अधीन प्रीमियम के भुगतान हेतु एल.आई.सी. को भेजे गए आच्छादित असंगठित श्रमिकों की संख्या	पी.एम.जे.जे.बी.वाई./पी.एम.एस.बी.वाई. के अधीन आच्छादित नहीं किये गए असंगठित श्रमिकों की संख्या
1	उप श्रमायुक्त, राँची	0.50	0.21	0.29 (58%)	1,72,741	12,050	1,60,691
2	सहायक श्रमायुक्त, धनबाद	0.45	0.45	0.00	70,390	25,000	45,390
3	उप श्रमायुक्त, बोकारो	0.44	0.44	0.00	53,094	24,207	28,887
4	सहायक श्रमायुक्त, देवघर	0.42	0.23	0.19 (45%)	83,147	8,381	74,766
5	श्रम अधीक्षक, चाईबासा	0.47	0.32	0.15 (32%)	38,077	18,456	19,621
6	श्रम अधीक्षक, सराइकेला	0.40	0.31	0.09 (23%)	40,472	17,039	23,433
7	श्रम अधीक्षक, सिमडेगा	0.40	0.09	0.31 (78%)	23,576	3,686	19,890
8	श्रम अधीक्षक, गढ़वा	0.42	0.06	0.36 (86%)	23,166	3,743	19,423
कुल		3.50	2.11	1.39 (40%)	5,04,663	1,12,562 (22%)	3,92,101

परिशिष्ट 2.17
अज्ञात लाभकों को कम्बलों/कपड़ों का वितरण
(संदर्भ: कंडिका 2.6.15; पृष्ठ 63)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	आबंटन	व्यय	अभ्यर्पित राशि	दर प्रति कम्बल (संविदा के अनुसार) (₹ में)	कुल खरीदे गए कम्बल	उपलब्ध लाभकों की सूची	लाभकों की कमी	कमी के सापेक्ष राशि
1	उप श्रमायुक्त , राँची	1.58	1.21	0.37	229	52,777	139	52,638	1.21
2	सहायक श्रमायुक्त , धनबाद	1.70	1.70	0	244.60	69,635	30	69,605	1.70
3	उप श्रमायुक्त , बोकारो	1.90	1.90	0	297	63,982	162	63,820	1.90
4	सहायक श्रमायुक्त , देवघर	1.03	0.99	0.04	289.50	34,278	0	34,278	0.99
5	श्रम अधीक्षक, चाईबासा	1.40	1.05	0.35	229	46,019	42,026	3,993	0.09
6	श्रम अधीक्षक, सराइकेला	0.77	0.60	0.17	231	25,777	24,267	1,510	0.04
7	श्रम अधीक्षक, सिमडेगा	0.68	0.67	0.01	217	31,488	0	31,488	0.68
8	श्रम अधीक्षक, गढ़वा	1.65	1.65	0	289	56,923	3,271	53,652	1.55
कुल		10.71	9.77	0.94	2,026.10	3,80,879	69,895	3,10,984	8.16

परिशिष्ट 2.18
वर्ष 2018-19 हेतु परिहार्य अनुपूरक प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 2.7.4; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	मुख्य शीर्ष	मूल	व्यय	अनुपूरक प्रावधान
1	3456-00-001-02	20.96	19.05	2.00
2	3456-00-001-53	12.53	8.81	0.28
3	3456-00-102-50 (केंद्र)	0.37	0.0082	1.35
4	3456-00-102-50 (राज्य)	0.37	0.0079	1.35
5	3456-00-102-58	0.00	0.00	0.063
6	3456-00-789-50 (केंद्र)	0.13	0.00	0.49
7	3456-00-789-50 (राज्य)	0.13	0.00	0.49
8	3456-00-789-51	29.12	23.71	5.00
9	3456-00-789-58	0.00	0.00	0.063
10	3456-00-796-50 (केंद्र)	0.50	0.33	1.90
11	3456-00-796-50 (राज्य)	0.50	0.33	1.90
12	3456-00-796-58	0.00	0.00	0.15
13	3456-00-796-59	0.00	0.00	0.38
14	3475-00-106-08	3.52	3.02	0.01
15	3475-00-106-09	0.00	0.00	2.50
कुल		68.13	55.2661	17.93

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.19
अधिकाई राशि का प्रावधान प्रदर्शित करने वाले विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.7.4; पृष्ठ 66)

(₹ लाख में)

जिला	योजना	शीर्ष	पत्र संख्या	तिथि	शीर्ष-वार आबंटन	कुल आबंटन	कुल व्यय	31.03.2019 को अभ्यर्पण	परिहार्य अनुपूरक अनुदान
रामगढ़	पी.एच.एच. (एस.सी.एस.पी.)	मूल	3,672	08.11.2018	145.43	290.86	16.06	274.79	145.43
		अनुपूरक-I	1,396	07.05.2018	145.43				
	अन्तोदय (एस.सी.एस.पी.)	मूल	3,671	08.11.2018	57.65	115.3	4.67	110.64	57.65
		अनुपूरक-I	1,463	14.05.2018	57.65				
	पी.टी.जी. डाकिया (ओ.एस.पी.)	मूल	1,514	17.05.2018	0.25	1.16	0.17	0.99	0.91
		अनुपूरक-I	3,899	10.12.2018	0.91				
कुल					407.32	407.32	20.9	386.42	203.99
दुमका	आयोडीन नमक (टी.एस.पी.)	मूल	411	05.02.2019	4.07	7.04	3.29	3.75	2.97
		अनुपूरक-I	595	18.02.2019	2.97				
		कुल							
धनबाद	पी.एच.एच. (एस.सी.एस.पी.)	मूल	1,396	07.05.2018	514.19	1,028.38	464.09	564.3	514.19
		अनुपूरक-I	3,672	08.11.2018	514.19				
	आयोडीन नमक (एस.सी.एस.पी.)	मूल	411	05.02.2019	1.33	2.65	0.00	2.65	1.32
		अनुपूरक-I	595	18.02.2019	1.32				
		कुल							
गिरिडीह	पी.टी.जी. डाकिया योजना (ओ.एस.पी.)	मूल	1,514	17.05.2018	0.28	0.56	0.07	0.49	0.28
		अनुपूरक-I	3,900	10.12.2018	0.28				
	पी.टी.जी. डाकिया योजना	मूल	1,514	17.05.2018	0.16	0.32	0.03	0.28	0.16

	(एस.सी.एस.पी.)	अनुपूरक-I	3,900	10.12.2018	0.16				
	मशीन एवं उपकरण	मूल	1,825	11.06.2018	0.10	1.10	0.09	1.00	1.00
		अनुपूरक-I	2,530	03.08.2018	1.00				
		कुल				1.98	1.98	0.19	1.77
हजारीबाग	पी.एच.एच. (ओ.एस.पी.)	मूल	1,396	07.05.2018	1,097.68				
		अनुपूरक-I	3,672	08.11.2018	1,097.68	2,210.81	2,096.85	113.96	15.45
		अनुपूरक-II	593	18.02.2019	15.45				
		कुल			2,210.81	2,210.81	2,096.85		15.45
		सकल योग							

परिशिष्ट 2.20

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को इकाई-वार राशि की अभ्यर्पित प्रतिवेदन

(संदर्भ : कंडिका 2.7.5; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं..	जिला आपूर्ति पदाधिकारी का नाम	अभ्यर्पण की तिथि	अभ्यर्पित राशि
1.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ	31.03.19	4.65
2.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर	31.03.19	8.34
3.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला	31.03.19	1.54
4.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका	31.03.19	2.87
5.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	30.03.19	2.51
6.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची	31.03.19	45.46
7.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद	31.03.19	7.56
8.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	31.03.19	8.13
9	SRO, धनबाद	30.03.19	0.06
10	निदेशालय, खाद्य, पी.डी.एस. एवं उपभोक्ता मामले, राँची	30.03.19	24.35
कुल			105.47

परिशिष्ट 2.21
मार्च 2019 में उप-शीर्ष वार व्यय
(संदर्भ : कंडिका 2.7.6 ; पृष्ठ 66)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2018-19 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2019 में व्यय	मार्च 2019 में व्यय की प्रतिशतता
1.	3456-00-102-03	0.85	0.84	98.82
2.	3456-00-789-03	0.27	0.27	100.00
3.	3456-00-796-03	1.04	1.00	96.15
4.	4408-02-796-02	2.50	1.50	60.00
5.	3456-00-102-48	4.98	4.60	92.37
6.	3456-00-789-48	1.69	1.56	92.31
7.	3456-00-796-48	6.54	6.05	92.51
8.	3456-00-796-50	0.33	0.33	100.00
9.	3456-00-796-50	0.33	0.33	100.00
10.	4408-02-101-01	0.97	0.69	71.13
11.	3456-00-102-52	10.00	10.00	100.00
12.	3456-00-789-52	5.00	5.00	100.00
13.	3456-00-796-52	15.00	15.00	100.00
14.	3456-00-102-51	115.09	30.20	26.24
15.	3456-00-789-20	0.25	0.08	32.00

परिशिष्ट 2.22

मार्च 2019 में डी.डी.ओ.-वार एवं योजना-वार व्यय का वेग

(संदर्भ : कंडिका 2.7.6; पृष्ठ 66)

(₹ लाख में)

डी.डी.ओ. के नाम	योजना का नाम	कुल व्यय (2018-19)	मार्च 2019 में व्यय	व्यय का वेग (प्रतिशत में)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची	3456- पी.एच.एच. (टी.एस.पी.)	2,776.14	938.75	33.82
	3456-पी.टी.जी. डाकिया (टी.एस.पी.)	1.24	1.24	100.00
	3456-अन्नपूर्णा अन्न योजना (टी.एस.पी.)	0.40	0.40	100.00
	3456-नमक वितरण (टी.एस.पी.)	1.28	1.28	100.00
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	3456-पी.टी.जी. डाकिया (ओ.एस.पी.)	0.07	0.07	100.00
	3456-पी.टी.जी. डाकिया (एस.सी.एस.पी.)	0.03	0.03	100.00
	3456-नमक वितरण योजना (ओ.एस.पी.)	4.71	4.71	65.93
	3456-नमक वितरण योजना (एस.सी.एस.पी.)	1.58	1.58	63.48
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	3456-कम्प्यूटरीकरण (सामान्य)	5.99	2.13	35.51
	3456-पी.टी.जी. डाकिया (ओ.एस.पी.)	1.84	0.63	34.51
	3456-आयोडीन नमक (ओ.एस.पी.)	5.40	5.40	100.00
	3456- अन्नपूर्णा योजना (ओ.एस.पी.)	0.15	0.15	100.00
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर	3456-मुख्यमंत्री दाल भात योजना (टी.एस.पी.)	67.38	23.37	34.68
निदेशालय, राँची	3456-मुद्रण (एस.सी.एस.पी.)	24.79	8.46	34.15
	3456-नमक वितरण (टी.एस.पी.)	635.26	590.00	92.87
	3456-नमक वितरण (ओ.एस.पी.)	481.89	444.80	92.30
	3456-नमक वितरण (एस.सी.एस.पी.)	167.32	154.42	92.29
	3456-अन्नपूर्णा अन्न योजना (टी.एस.पी.)	99.44	99.44	100.00
	3456-अन्नपूर्णा अन्न योजना (ओ.एस.पी.)	84.10	84.10	100.00
	3456-अन्नपूर्णा अन्न योजना(एस.सी.एस.पी.)	27.42	27.42	100.00
	3456-प्रचार प्रसार (टी.एस.पी.)	7.94	4.50	56.70

परिशिष्ट 2.2.3

डी.डी.ओ. के व्यय की असमाशोधित राशि

(संदर्भ : कंडिका 2.7.7; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय	शीर्ष	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	गुमला	जिला उपभोक्ता फोरम गुमला	3456-स्थापना	0.25	0	0.25
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला	3456-योजना	21.27	0	21.27
			3456-स्थापना	0.73	0	0.73
2	हजारीबाग	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	3456-योजना	38.58	0	38.58
			3456-स्थापना	1.09	0	1.09
		जिला उपभोक्ता फोरम, हजारीबाग	3456-स्थापना	0.47	0	0.47
3	दुमका	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका	3456-योजना	29.95	0	29.95
			3456-स्थापना	0.31	0	0.31
		सहायक कृषि निदेशक, दुमका	3456-स्थापना	0.52	0	0.52
		सहायक नियंत्रक, डब्ल्यू. एवं एम. दुमका	3456-स्थापना	0.05	0	0.05
		जिला उपभोक्ता फोरम, दुमका	3456-स्थापना	0.45	0	0.45
4	राँची	सचिव, झारखण्ड राज्य उपभोक्ता आयोग, राँची	3456-स्थापना	1.15	0	1.15
		संयुक्त निदेशक कृषि, राँची	3456-स्थापना	0.30	0	0.30
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची	4408-पूँजी	28.35	0	28.35
			3456-योजना	42.62	0	42.62
			3456-स्थापना	0.42	0	0.42
		उप निदेशक कृषि, राँची	3456-स्थापना	0.63	0	0.63
		विशिष्ट राशननिंग पदाधिकारी, राँची	3456-स्थापना	1.93	0	1.93
जिला उपभोक्ता फोरम, राँची	3456-स्थापना	0.52	0	0.52		
5	गिरिडीह	जिला उपभोक्ता फोरम, गिरिडीह	3456-स्थापना	0.36	0	0.36
		सहायक नियंत्रक, डब्ल्यू. एवं एम. गिरिडीह	3456-स्थापना	0.15	0	0.15
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	3456-योजना	48.38	0	48.38
			3456-स्थापना	0.98	0	0.98
6	धनबाद	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद	3456-योजना	43.43	0	43.43
			3456-स्थापना	0.83	0	0.83
		जिला उपभोक्ता फोरम, धनबाद	3456-स्थापना	0.48	0	0.48
		विशिष्ट राशननिंग पदाधिकारी, धनबाद	3456-स्थापना	0.90	0	0.90
		सहायक नियंत्रक, डब्ल्यू. एवं एम. धनबाद	3456-स्थापना	0.32	0	0.32
7	जमशेदपुर	विशिष्ट राशननिंग पदाधिकारी जमशेदपुर	3456-स्थापना	1.38	0	1.38
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर	3456-योजना	39.74	0	39.74
			3456-स्थापना	0.61	0	0.61
8	रामगढ	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ	3456-योजना	12.05	0	12.05
			3456-स्थापना	0.63	0	0.63
कुल				319.83		319.83

परिशिष्ट 2.24
विभिन्न शीर्षों में सम्पूर्ण बजट का अभ्यर्पण
(संदर्भ : कंडिका 2.7.8 ; पृष्ठ 67)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय	अभ्यर्पण
1	3456-00-102-17	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53
	3456-00-789-17	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59
	3456-00-796-17	6.13	0.00	6.13	0.00	6.13
2	3456-00-796-46	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
3	3475-00-796-08	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35
	3475-00-106-10	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21
	3475-00-789-08	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11
4	3456-00-796-54	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06
	3456-00-789-54	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
	3456-00-102-54	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
5	3456-00-102-43	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70
	3456-00-789-43	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30
	3456-00-796-43	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
6	3456-00-102-44	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40
	3456-00-789-44	2.60	0.00	2.6	0.00	2.60
	3456-00-796-44	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
7	3456-00-789-41	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25
8	4408-02-789-35	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90
9	3456-00-789-50	0.13	0.49	0.62	0.00	0.62
	3456-00-789-50	0.13	0.49	0.62	0.00	0.62
10	3456-00-789-58	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06
	3456-00-796-58	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15
	3456-00-102-58	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06
11	3456-00-796-59	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38
12	3456-00-106-09	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50
कुल		47.44	4.13	51.57	0.00	51.57

परिशिष्ट 2.25
सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अभ्यर्षण
(संदर्भ : कंडिका 2.7.8 ; पृष्ठ 67)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	डी.डी.ओ. का नाम	योजना	कुल आबंटन	कुल व्यय	30/31.03.19 को अभ्यर्षण
1	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ	पी.टी.जी. डाकिया (ओ.एस.पी.)	0.46	0.00	0.46
		आयोडीन नमक (ओ.एस.पी.)	2.25	0.00	2.25
		आयोडीन नमक (एस.सी.एस.पी.)	0.79	0.00	0.79
		किरोसिन तेल (ओ.एस.पी.)	17.46	0.00	17.46
		किरोसिन तेल (एस.सी.एस.पी.)	6.05	0.00	6.05
		अन्नपूर्णा योजना (ओ.एस.पी.)	0.99	0.00	0.99
		अन्नपूर्णा योजना (एस.सी.एस.पी.)	0.32	0.00	0.32
		टेलीफोन (स्थापना)	0.08	0.00	0.08
		पोशाक (स्थापना)	0.05	0.00	0.05
		मशीन एवं उपकरण (स्थापना)	0.10	0.00	0.10
		एल.टी.सी. (स्थापना)	0.12	0.00	0.12
	कुल	28.67	0.00	28.67	
2	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद	मुख्यमंत्री दाल भात योजना (एस.सी.एस.पी.)	36.83	0.00	36.83
		अन्नपूर्णा योजना (एस.सी.एस.पी.)	0.66	0.00	0.66
		नमक वितरण योजना (एस.सी.एस.पी.)	2.65	0.00	2.65
		उज्ज्वला (ओ.एस.पी.)	7.68	0.00	7.68
		उज्ज्वला (एस.सी.एस.पी.)	2.32	0.00	2.32
		किरोसिन तेल अनुदान (ओ.एस.पी.)	46.38	0.00	46.38
		किरोसिन तेल अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	16.08	0.00	16.08
		मुद्रण (ओ.एस.पी.)	3.00	0.00	3.00
		मुद्रण (एस.सी.एस.पी.)	1.32	0.00	1.32
	कुल	116.92	0.00	116.92	
3	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	आयोडीन नमक (एस.सी.एस.पी.)	1.93	0.00	1.93
		अन्नपूर्णा योजना (एस.सी.एस.पी.)	0.66	0.00	0.66
		किरोसिन तेल (ओ.एस.पी.)	38.00	0.00	38.00
		किरोसिन तेल (एस.सी.एस.पी.)	13.18	0.00	13.18
		कौशल विकास योजना (ओ.एस.पी.)	10.75	0.00	10.75
		कौशल विकास योजना (एस.सी.एस.पी.)	3.25	0.00	3.25
	कुल	67.77	0.00	67.77	
4	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका	अन्नपूर्णा योजना (टी.एस.पी.)	2.16	0.00	2.16
		उज्ज्वला (टी.एस.पी.)	10.00	0.00	10.00
		किरोसिन तेल अनुदान (ओ.एस.पी.)	40.32	0.00	40.32
		टेलीफोन (स्थापना)	0.08	0.00	0.08
		पोशाक (स्थापना)	0.05	0.00	0.05
	कुल	52.61	0.00	52.61	

क्र.सं.	डी.डी.ओ. का नाम	योजना	कुल आबंटन	कुल व्यय	30/31.03.19 को अभ्यर्पण
5	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला	किरोसिन तेल (टी.एस.पी.)	26.64	0.00	26.64
		अन्नपूर्णा योजना (टी.एस.पी.)	1.67	0.00	1.67
		टेलीफोन (स्थापना)	0.08	0.00	0.08
		कुल	28.39	0.00	28.39
6	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमशेदपुर	पी.डी.एस.सिस्टम का कम्प्यूटरीकरण (केंद्र) टी.एस.पी.	1.45	0.00	1.45
		पी.डी.एस.सिस्टम का कम्प्यूटरीकरण (राज्य) टी.एस.पी.	1.45	0.00	1.45
		किरोसिन तेल (टी.एस.पी.)	68.22	0.00	68.22
		मशीन एवं उपकरण (स्थापना)	0.10	0.00	0.10
		टेलीफोन (स्थापना)	0.08	0.00	0.08
		कुल	71.30	0.00	71.30
7	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	अन्नपूर्णा योजना (ओ.एस.पी.)	2.83	0.00	2.83
		अन्नपूर्णा योजना (एस.सी.एस.पी.)	0.92	0.00	0.92
		कौशल विकास प्रचार प्रसार सेमिनार (ओ.एस.पी.)	13.05	0.00	13.05
		कौशल विकास प्रचार प्रसार सेमिनार (एस.सी.एस.पी.)	3.95	0.00	3.95
		किरोसिन तेल अनुदान (ओ.एस.पी.)	48.25	0.00	48.25
		किरोसिन तेल अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	16.73	0.00	16.73
		कुल	85.73		85.73
8	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची	निर्वाचन	1.00	0.00	1.00
		किरोसिन तेल आयोग (टी.एस.पी.)	733.38	0.00	733.38
		कौशल विकास योजना (टी.एस.पी.)	16.00	0.00	16.00
		टेलीफोन (टी.एस.पी.)	0.08	0.00	0.08
		पोशाक (टी.एस.पी.)	0.05	0.00	0.05
		मशीन एवं उपकरण (टी.एस.पी.)	0.10	0.00	0.10
		कुल	750.61	0.00	750.61
9	निदेशालय	गैर परिसम्पतियां राज्य खाद्य आयोग (टी.एस.पी.)	37.50	0.00	37.50
सकल योग			1,239.50		1,239.50

परिशिष्ट 3.1
31 मार्च 2019 को बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र
(संदर्भ : कंडिका 3.1; पृष्ठ 69)

(₹ करोड़ में)

विभाग	2017-18 तक (2016-17 तक संस्वीकृत सहायता अनुदान)		2018-19 के दौरान (2017-18 के दौरान संस्वीकृत सहायता अनुदान)		प्रतीक्षारत कुल उपयोगिता प्रमाण पत्र	
	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि
उद्योग	839	486.04	106	30.67	945	516.71
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	646	616.37	312	634.28	958	1,250.65
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	89	1,622.14	212	3,150.65	301	4,772.79
कल्याण	7,743	1,837.67	971	234.17	8,714	2,071.84
भू राजस्व	1	0.21	2	6.78	3	6.99
मानव संसाधन	2,218	8,066.45	902	3,715.13	3,120	11,781.58
नगर विकास	6,055	8,299.18	876	3,933.53	6,931	12,232.71
अन्य	3,421	12,905.61	838	7,840.12	4,259	20,745.73
कुल	21,012	33,833.67	4,219	19,545.33	25,231	53,379.00

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा संधारित अभिलेखों के अनुसार

परिशिष्ट 3.2

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित
लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 3.2.1; पृष्ठ 71)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	दिसम्बर 2019
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम	अगस्त 2015
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2011-12
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	अक्टूबर 2016
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2008-09
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सरायकेला खरसावाँ	2013-14
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पश्चिमी सिंहभूम	2018-19
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
25	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
26	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	दिसम्बर 2015
27	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
28	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2016-17
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जमशेदपुर	2016-17
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	अक्टूबर 2011
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	मेदिनीनगर	सितम्बर 2015
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चाईबासा	2015-16
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
49	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण सोसाइटी, राँची	राँची	2015-16
50	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2002-03 (निष्पादन लेखापरीक्षा)
51	शिक्षा	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2014-15
52	शिक्षा व अनुसंधान	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2004-05
53	विज्ञान व प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2006-07
54	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
55	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची	राँची	2014-15
56	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद	राँची	2016-17
57	वन	मुख्य कार्यकारी निदेशक, वेस्ट लैंड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	प्रतिष्ठापन से लेखापरीक्षा नहीं
58	वन	कैम्पा	राँची	-वही-
59	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	-वही-
60	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2015-16
61	प्रशासन	झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची	राँची	10/2013
62	सूचना एवं जन संपर्क	राज्य सूचना आयोग	राँची	12/2016
63	कला एवं संस्कृति	झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद्	राँची	प्रतिष्ठापन से लेखापरीक्षा नहीं
64	प्रशासन	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग	राँची	01/2017
65	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
66	ऊर्जा	झारखण्ड रेन्युएबल ऊर्जा विकास एजेंसी	राँची	2015-16
67	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा प्रोजेक्ट परिषद्, राँची	राँची	2015-16
68	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय	नेतरहाट	नवम्बर 2016
69	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
70	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

परिशिष्ट 3.3
शीर्ष-वार बकाया डी.सी. विपत्र के ब्यौरे
(संदर्भ : कंडिका 3.3; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष		2000-16	2016-17	2017-18	2018-19	सकल योग
आहरित ए.सी. विपत्र	2230	ए.सी. विपत्र की सं.	604	6	7	2	619
		ए.सी. राशि	140.42	0.80	0.60	1.02	142.84
	2235	ए.सी. विपत्र की सं.	45	0	0	0	45
		ए.सी. राशि	4.85	0.00	0.00	0.00	4.85
	2251	ए.सी. विपत्र की सं.	23	0	0	0	23
		ए.सी. राशि	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
	3451	ए.सी. विपत्र की सं.	43	0	0	0	43
		ए.सी. राशि	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
	3456	ए.सी. विपत्र की सं.	660	7	0	1	668
		ए.सी. राशि	210.70	159.44	0.00	0.10	370.24
	4059	ए.सी. विपत्र की सं.	2	0	0	0	2
		ए.सी. राशि	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97
	4250	ए.सी. विपत्र की सं.	3	7	0	0	10
		ए.सी. राशि	1.40	3.45	0.00	0.00	4.85
कुल	ए.सी. विपत्र की सं.	1,380	20	7	3	1,410	
	ए.सी. राशि	358.62	163.69	0.60	1.12	524.03	
समर्पित डी.सी. विपत्र	2230	डी.सी. विपत्र की सं.	300	3	1	0	304
		डी.सी. राशि	85.36	0.79	0.10	0.00	86.25
	2235	डी.सी. विपत्र की सं.	13	0	0	0	13
		डी.सी. राशि	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89
	2251	डी.सी. विपत्र की सं.	15	0	0	0	15
		डी.सी. राशि	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
	3451	डी.सी. विपत्र की सं.	27	0	0	0	27
		डी.सी. राशि	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
	3456	डी.सी. विपत्र की सं.	219	3	0	0	222
		डी.सी. राशि	135.81	89.73	0.00	0.00	225.54
	4059	डी.सी. विपत्र की सं.	1	0	0	0	1
		डी.सी. राशि	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
	4250	डी.सी. विपत्र की सं.	1	0	0	0	1
		डी.सी. राशि	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27
कुल	डी.सी. विपत्र की सं.	576	6	1	0	583	
	डी.सी. राशि	225.47	90.52	0.10	0.00	316.09	
बकाया	डी.सी. विपत्र की सं.	804	14	6	3	827	
	डी.सी. राशि	133.15	73.17	0.50	1.12	207.94	
बकाया राशि की प्रतिशतता			37.13	44.70	83.33	100.00	39.68

परिशिष्ट 3.4
जिला-वार बकाया डी.सी. विपत्र
(संदर्भ : कंडिका 3.3; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिलों के नाम	इकाईओं की संख्या	ए.सी. विपत्र पर आहरित राशि	सौंपे गये डी.सी.विपत्र की राशि	बकाया डी.सी.विपत्र की राशि
1	राँची	6	194.65	149.35	45.30
2	धनबाद	1	0.10	0.00	0.10
3	चाईबासा	2	0.05	0.00	0.05
4	बोकारो	1	0.39	0.00	0.39
5	देवघर	2	0.08	0.03	0.05
6	सिमडेगा	1	0.28	0.21	0.07
7	गुमला	1	0.19	0.06	0.13
8	जमशेदपुर	1	4.17	0.00	4.17
9	हजारीबाग	2	6.04	3.86	2.18
	कुल	17	205.95	153.51	52.44

परिशिष्ट 3.5

डी.डी.ओ. द्वारा डी.सी. विपत्रों के विलम्ब प्रस्तुतीकरण को प्रदर्शित करने वाले विवरण
(संदर्भ : कंडिका 3.3.1; पृष्ठ 76)

क्र. स.	कार्यालय का नाम	डी.सी. विपत्रों की संख्या	डी.सी. विपत्र की राशि (₹ करोड़ में)	विलम्ब की अवधि	ए.सी. विपत्र की राशि के आहरण की अवधि
1	निदेशक, खाद्य, जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले, धुर्वा, राँची	4	35.83	01 वर्ष 9 महीना 10 दिन to 03 वर्ष 08 महीना 09 दिन	2013-14 से 2016-17
2	नजारत, उप समाहर्ता, राँची	6	5.91	10 महीना 19 दिन	2011-12
3	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद	17	9.39	03 वर्ष 01 महीना 16 दिन से 04 वर्ष 03 महीना 07 दिन	2003-04 से 2011-12
4	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह	5	3.45	04 महीना 22 दिन से 03 वर्ष 04 महीना 28 दिन	2010-11 से 2011-12
5	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका	1	0.14	01 वर्ष 03 महीना 12 दिन	2011-12
6	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला	5	0.32	03 महीना 10 दिन से 05 वर्ष 04 महीना 02 दिन	2003-04 से 2011-12
7	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग	15	5.63	05 महीना 09 दिन से 06 वर्ष 03 महीना 08 दिन	2003-04 से 2011-12
Total			60.67		

परिशिष्ट 3.6

डी. सी. विपत्रों का विलम्ब प्रस्तुतीकरण (अनुदान 26 के अंतर्गत चयनित जिला)
(संदर्भ : कंडिका 3.3.1; पृष्ठ 76)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	कार्यालय का नाम	ईकाई की सं.	समायोजित डी.सी. विपत्र की संख्या (विलम्ब सहित)	डी.सी. विपत्र की राशि (विलम्ब सहित)	विलम्ब की अवधि	ए.सी. विपत्र राशि आहरण की अवधि
1	धनबाद	1	1	0.01	6 महीना	2013-14
2	चाईबासा	1	4	0.26	12 दिन से 1 वर्ष 1 महीना 19 दिन	2012-13 से 2015-16
3	बोकारो	1	7	0.33	29 दिन से 1 वर्ष 7 महीना 16 दिन	2007-08 से 2015-16
4	देवघर	1	4	0.03	6 वर्ष 5 महीना 15 दिन से 11 वर्ष 9 महीना 15 दिन	2005-06 से 2007-08
5	सिमडेगा	1	2	0.08	4 महीना 2 दिन से 4 वर्ष 2 महीना 21 दिन	2009-10 एवं 2013-14
6	राँची	8	29	20.26	26 दिन से 16 वर्ष 8 महीना 4 दिन	2001-02 से 2017-18
7	सराइकेला	1	5	0.26	13 दिन से 5 वर्ष 11 महीना 27 दिन	2011-12 से 2015-16
दुल		14	52	21.23		

(स्रोत : भी.एल.सी. डाटाबेस, कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक्र.) झारखण्ड, राँची)

परिशिष्ट 3.7

तीन वर्षों से अधिक समय तक पी. एल. खाते में रखी गयी राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 78)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	आबंटन	31.03.2019 को अंत शेष	विगत तीन वर्षों से अधिक समय तक पी.एल.ए. में रखी गयी राशि
1	जिला परिषद्, गोड्डा	27.70	22.41	3.95
2	जिला परिषद्, साहिबगंज	13.71	13.71	0.65
3	जिला परिषद्, सिमडेगा	3.26	3.21	88.91
4	जिला परिषद्, चतरा	34.12	18.32	3.82
5	जिला परिषद्, गढ़वा	45.77	26.65	9.81
6	जिला परिषद्, लोहरदगा	9.44	9.29	0.06
7	जिला परिषद्, दुमका	3.29	3.29	3.29
8	जिला परिषद्, पाकुड़	5.47	3.30	0.81
9	झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास कॉरपोरेशन राँची	421.39	206.54	248.10
10	झारखण्ड कौशल विकास मिशन	6.00	6.00	6.00
कुल		570.15	312.72	365.39

*चयनित योजनाओं जिसमें तीन वर्षों से अधिक समय तक पी.एल. खाते में राशि रखी गयी, के अंतर्गत शेष

परिशिष्ट 3.8
लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत व्यय	कॉलम 4 से कॉलम 5 का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2053	जिला प्रशासन	695.81	129.66	18.64
2	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	54.66	37.37	68.37
3	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.13	1.32	31.86
4	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	709.17	336.48	47.45
5	6801	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	1,413.09	586.75	41.52
कुल			2,876.86	1,091.58	

परिशिष्ट 3.9

लघु-शीर्ष '800-अन्य व्यय' (30 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष - 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कॉलम 4 से कॉलम 5 का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0220	सूचना एवं प्रचार	0.01	0.01	100.00
2	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	100.00
3	0702	लघु सिंचाई	3.27	3.27	100.00
4	0801	ऊर्जा	42.47	42.47	100.00
5	0059	लोक निर्माण	9.55	9.55	99.98
6	0701	मध्यम सिंचाई	21.05	20.96	99.57
7	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	8.45	8.34	98.70
8	0057	आपूर्ति एवं निपटान	0.09	0.09	95.66
9	1054	सड़कें एवं पुल	143.31	124.37	86.78
10	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	27.05	18.54	68.54
11	0425	सहकारिता	1.64	1.05	64.02
12	1055	सड़क परिवहन	0.01	0.01	58.18
13	0023	होटल प्राप्तियाँ कर	0.00	0.00	44.16
14	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	69.91	27.57	39.44
15	0041	वाहनों पर कर	863.94	303.56	35.14
16	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	14.79	5.18	35.02
17	0071	पेंशन के संबंध में अंशदान और वसूली	5.55	1.86	33.51
18	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	47.20	14.72	31.19
कुल			1,258.29	581.55	46.22

परिशिष्ट 4.1
प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूर्ण करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता। यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों से वृद्धिशील ब्याज के भार और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके तो ऋण धारणीयता और भी सुगम हो सकेगा।

परिशिष्ट - 4.1 जारी..

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

परिशिष्ट - 4.1 जारी..

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्राहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्रत्यर्पणों की स्वीकृति को लेखापरीक्षा पदाधिकारी और/या लेखा पदाधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करना है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति। की जाँच के लिए विधान मंडल द्वारा गठित एक समिति है।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in